खण्ड-249, अंक-4
बुधवार, 16 वैशाख, शक संवत् 1886
(6 मई, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 249 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-सं॰
उपस्थित सदस्य	३६१–३
प्रश्नोत्तर	३६५–३९
नगरपालिकाओं के चुनाव के संबंध में जानकारी	३९७–४००
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	४००–४०
नहर मांट ब्रांच के बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा मथुरा क्षेत्रों के सभी रजबहों, माइनर तथा कुलाबों को बन्द करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४०२–४०३
प्रधान मन्त्री के गोरखपुर आगमन पर हुई कथित घटना के सम्बन्ध में गृह मन्त्री के वक्तव्य की सूचना	४०३
अन्य सूचनाओं पर होने वाले वक्तव्यों की सूचना	४०३–४०
बिभिन्न समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये सदन की बैठक को एक दिन बढ़ाने की मांग	४०४–४०
विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४०७–४०
प्रश्नों के संबंध में आपत्ति	४०९
बेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित स्टेट बेयर हाउसिंग कारपोरेशन के विषय में संकल्प (जारी)	४०८–४१०
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित)	४१४–४
बेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित स्टेट बेयर हाउसिंग कारपोरेशन के विषय में संकल्प (स्वीकृत)	४३६–४४
नत्थियां	४४७–४५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ६ मई, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखन्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनोसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानुगुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिक़ार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतराम, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातोराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूरसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताजमुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामप्रवार कनौजिया, श्री
रामप्रसन्त पाण्डेय, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रसन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री

सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतरामसिंह, श्री
हुमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा उपमंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ६ मई, १९६४

तारांकित प्रश्न

साधन सहकारी समिति, लक्ष्मनपुर

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि लगभग ३ हजार की कम आबादी पर कोई साधन सहकारी समिति नहीं बनायी जा सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज ब्लाक में लक्ष्मनपुर की लगभग २०० व्यक्तियों की क्यों साधन सहकारी समिति बनायी गयी ?

*२—क्या यह बात सही है कि लक्ष्मनपुर त्रिवेदीगंज की दुग्ध सहकारी समिति को नियमानुसार खाद बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने और खाद बेचने का हक नहीं था और न दुग्ध सोसाइटी को साधन सहकारी समिति के रूप में नियमानुसार परिवर्तित करने का ही नियम है ? यदि हां, तो इस सोसाइटी को खाद बिक्री का लाइसेंस क्यों दिया गया और इसको पुनः साधन सहकारी समिति के रूप में ७०४ नम्बर पर क्यों रजिस्ट्री की गयी ?

*३—क्या यह बात सही है कि लक्ष्मनपुर त्रिवेदीगंज का मजरा है, इसके नाम ७०४ नम्बर पर साधन सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ और पुनः १८ मार्च, १९६३ को २२८९ नम्बर पर रजिस्ट्री लक्ष्मनपुर के नाम से हुई, जबकि नम्बर ग्राम त्रिवेदीगंज के नाम से होना चाहिये था ? यदि हां, तो क्यों ?

मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

श्रीमन्, एक महीने बाद सूचना एकत्रित हो रही है, यह उत्तर दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

नीचे के विभागों को लिखा गया है और उत्तर आते ही सूचना दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—

इस बार उत्तर अवश्य आ जाय। ऐसा न हो कि फिर आप यही उत्तर दे दें।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिस समय दुग्ध सहकारी समिति साधन सहकारी समिति में कन्वर्ट हुई उस समय ६० प्रतिशत परिवार सदस्य हो चुके थे और नियमानुसार १००० रुपया जमा हो चुका था ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह सारी बातें उसी समय आयेंगी।

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब यह है कि इस बात की जानकारी भी प्राप्त करा ली जाय।

गोला टाउन एरिया में अस्पताल की आवश्यकता

*४—श्री कल्पनारायसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की गोला टाउन एरिया में राजकीय एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग वहां की जनता द्वारा की गयी है और एक सज्जन ने अपनी जमीन और मकान देने का वादा किया है ? यदि हां, तो क्या वहां अस्पताल खोलने की सरकार कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

न तो वहां की जनता ने ऐसी कोई मांग की है और न किसी सज्जन ने अपनी जमीन और मकान देने का वादा किया है, इसलिये वहां अस्पताल खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रपुर (जिला देवरिया) के लिए महिला अस्पताल

*५—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में रुद्रपुर, बरहज, भुलअनी और बैतालपुर विकास क्षेत्रों के पचखड़ी सहेन, पकड़ी बाजार और भाली चोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उनका निर्माण-कार्य कब से अलग-अलग प्रारम्भ होगा और निर्माण-कार्य कब तक समाप्त होगा और उन केन्द्रों पर स्वास्थ्य सेवायें कब से चालू हो जावेंगी ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)—

जी नहीं, क्योंकि वह स्थान ब्लाक हेड क्वार्टर नहीं है।

*६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि रुद्रपुर महिला अस्पताल, जिला देवरिया, के लिये जमीन प्राप्त करने के लिये कौन सा कदम उठाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार रुद्रपुर के प्रस्तावित महिला अस्पताल का निर्माण-कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर देगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इस अस्पताल के लिये भूमि प्राप्त करने हेतु अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है क्योंकि अभी अस्पताल के भवन निर्माण की स्वीकृति सरकार ने नहीं दी है। भवन निर्माण कब प्रारंभ होगा, अभी इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

चेचक एवं मलेरिया उन्मूलन कार्य हिन्दी में करने का आदेश

*७—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चेचक उन्मूलन एवं मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रचार कार्य देहातों में दीवालों पर अंग्रेजी में लिख कर किया जाता है ? यदि हां, दो इसका क्या कारण है ? क्या तत्संबंधी अधिकारियों को आदेश करेगी कि वे प्रचार कार्य अंग्रेजी में न लिखवाएं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

(अ) चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दिवालों पर प्रचार हिन्दी में लिखा जाता है। अंग्रेजी में लिखने का प्रचार किये जाने की सूचना नहीं है, फिर भी तत्संबंधी अधिकारियों को हिन्दी में ही प्रचार लिखवाने के स्पष्ट आदेश भेजे जा रहे हैं।

(ब) मलेरिया—जी हां, मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रचार कार्य देहातों में तथा शहरों में दीवालों पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखकर किया जाता है ताकि दोनों भाषाओं को जानने वाले इस प्रचार से सूचित हों। तत्संबंधी अधिकारियों को आदेश है कि मलेरिया उन्मूलन प्रचार कार्य हिन्दी में करें।

आजमगढ़ जिले में श्रम शक्ति योजनान्तर्गत सड़कें

*८—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत श्रम-शक्ति उपयोग योजनान्तर्गत कौन-कौन सड़कें ली गयी हैं, उनमें प्रत्येक में कितने व्यय का अनुमान है तथा प्रत्येक में अब तक कार्य-प्रगति क्या है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

इस योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में जो सड़कें ली गई हैं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

आयुर्वेदिक निदेशालय के कर्मचारियों का वेतन

*९—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक यूनानी सेवा निदेशक के कार्यालय के कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक के कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में असमानता क्या है जबकि सरकार ने श्री राम अनन्त पाण्डेय, एम० एल० ए०, के २७ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१–९३ के उत्तर में यह स्वीकार कर लिया था कि उपर्युक्त दोनों निदेशालय समान स्तर के हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्री राम अनन्त पाण्डेय द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ९१ से ९३ तक के उत्तर देते हुए २३ मार्च, १९६३ को यह कहा गया था कि 'दोनों निदेशालयों की कार्य प्रणाली, कर्तव्य एवं अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु आयुर्वेदिक निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-क्रम एलोपैथिक निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-क्रम से भिन्न है।" इस भिन्नता का कारण यह है कि इन दोनों कार्य-क्षेत्र के विस्तार में अभी काफी असमानता है।

*१०—श्री अहमद बख्श (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि लगभग २ वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक यूनानी सेवा निदेशालय की स्थापना के बाद मुख्य मंत्री जी ने उक्त निदेशालय के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों की असमानता दूर करने तथा उन्हें वही वेतन-क्रम, जो स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कार्यालय के कर्मचारियों को दिये जाते हैं, के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों को अब तक कार्य रूप में परिणत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं।

*११—श्री अहमद बख्श (अनुपस्थित)—

क्या आयुर्वेदिक, यूनानी सेवा निदेशक तथा जिले के सिविल सर्जन के पद समान स्तर के हैं ? यदि नहीं, तो वेतन के मामले में दोनों एक ही स्तर पर क्यों रखा गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं, क्योंकि इस श्रेणी के कई और हेड आफ डिपार्टमेंट्स का भी यही वेतन-क्रम है।

*१२–१४—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

[१० वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ११–१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५—श्री झारखण्डेराय—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

वाराणसी कमिश्नरी की जिला परिषदों में एम्पलायमेंट एक्सचेंज से अध्यापक न लेना

*१६—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन (ख) विभाग के आदेश संख्या १६१५I/Iए०/६०–६८९–१९६०, दिनांक ८ फरवरी, १९६१ ई० के होते हुये कि लोकल बाडीज को भी इम्पलायमेंट एक्सचेंज के द्वारा ही नियुक्तियां करना चाहिये, इसका पालन वाराणसी कमिश्नरी के प्रत्येक जिले की जिला परिषदों के अध्यक्षों ने जनवरी–फरवरी, सन् १९६४ में अन्ट्रेंड अध्यापकों को रखते समय नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय पर क्या करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

टेमर नाले पर पुल की आवश्यकता

*१७—श्री रघुपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला की महराजगंज तहसील में एक टेमर नाला है जो हमेशा बहता रहता है तथा उसमें १–२ फुट पानी हमेशा बना रहता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में ठेंगर नाला है जो बरसात के दिनों में स्थानीय वर्षा के कारण तेजी से बहने लगता है। परन्तु जाड़े के दिनों में इसमें नाममात्र को पानी बहता है तथा गर्मियों में अधिकांश स्थानों पर सूख भी जाता है।

*१८—श्री रक्षपालसिंह—

क्या यह सही है कि ग्राम सभा लक्षीपुर देउरवा व कामता बुजुर्ग व अन्य निकटवर्ती गांव में हजारों लोगों को खुरहा बजार उक्त नाले के पानी में घुस कर जाना पड़ता है तथा बरसात में तो उसे पार करना मुश्किल हो जाता है? यदि हां, तो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिये कामता बुजुर्ग से खुरहा जाने वाले मार्ग पर एक पुल बनाने की सरकार कृपा करेगी? यदि हां, तो कब?

श्री बंशीधर पांडेय—

ग्राम सभा लक्षीपुर देउरवा, कामता बुजुर्ग आदि समीप के गांवों के लोगों को खुरहा बाजार जाने के लिए इस नाले को पार करना पड़ता है, बरसात के दिनों में अवश्य ही पार करने में कठिनाई रहती है। धनाभाव के कारण जिला परिषद् इस नाले पर पुल बनवाने में असमर्थ है।

श्री रक्षपालसिंह—

इस नाले को मैंने स्वयं देखा है और दिसम्बर के महीने में पार भी किया है। उसमें हमेशा पानी बहता रहता है। जहां तक यात्रियों के निकलने का प्रश्न है, उस पर बरसात में दो-चार जानें भी चली जाती हैं। तो क्या सरकार इसको स्वयं बनाने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

रक्षपाल जी ने जिन खयालात का इजहार किया है उनसे हमारी हमदर्दी जरूर है, लेकिन जो दिक्कत है वह हमने पेश कर दी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

इस नाले को लेकर जिला परिषद् में कई बार समस्या खड़ी हो चुकी है और जिला परिषद् इसे यह कह कर टाल देती है कि उसके पास धन नहीं है और धन प्राप्त करने के लिये सरकार से लिखापढ़ी की जा रही है। तो क्या सरकार उसके लिये धन प्रदान करने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

सरकार की तरफ से तो कुछ रुपया जिला परिषदों को दिया ही जाता है। वह बड़ी सीमित धनराशि रहती है, इसलिये जिला परिषदें जितनी सेवा कर सकती हैं, वह करती हैं।

गोंडा जिले में विकास क्षेत्रों की जीपें

*१९—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की समस्त क्षेत्रीय विकास समितियों तथा जिला नियोजन विभाग की जीप गाड़ियों की मरम्मत तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस फर्म से कराई गई और गाड़ियों के मरम्मत में कुल कितना रुपया खर्च हुआ? इसका विवरण क्या है?

श्री बंशीधर पांडेय—

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४७ पर)

श्री शीतलप्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में खरीदी गयी गाड़ियों की मरम्मत हुई है या उसके पहले की खरीदी गयी गाड़ियों की ?

श्री राममूर्ति---

इसमें यह बताया गया है कि तृतीय योजना के पहले ३ साल की गाड़ियों की मरम्मत हुई है ।

श्री शीतलप्रसाद---

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब खरीदी गयी थीं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)---

क्या सरकार यह बतायेगी कि गाड़ियों की मरम्मत के लिये कोई टेन्डर्स वगैरह काल किये जाते हैं या आफिसर्स जहां चाहते हैं वहां से मरम्मत कराते हैं ?

श्री राममूर्ति---

कुछ एप्रूव्ड गैराजेज हैं, उनके एप्रूव्ड कोटेशन्स रहते हैं और उनके यहां से ही मरम्मत करायी जाती है।

*२०-२१---श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)---

[४ मई, १९६४ को प्रश्न ६७-६८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

दहगवां में तौलाई का ठेका

*२२---श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---

१९६२ के प्रथम सत्र के १७वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री उल्फत सिंह के प्रश्न संख्या ४१ तथा ४२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दहगवां, तहसील सहसवान, जिला बदायूं में ठेका तुलाई का काम किस की भूमि पर होता है, इसके बारे में अब जांच के फलस्वरूप क्या निर्णय किया गया ?

श्री राममूर्ति---

प्रचलित प्रथा के अनुसार बदायूं जिले के सहसवां तहसील के दहगवां ग्राम में खेती की पैदावार के खरीद-फरोख्त के सिलसिले में तुलाई का ठेका दिया जाता है। ठेका लेने वाला व्यक्ति सबके घरों पर जा कर तोलने का काम करता है। इस प्रकार ठेका तुलाई का काम किसी सार्वजनिक भूमि अथवा बाजार में नहीं होता है। ठेके का कार्य किसी मेले, बाजार या हाट से संबंधित न होने के कारण गांव सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

*२३---श्री उल्फतसिंह यादव (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम दहगवां में ठेका तुलाई, १९५९ से आज तक किसके पास है तथा उन्हें यह ठेका किस के द्वारा दिया गया ?

श्री राममूर्ति---

वर्ष १९५९ से आज तक तुलाई ठेका निम्नांकित व्यक्तियों के पास रहा है---

१९५९---श्री खूबी पुत्र गणेशी जाति वैश्य, निवासी दहगवां।

१९६०---श्री छेदा लाल पुत्र नत्थूलाल तथा श्री खूबी पुत्र श्री गणेशी निवासी दहगवां।

१९६१---श्री इन्द्रमन तथा श्री खूबी निवासी दहगवां।

१९६२—श्री अशफाक शेख तथा श्री खूबी निवासी दहगवां।

१९६३—श्री इन्द्रमन तथा श्री खूबी निवासी दहगवां।

१९६४—में यह ठेका इस वर्ष अभी किसी को नहीं दिया गया है। ठेका अभी तक श्री इन्द्रमन व श्री खूबी निवासी दहगवां के पास ही है।

उपर्युक्त व्यक्तियों को यह ठेका श्री लक्ष्मीनारायण, मंत्री, श्री कृष्ण लीला कमेटी, के द्वारा दिया जाता रहा है।

पंचायत मंत्री

*२४—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत मंत्री शासकीय कर्मचारी घोषित क्यों नहीं है?

श्री राममूर्ति—

पंचायत मंत्री, पंचायत राज अधिनियम, १९४७ के, अन्तर्गत गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं, अतः उनके शासकीय कर्मचारी घोषित होने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों को वेतन वृद्धि न मिलना

*२५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या पंचायतराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत मंत्रियों को वेतन वृद्धि की रकम सन् १९५४ ई० से आज तक नहीं दी गई?

*२६—क्या मंत्री जी यह भी बता सकते हैं कि ऐसा करने का कारण क्या है और कब तक वह रकम उन्हें दे दी जायगी?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

फूलपुर विकास खण्ड अधिकारी के खिलाफ शिकायत

*२७—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित), श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़), श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या विकास मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ फरवरी, १९६४ को जब मुख्य मंत्री विकास खण्ड फूलपुर आजमगढ़ दौरे पर गई थीं तो उनसे जनता द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की शिकायत मौखिक एवं लिखित की गई थी? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। जांच जिला उप नियोजन अधिकारी आजमगढ़ द्वारा की गई है। क्षेत्र विकास अधिकारी फूलपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए फिर भी आयुक्त गोरखपुर को उनके स्थानान्तरण हेतु लिख दिया गया है तथा उनको कठोर चेतावनी दी जा रही है क्योंकि उन्होंने कुशलता तथा विवेक से काम नहीं किया।

श्री दौलत लाल—

माननीय मुख्य मंत्री जी से उनके दौरे के समय कौन-कौन सी मुख्य-मुख्य शिकायतें की गयी थीं, क्या सरकार उनको बतायेगी?

श्री बंशीधर पांडेय—

उनको तो एक बड़ा लम्बा चौड़ा पत्र दिया गया था । उसमें १७—१८ शिकायतें थीं । उसमें सबसे मुख्य यह शिकायत थी कि वहां का बी० डी० ओ० बहुत कड़ा है, नीचे के मातहतों के साथ उसका कड़ा व्यवहार रहता है और उनके साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसलिये उसका ट्रान्सफर कर दिया गया ।

श्री दौलतलाल—

नियोजन अधिकारी की जांच में कौन-सी ऐसी बातें मिलीं जिनके अनुसार उसका ट्रान्सफर किया गया और विवेक से काम न करने की चेतावनी दी गयी ?

श्री बन्शीधर पांडेय—

बी० डी० ओ० का अपने मातहत कर्मचारियों के साथ अच्छा सम्बन्ध नहीं था । इसलिये उनको उनके अविवेकपूर्ण कार्य के लिये ही चेतावनी दी गयी थी ताकि भविष्य में उनके स्टाफ के साथ उनके संबंध अच्छे रहें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री पत्र को पढ़ने की कृपा करेंगे जिसमें कहा गया है कि फर्नीचर उस दूकानदार से नहीं खरीदा गया है जिसको सरकार मानती है और बिना वाउचर के यह काम हुआ तो क्या इसकी भी प्लानिंग आफिसर द्वारा इन्क्वायरी करायी गयी है, यह शिकायत उसमें है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

अप्रूव्ड फर्म बनारस की थी लेकिन जब आर्डर प्लेस किया तो साल का आखरी हो गया और उसने इन्कार किया कि इस वक्त सप्लाईज नहीं हो सकतीं । फिर आजमगढ़ में ही लास्ट कोटेशन वाले से फर्नीचर खरीद लिया गया । तो जिन्होंने जांच की उन्होंने आपत्ति की और यह सही था कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिये था, इसलिये उनको वार्निंग भी की गयी । इसलिये ए० जी० भी ऐतराज करते हैं, चेकिंग अथारिटीज भी ऐतराज करते हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जिन व्यक्तियों ने आरोप लगाया, उनको भी सिद्ध करने के लिये बुलाया गया या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

आरोप सिद्ध करने का सवाल इसलिये नहीं उठता कि सिर्फ आरोप यह लगाया गया कि यह अप्रूव्ड फर्म से फर्नीचर नहीं खरीदा गया, यह तो नहीं था कि नहीं खरीदा । तो बुलाने का सवाल नहीं पैदा होता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या यह भी आरोप है कि ग्राम सेवक जिन्हें क्वार्टर मिलना चाहिये उन्हें न देकर एक ज्यादा तनख्वाह पाने वाले अधिकारी को दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने जांच की उन्होंने यह बात इंक्वायरी करने पर सही पायी तो उस जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री राममूर्ति—

वह बात ठीक है जिसको रामसुन्दर जी कह रहे हैं कि बेजा तरीके पर दिलचस्पी दिखा कर विलेज लेविल वर्कर को टाउन एरिया में रख देना और लेडी को क्वार्टर दिलवा देना और फिर एक दूसरे ए० डी० ओ० को, तो वह बी० डी० ओ० को नहीं करना चाहिये था । लेकिन चूंकि लेडी का मामला था इसलिये और कोई ऐक्शन न लेकर उनका ट्रान्सफर कर दिया ब्लाक से जिससे छुट्टी हो जाय ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

आपने उत्तर में कहा है कि जो आरोप हमारे माननीय सदस्य ने लगाया है वह सही है, तो उसके साबित हो जाने के बाद सिर्फ स्थानान्तरण के आर्डर ही पर्याप्त समझे गये या और कुछ कार्यवाही करने की बात है ?

श्री राममूर्ति—

कोई बड़ा भारी करप्शन नहीं हुआ, इरेंगुलरिटी हुई है जो नहीं करनी चाहिये थी, यही मेरा मतलब था।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने कहा कि जूनियर लोगों के संबंध बी० डी० ओ० से अच्छे नहीं थे तो सारे प्रान्त में यह बात है और खास कर सीमेंट के परमिट को लेकर बी० डी० ओ० और स्टाफ में झगड़ा रहता है। इस सारी व्यवस्था को देखते हुये आप कोई ऐसी सूरत निकालेंगे जिससे ये संबंध ठीक बन सकें ?

श्री अध्यक्ष—

आप कुछ सुझाव दे रहे हैं।

श्री राममूर्ति—

जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, इस बी० डी० ओ० ने १० बोरी से ज्यादा सीमेंट नहीं दिया सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जहां कुएं वगैरह बनाने थे। एक केस में कुएं के लिये ४५ बोरी दी हैं। जहां तक ताल्लुकात अच्छे रखने की बात है, मेरी राय में लोगों को रामायण पढ़नी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान उस पत्र में उल्लिखित इस शिकायत की ओर भी गया है कि ए० डी० ओ० महिला को क्वार्टर और टी० ए० इसलिये नहीं दिया कि उसे नाजायज व्यवहार के लिये मजबूर किया ? उसने डिप्टी प्लानिंग के यहां इस तरह का बयान दिया है ?

श्री राममूर्ति—

पांडेय जी वहां की लोकल बात को जान सकते हैं। मेरे जवाब में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई साफ चीज सामने आवे तो हम सजा देते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

डिप्टी कमिश्नर बनारस जांच के लिये आये और सब बातें सिद्ध हुईं। प्लानिंग अफसर ने स्वयं जांच न करके डिप्टी प्लानिंग अफसर को जांच दी, जिन्होंने २, ३ दिन तक जांच की और महिला ए० डी० ओ० ने बयान दिया है कि हमें तंग किया जा रहा है, हमारा बिल नहीं दिया जा रहा है, हमें जगह नहीं दी गई ?

श्री राममूर्ति—

इस बी० डी० ओ० ने कुछ जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ली उस लेडी ए०डी० ओ० को क्वार्टर देने के लिये, यह जरूर लिखा है। और कोई चीज स्पष्ट तो लिखी नहीं जाती है लेडीज के बारे में।

श्री दौलतलाल—

क्या रिपोर्ट में यह भी है कि ए० डी० ओ० का ८ महीने का टी० ए० इसलिये नहीं दिया गया कि वह बी० डी० ओ० के साथ अश्लील व्यवहार के लिये तैयार नहीं थी ?

श्री राममूर्ति--

मेरे पास इसका कोई जिक्र नहीं है ।

श्री सुरजन राम विशारद (जिला आजमगढ़)—

दो साल भी नहीं हुये, इसी बी० डी० ओ० का ट्रान्सफर कोपागंज से फूलपुर किया गया और यहां भी ऐसा ही आरोप इनके विरुद्ध लगा है । तो क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी कि भविष्य में वह ऐसा कार्य न करें ?

श्री राममूर्ति--

उसका वहां से ट्रान्सफर हो गया। अभी थोड़े दिन में बी० डी० ओज० का वीडिंग होगा जिसे हमारे अफसर और पब्लिक सर्विस कमीशन करेंगे । उस समय इन सब बातों को देखा जायगा । तीसरी बात यह भी है कि समाज में औरतों का एक ऐसा डेलीकेट प्वाइंट होता है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता । यह भी रवाज हो गया है कि औरतों से शिकायत कराने से लोग जरा जल्दी भड़क जाते हैं ।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह बी० डी० ओ० भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री राममूर्ति--

हमने ट्रान्सफर कर दिया, वार्निंग भी कर दी । आगे जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायेगी ।

म्याऊ विकास खण्ड में चाबी खो जाना

*२८--श्री उल्फतसिंह यादव (अनुपस्थित)--

बदायूं जिले के म्याऊ विकास खण्ड की तिजोरी की चाबियां जनवरी या फरवरी, १९६४ में जो गायब हो गई थीं उस सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि:

(१) एक ही चाबी गायब हुई कि दोनों चाबियां गायब हो गई थीं ?

(२) चाबियों के गायब होने का कारण क्या था ?

(३) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो किसकी असावधानी से गायब हुईं तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति--

दोनों चाबियां खो गई थीं । चाबियां स्टोर कीपर से अचानक खो गईं । यह बात उसने तसलीम कर ली है । चूंकि स्टोरकीपर को, चाबियों के खो जाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेने में कोई आपत्ति नहीं हुई है, और चूंकि इस प्रसंग में किसी अन्य संभावना की गुंजायश भी प्रतीत नहीं होती, इसलिये इस मामले में किसी जांच के होने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, क्षेत्र विकास अधिकारी एवं स्टोर कीपर से स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायगी ।

आजमगढ़ जिले में जन-शक्ति योजनान्तर्गत सड़कें

*२९--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री दिनांक १९ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि अन्य सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेक्निकल छान-बीन समाप्त हो गई ? यदि हां, तो परिणाम क्या निकला ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां । इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मधुवन से दुवारी तथा सूरजपुर से मधुवन दो सड़कों को ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल करने का सुझाव दिया है परन्तु निम्नलिखित सड़कों के बारे में सिफारिश नहीं की है :—

धोली-दरगाह रोड, खैरागढ़-मूंगमाल रोड, मझधारा-फतेहपुर मेटल रोड ।

*३०—श्री रामसुन्दर पांडय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन विकास खण्ड डेढ़-गुना बनाये गये हैं और क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों को ग्रामीण जन शक्ति योजना में लेने के लिये विभाग ने सिफारिश की है उन सड़कों का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति के बाद यथाशीघ्र आरम्भ होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कुछ सड़कों को जनशक्ति योजना में न लेने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मुख्यतः यह देखा जाता है कि वे कार्य उत्पादन बढ़ाने वाले हैं या नहीं । प्लानिंग कमीशन सड़कों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता है । नालियों, ट्यूबवैल इत्यादि के कामों में उनकी ज्यादा दिलचस्पी है । इसलिये सभी सड़कों को वह स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

इन सड़कों में से कुछ पर कार्य शुरू हो गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कार्य उन्हीं पर आरम्भ हो गया होगा जिनकी स्वीकृति तीसरी सीरीज तक हो गई होगी । चौथी की स्वीकृति अभी प्लानिंग कमीशन के विचाराधीन है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर ने कहा है कि जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत पूर्वी जिलों में कोई निर्माण सम्भव नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मेरे पास प्रमाण है कि गांव सभाओं ने लिखित कहा है कि हमें इस काम को जनशक्ति से नहीं कर सकते, ठेके से कराया जाय या विभाग करे ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या उन जिलों की ओर जो सहयोग देने के लिये तैयार हैं, जैसे हरदोई है, मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

इमर्जेन्सी के दौरान में प्लानिंग कमीशन ने यह आदेश दे दिये हैं कि बैकवर्ड पाकेट्स में इस योजना को लगाया जा सकता है । हरदोई के साथ हमारी हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि वहां भी काम हो ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को देखते हुये कि जनशक्ति योजना पूर्वी जिलों के लिये एक बहुत ही उपयोगी योजना है और जिसके लिये चीफ इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० और सिंचाई विभाग ने यह लिख दिया है कि स्टाफ की कमी के कारण हम इसको टेक ओवर नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ने उस टेक्नीकल स्टाफ की कमी को दूर कर इस जनशक्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या काम किये हैं ?

श्री राममूर्ति--

हमारा महकमा तो कोआर्डिनेशन का काम करता है, उसी तरह से जिस तरह से दवाओं में शरबत बनफशा काम करता है । हम तो सबसे यह दरख्वास्त करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम पूरे हो जायं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

पूर्वी जिलों में जहां जनशक्ति योजना की बहुत आवश्यकता है वहां तो चालू नहीं है लेकिन कहीं बेकार ही चलाई जा रही है, इसलिये जहां जहां फसल मारी गयी है तथा जो एरिया बाढ़ पीड़ित है, उस क्षेत्र में इस योजना को तेजी से मंत्री जी चालू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

इस सूचना के लिये उनको धन्यवाद लेकिन अगर पूर्व के किसी जिले को हम यह कह दें कि वह अभावग्रस्त नहीं है तो शोर हो जायगा । इसलिये हमें तो सभी जगह काम करने पड़ते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

चन्द्रबलीसिंह जी का यह कहना है कि कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने इन्कार कर दिया है, उन स्थानों के बजाय अभावग्रस्त में तेजी से इस योजना को लागू करने का प्रयत्न किया जायगा ?

श्री राममूर्ति--

यह मुनासिब बात है और इसको मानने में कोई उज्र नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह जानने की कोशिश करेंगे कि सड़कों के मामले में फतेहपुर एरिया बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ? वहां आवागमन के मार्ग नहीं हैं । रेलवे स्टेशन पर पहुंचना भी दुर्लभ हो जाता है । चूंकि जनशक्ति योजना में यह काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो क्या पटेल कमीशन द्वारा मिलने वाली सहायता के साथ इसको जोड़ने की कृपा करेंगे जिससे इस क्षेत्र के मधुबन इन्दारा आदि मार्ग बनाये जा सकें ?

श्री राममूर्ति--

यों तो सारा आजमगढ़ जिला ही बैकवर्ड क्षेत्र है । सड़कें नहीं हैं, सिंचाई के साधन नहीं हैं । लेकिन इस योजना को अपनी जगह चलने देना चाहिये । पटेल कमीशन के जरिये मिलने वाली सहायता को इसमें मिलाना ठीक न होगा । उससे ऐसा भी हो सकता है कि इसमें मिलने वाली सहायता में कुछ रुकावट पदा हो जाय ।

श्रम कार्यालयों के कर्मचारियों का वेतन

*३१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजना कार्यालय तथा उसके अधीन कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन का मामला १ नवम्बर, १९५६ से सरकार के पास विचाराधीन पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी नहीं । नवम्बर, १९५६ से ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं पड़ा है ।

*३२—श्री ब्रह्मदत्त मायर तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्रम विभाग ने ऊपर कहे विषय पर २६ दिसम्बर, १९६३ को कोई आदेश किये थे ? यदि हां, तो वह क्या थे और अब उन पर क्या कार्यवाही होने जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं । श्रम विभाग ने २६-१२-१९६३ को कोई आदेश नहीं जारी किये ।

जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, शाहजहांपुर की जांच रिपोर्ट

*३३—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में जिला कोआपरेटिव फेडरेशन की १९६१-६२ तथा १९६२-६३ की आडिट रिपोर्ट में किये गये Objections पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसीदास—

जिला कोआपरेटिव फेडरेशन, शाहजहांपुर की वर्ष १९६१-६२ व १९६२-६३ की आडिट रिपोर्ट अभी तक फेडरेशन को नहीं मिली है । अतः उन पर अभी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३४—श्री सुरेन्द्रविक्रम (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में Co-Operative द्वारा कितने भट्ठे ईंटों के १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में चलाये गये और उनमें से प्रत्येक को प्रतिवर्ष कितना मुनाफा हुआ ?

श्री बनारसीदास—

शाहजहांपुर जिले में वर्ष १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में ३ कोआपरेटिव भट्ठे चलाये गए । उनका वार्षिक लाभ निम्न प्रकार है :—

नाम भट्ठा	वार्षिक लाभ वर्ष १९६१-६२	वर्ष १९६२-६३
	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१—ईदगाह	७०३०.१८	२२२७.८३
२—सिगरैया	१३,८३२.१६	३८२.८७
३—पुवायां	६९०३.३८	३०९४.१५

होम्योपैथिक डाक्टर

*३५--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने जब से होम्योपैथी को मान्यता दी है, तब से कितने होम्योपैथिक डाक्टर सरकारी होम्योपैथिक कालेज से पास होकर निकले हैं और कितने डाक्टरों को उन्होंने अब तक सरकारी नौकरियों में जगह दी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

चूंकि प्रदेश में इस समय तक कोई भी सरकारी होम्योपैथिक कालेज नहीं है अतः वहां से पास होने वाले डाक्टरों की संख्या बताने या उनको सरकारी नौकरियों में जगह देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*३६--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि होम्योपैथिक डाक्टरों का वेतन-क्रम क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों में नियुक्त किये जाने वाले चिकित्साधिकारियों के लिये १२०-२०० रुपये का वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि लखनऊ होम्योपैथिक कालेज से सरकार का क्या सम्बन्ध है और उसको सरकार की ओर से वार्षिक क्या सहायता दी जाती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इस कालेज को आर्थिक सहायता लगभग १ लाख रुपये के दी जाती है । जहां तक और बातों का सम्बन्ध है, यह कालेज आगरा यूनिवर्सिटी से ऐफिलियेटेड है और इस तरह की ६ प्राइवेट संस्थायें हैं, उन्हीं में से एक यह भी है ।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई कमेटी सरकार ने बनाई है, जिसकी देखरेख में यह कालेज आजकल चल रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मैनेजमेंट कमेटी है । जैसे और कालेजों के लिये मैनेजिंग कमेटी है वैसे ही इसके लिये भी है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन होम्योपैथिक डाक्टरों की नियुक्ति के लिये कौन-कौन सी परीक्षायें मान्य हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसके लिये अभी नियम बन रहे हैं । अभी तक पूरे नियम तैयार नहीं हैं ।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी नौकरियों में अभी तक कितने होम्योपैथिक डाक्टर रखे गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया, अभी रखे जाने को हैं जिनके लिये जगहें बनायी जा रही हैं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ से प्रति वर्ष कितने लड़के पास होते हैं और उस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि उसे हम प्रति वर्ष एक लाख रुपये की मदद देते हैं । बाकी इनफारमेशन के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस जी० ओ० की तरफ दिलाना चाहता हूं जो गवर्नमेंट की तरफ से जिला परिषदों को भेजा गया है, उसके द्वारा जिला परिषदों से पूछा गया कि वे अपने जिले में कितने होम्योपैथिक दवाखाने चलाना चाहते हैं और परिषदों में कुछ सालाना मुकर्रर भी है पहले साल और दूसरे साल । तो जब आपके पास कोई रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यशन्स होम्योपैथिक के नहीं हैं और उससे ट्रेन्ड डाक्टर नहीं निकलते, तो आप यह सब कैसे चलायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

स्थिति यह है कि हमारे यहां होम्योपैथिक बोर्ड बना हुआ है जो डाक्टरों की कई कैटेगरीज का रजिस्ट्रेशन करता है । जिनमें एक तो कालेज से निकलते हुये स्नातक हैं, बाकी प्रैक्टिस के आधार पर, योग्यता के आधार पर भी कुछ डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन होता है । होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज कुछ हैं जो सब्सोडाइज्ड रूप में चल रही हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि उत्तर प्रदेश में डाक्टरों की बड़ी कमी है और होम्योपैथिक कालेज इलाहाबाद और लखनऊ से जो डाक्टर निकलते हैं, वे प्राइवेट प्रैक्टिस ही कर पाते हैं, उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि ऐसी डिस्पेन्सरीज जहां डाक्टर नहीं हैं, वहां इन होम्योपैथिक कालेजों से निकले हुए डाक्टर भेजे जायं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

संभवत: भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ही पहला प्रदेश है जहां सरकार इस प्रकार की होम्योपैथिक डिस्पेन्सरीज बनाने जा रही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह सही है कि सारे भारत में उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य है जहां इस तरह का प्रबन्ध किया जा रहा है । लेकिन आज कल बनारस आदि स्थानों में बहुत से होम्योपैथिक क्वैकस पैदा हो गये हैं जो इस पेशे को अपनाये हुये हैं । तो मैं पूछता हूं कि जब तक आपके नियम न बन जायं और जब तक कायदे कानून के मुताबिक आपके ये इंस्टीट्यूशन्स सुनियोजित ढंग से नहीं चलते, तब तक इस कालेज को सरकारी सहायता व ग्रांट देना बन्द करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जहां तक सहायता व ग्रांट देने की बात है वह तो अच्छा ही है। क्वैक्स को निकालने के लिये ही बोर्ड बना हुआ है और उसके बाद स्नातकों को रख कर उसे और मजबूत किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक अस्पताल कितने हैं और कहां हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों के वेतन-क्रम में इतना अन्तर क्यों है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी तक यह अलग-अलग चल ही रहे हैं, समाज में अलग-अलग मान्यता और योग्यता मानी जाती है। अब कमेटी बैठने वाली है, उसके सामने यह प्रश्न संभवतः जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

प्रदेश भर में कितने होम्योपैथिक दवा बांटने वाले अस्पतालों को सरकार सहायता देती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

गोंडा जिले में कुष्ठ रोगी

*३७—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कुष्ठ पीड़ितों के रोग से मुक्ति पाने के लिये कोई नई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या और उनके भरण पोषण और दवा का प्रबन्ध है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

*३८—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या वह गोंडा जिले में कुष्ठ रोगियों के लिये कोई नई बस्ती बनाने जा रही है ? यदि हां, तो वह बस्ती किस स्थान पर कब तक बन जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*३९—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सिविल अस्पताल, गोंडा के सामने जो कुष्ठ रोगी बसे हैं उनको हटा कर दूसरी जगह बसाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बतलायेगी कि कुष्ठ रोग जो समाज में छूत का रोग माना जाता है, उसके विरुद्ध सरकार ने अभी तक कौन सी दवा ईजाद की है और ऐसे रोगियों के भरण पोषण का क्या प्रबन्ध किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है, जो सहायता दी जा सकती है, वह दी जा रही है ।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि जब उसने भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून बना दिया है, तब भी कुष्ठ रोगियों के भरण पोषण का प्रबन्ध न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो हो गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह कुष्ठ रोग छुआछूत का रोग है, तो सरकार को इन रोगियों के लिये अलग से स्थान बनाने में क्या दिक्कत है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह मामला गोंडा से सम्बन्धित है और वहां कुष्ठ सेवा केन्द्र एक गैर सरकारी संस्था है, वह ६४ में रजिस्टर हुई है, उसके भवन निर्माण के लिये सरकार ने पहले दस हजार रुपया दिया था लेकिन इस संस्था ने उसका प्रयोग नहीं किया । अब वह जो योजना भेजेंगे उसको देख कर सरकार जो मदद कर सकेगी, वह करेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह योजना जो आने वाली है उसके अनुसार सिविल अस्पताल के सामने जो कुष्ठ रोगी रहते हैं, क्या उनको भी हटा कर उसी स्थान पर भेजा जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वह स्कीम जो आयेगी उसके अनुसार भवन निर्माण के लिये या और जो योगदान सरकार दे सकेगी वह देगी । यह इसीलिये है ही ।

श्री विजयसिंह—

प्रदेश में ऐसे कितने कुष्ठ रोगियों के केन्द्रों की सरकार ने व्यवस्था की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आप प्रश्न करेंगे तो सूचना मंगा कर दी जा सकती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार प्रदेश के स्तर पर कोई ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रही है कि कुष्ठ रोगियों को एक स्थान पर रख कर उनकी दवा का प्रबन्ध किया जाय और जो स्वस्थ हो जायें उनको अच्छा कारोबार दिया जाय जिस स वे अपना पालन पोषण कर सकें ?

श्री अध्यक्ष—

सारे सूबे में क्या करेंगे ?

*४०-४२—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले में जनशक्ति योजना में सड़कें

*४३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण जन शक्ति के उपयोग के योजनानुसार जौनपुर जिले के रामनगर मड़ियाहू रामपुर विकास क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों के निर्माण की योजना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस योजना क अन्तर्गत फिलहाल जौनपुर जिले के कथित विकास क्षेत्रों में सड़क निर्माण की कोई योजना नहीं ली गई है ।

*४४—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार ग्रामीण जनशक्ति उपयोग की योजनानुसार मड़ियाहू से तरती होकर चौमोहानी वाराणसी तक जाने वाली सड़कों को पक्की कराने की योजना बनायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, इस सड़क को पक्की करने के बारे में विचार किया जावेगा ।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत जौनपुर से कौन सी सड़कें लेने की योजना बनाई गई हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पंचम चरण के लिये तीन सड़कों का नाम आया है जो रामनगर ब्लाक, मड़ियाहूं ब्लाक और रामपुर ब्लाक में हैं। कुल लागत १७ लाख ४० हजार के करीब आती है। इनको पंचम चरण में लेने का प्रस्ताव है। और चौमुहाना वाराणसी सड़क का प्रस्ताव जिले से नहीं आया है। अगर आयेगा, तो सरकार बिचार करेगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

पंचम चरण से उनका क्या मतलब है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जन शक्ति योजना का जो विभाजन प्लानिंग कमीशन ने किया है, उसको फेजेज में बांट दिया है। थर्ड फेज की स्वीकृति मिल चुकी है और चौथे चरण की योजना प्लानिंग कमीशन के सामने है और तब तक पंचम योजना को हम स्टेट लेविल पर बना रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

प्रथम चरण के जो काम बाकी रह गये हैं वह दूसरे चरण में लिये गये या पांचवी और छठी फेज में डाल दिये गय ?

श्री राममूर्ति—

यह मुनासिब बात है और ऐसा ही होता है। पहले वाले में जो सड़क रह जाती है, वह दूसरे साल में चली जाती है। इसी तरह से जो पंचम चरण के होंगे वे अगले साल में चले जायेंगे।

श्री बलवानसिंह—

मंत्री जी बतायेंगे कि जिला परिषद् के जो पास हो कर आते हैं उसके साथ-साथ क्या कामर्शियल बेसिक को ध्यान में रख कर सड़कों को प्रायरिटी देंगे जिससे काश्तकारों को फायदा हो सके ?

श्री राममूर्ति—

इस बात का ज्यादा खयाल रखा जाता है कि कामर्शियल प्वाइंट आफ व्यू से जो सड़क इम्पारटेंट होती है, उनको प्रायरिटी की दी जाती है।

श्री जगन्नाथ राव—

मंत्री जी बतायेंगे कि मड़ियाहूं से तरती होकर जो चौमुहानी सड़क जाती है, उसको पक्की कराने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने निवेदन किया क्योंकि दो पार्ट हैं, मड़ियाहू से तरती तक १० मील सड़क को पंचम चरण के लिये प्रस्तावित किया गया है। लेकिन तरती से चौमुहानी की सड़क का प्रस्ताव जिले से नहीं आया है, यह दूसरे पार्ट में है।

फर्रुखाबाद जिले में विकास क्षेत्रों की जीपें

*४५—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे कौन-कौन विकास क्षेत्र हैं जिनकी जीप गाड़ियां अरसे से खराब हैं और जिनकी ठीक हैं उनकी जिले के हेड क्वार्टर पर ही रख कर अधिक इस्तेमाल की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी सही रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री राममूर्ति—

उक्त जिले के किसी विकास क्षेत्र की गाड़ी अरसे से खराब नहीं है और न विकास क्षेत्रों की गाड़ियों का अधिक इस्तेमाल जिले के मुख्यालय पर ही होता है ?।

*४६-४७—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

श्री उमादत्त, प्रधान, ग्राम सभा, तिलोकपुर के विरुद्ध आरोप

*४८—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) तथा सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री उमादत्त, प्रधान, ग्राम सभा, तिलोकपुर, विकास क्षेत्र मुजेहना, तहसील व जिला गोंडा ने दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ को पंचायत टैक्स नाजायज तौर से वसूली किया था, जिससे वहां की जनता ने अधिकारियों तक सूचना की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्री उमादत्त, प्रधान, ग्राम सभा तिलोकपुर, ने जायज तौर से दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ को पंचायत टैक्स की वसूली कुर्की द्वारा करने में पंचायत मंत्री की सहायता की, जिसे कुर्क अमीन के अधिकार प्राप्त थे। इस सम्बन्ध में दिनांक २६ अक्तूबर, १९६२ को गांव सभा तिलोकपुर की जनता ने जिलाधीश को एक प्रार्थना-पत्र दिया, जिसकी जांच सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा कराई गई। प्रार्थना-पत्र तथ्यहीन होने के कारण जिलाधीश के आदेश दिनांक १७ दिसम्बर, १९६२ द्वारा निक्षेप कर दिया गया।

*४९—श्री सुखदेवप्रसाद तथा सरदार बलदेवसिंह—

क्या यह सत्य है कि उक्त प्रधान ने पुरानी रसीदों के अनुसार २६६ रुपये पंचायत टैक्स वसूल करके गबन कर लिया जिस पर नियोजन विभाग ने गबन-केस चलाया है, जिसके जांच में उप-निदेशक पंचायत राज गये थे? उसका अब तक क्या परिणाम हुआ? सरकार बताने की कृपा करेगी कि साथ ही पुलिस विभाग द्वारा जांच अब तक क्यों नहीं हुई और यदि हुई, तो क्यों नहीं जनता को बताया गया?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रधान के विरुद्ध २३६ रु० १० नये पैसे के गबन का आरोप उनके द्वारा गांव सभा के अभिलेखों को न प्रस्तुत किये जाने के कारण लगाया गया है। इस मामले की आवश्यक जांच करके कार्यवाही करने के लिये आरक्षा अधीक्षक को लिखा गया। पुलिस विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक १-२-६४ द्वारा सूचित किया कि अभिलेखों के अभाव में प्रधान के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। उसके पश्चात् परगनाधीश, गोंडा से प्रधान को निलम्बित करके उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया है। उप-निदेशक, पंचायत राज, श्री सुखदेव प्रसाद द्वारा वर्ष १९६२ में पूछे गये तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में जिला पंचायत अधिकारी, गोंडा द्वारा प्रेषित उत्तरों व सूचनाओं के विषय में स्थिति की जांच करने के हेतु गये थे।

श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब उक्त प्रधान ने अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया इस कारण से क्योंकि गबन किये हुए था और कागज को जला दिया, तो उन पर मुकदमा चलाने का प्रश्न क्यों नहीं उठता?

श्री बंशीधर पांडेय—

विभाग ने पुलिस विभाग को लिखा कि मुकदमा चलाया जाय लेकिन थानेदार और एस० पी० ने रिपोर्ट दी कि चूंकि सारे कागज जो सबूत बनते, वह नहीं हैं इसलिये उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। अतः पंचायत राज विभाग ने स्वयं विभागीय कार्यवाही करने के लिये एस० डी० ओ० को लिखा है कि पहले प्रधान को मुअत्तल किया जाय और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय।

श्री सुखदेवप्रसाद—

मन्त्री जी बतायेंगे कि जब १९६२ का केस है और १९६४ तक तय नहीं हो पाया और पुलिस वाले उस केस में स्वयं वसूली कराने के लिये पंचायत अधिकारी के साथ नाजायज तरीके से टैक्स दोबारा वसूल कराये हैं, जिसके लिये काश्तकारों के पास रसीदें पहले से मौजूद हैं, तो प्रधान ने गबन किया है पंचायत के धन का। जब डिप्टी डायरेक्टर वहां गये थे तो उन्होंने क्या दोष पाया और अब तक उचित कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—

अब पंचायती राज प्रणाली में कोई चीज जांच पड़ताल में उलझ जाती है तो देर लगती ही है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मन्त्री जी ने कहा कि पुलिस वालों ने कह दिया कि कागजात नहीं हैं इसलिये मुकदमा नहीं चल सकता। आरोप प्रधान के खिलाफ है, उन्होंने धन इकट्ठा किया और काउन्टरफाइल्स सब के पास हैं, क्या उस आधार पर उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि पुलिस वालों का कहना है कि जिन कागजात को सबूत बनाया जा सकता था वह कागजात नहीं है, इसलिये केस नहीं चला सकते।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट—

पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, काउन्टरफाइल्स से भी मुकदमा चल सकता है।

श्री राममूर्ति—

एस० पी० की रिपोर्ट है कि मुकदमा चलाने के लिये जितने कागजात चाहिये वह नहीं हैं, इसलिये डिपार्टमेंटल कार्यवाही की बात सोच रहे हैं।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

उत्तर में बताया गया कि गबन किया गया और यह साबित हो चुका है, तो अभी तक उस राशि को वसूल करने का क्या प्रयास किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विभागीय कार्यवाही हो रही है । १९४९–५६ तक और १९५८–१९५९, १९६० के रसीद बहियों का सवाल है जो कुल मिला कर २३६ रु० १० न० पै० का है। वही कागजात नहीं मिल रहे हैं। इसलिये विभागीय कार्यवाही के लिये एस० डी० ओ० को लिख दिया गया कि प्रधान को निलम्बित किया जाय और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। तो जांच में सब बातें देखी जायंगी ।

श्री रघुपालसिंह—

जिन काश्तकारों ने टैक्स पहले से जमा कर दिया है, तो क्या मन्त्री जी अपने विभाग द्वारा जांच करा कर कि लोगों के पास जो पहले की रसीदें हैं वह सही हैं या गलत हैं, जो पैसा दुबारा जमा हो गया है, वह वापस करायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिनके पास रसीदें हैं वह देंगे, तो देखा जायगा कि दोबारा जमा हो गया है या क्या है।

*५०—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय

*५१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कितने राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल खोलने का निश्चय किया गया था और योजनाकाल के प्रथम तीन वर्षों में कितने अस्पताल खोले गये और कहां-कहां और इन तीन वर्षों में कितने अस्पताल खोलने का लक्ष्य था?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल दस, वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में दो, १९६४-६५ में चार तथा १९६५-६६ में चार राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य था। गत वित्तीय वर्ष में ऐसे दो चिकित्सालयों के स्थापन्न के आदेश जारी किये गये जिनमें से एक जिला हरदोई तथा दूसरा किशोर गांव, रेवसा ब्लाक, जिला सीतापुर में होगा।

*५२—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों का वेतन-क्रम क्या है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

१२०-४-१६०-द० रो०-८-२०० रु० प्रति माह।

*५३-५५—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

ग्राम सभा, भिनिहनी के प्रधान के विरुद्ध आरोप

*५६—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान, ग्राम सभा, भिनिहनी ब्लाक, बिसवां, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार और गबन की शिकायत दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ को रजिस्ट्री द्वारा जिलाधीश, सीतापुर तथा अन्य उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई? यदि हां, तो उपरोक्त प्रधान पर लगाये गये आरोपों की किन-किन अधिकारियों ने जांच की, क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। ग्राम सभा, भिनिहनी के प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन सम्बन्धी शिकायती पत्र जिलाधीश, सीतापुर एवं अन्य उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुए थे। आरोपों की जांच नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार, बिसवां द्वारा कराई गई थी। जांच के परिणामस्वरूप आरोप सही पाये गये और प्रधान को परगनाधीश द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसकी डिटेल्स क्या-क्या हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो सूचना मेरे पास है उसमें डिटेल्स प्राप्य नहीं हैं। केवल यह सूचना है कि गांव समाज की सम्पत्ति का अपहरण हुआ जिसके सम्बन्ध में प्रधान और पटवारी दोषी पाये गये और जिलाधीश ने दोनों को निलम्बित कर दिया।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन पर गांव की सम्पत्ति के अपहरण का ही आरोप है या और कोई आरोप है जो माननीय मन्त्री जी नहीं बता रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो मेरे पास सूचना उपलब्ध है उसमें तो गांव समाज की सम्पत्ति के अपहरण का ही उल्लेख है।

*५७-५९—श्री उग्रसेन—

[१०वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या २४-२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६०-६२—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री ख्याली राम (जिला लखनऊ)—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ

*६३—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ में कुल कितने मरीजों के रहने का प्रबन्ध है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ में शय्याओं की स्वीकृत संख्या ५० है, किन्तु रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण करीब १२ अतिरिक्त शय्याओं का प्रबन्ध कर लिया गया है।

*६४—श्री पातीराम अहरवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस अस्पताल में अत्यधिक बढ़ती हुई संख्या का ध्यान करके मरीजों के रहने की संख्या को बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस अस्पताल की इमारत चारों ओर से गैर सरकारी इमारतों से घिरी हुई है और इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। अतएव इस स्थिति में शैय्याओं की संख्या बढ़ाना सम्भव नहीं है।

*६५—श्री पातीराम अहरवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस अस्पताल की जगह को इन्डोर तथा आउट डोर के मरीजों की विशाल संख्या के अनुपात में नाकाफी समझती है। अतः इस जगह को सूचना विभाग की इमारत में जो बनारसी बाग के समीप है बदलने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह सत्य है कि इन्डोर तथा आउट डोर के रोगियों की संख्या को देखते हुए इस अस्पताल में जगह की कमी है, किन्तु शहर में और भी कई बड़े अस्पताल हैं जहां इस अस्पताल के रोगियों को भर्ती के लिये भेजा जा सकता है। अतः इस अस्पताल को बनारसी बाग के समीप स्थित सूचना विभाग की इमारत में अथवा कहीं स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*६६-६७--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६८--श्री शिवचरण (जिला आगरा)--

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६९--श्री राजाराम (जिला फैजाबाद) तथा श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७०--श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)--

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७१--श्री काशीप्रसाद द्विवेदी--

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गरौठा तहसील में एलोपैथिक चिकित्सालय

*७२--श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार झांसी जिले की गरौठा तहसील के अन्तर्गत तहरौली, ककरवई, टोड़ी फतेहपुर एवं सिमरधा में एलोपैथिक अस्पताल जनता के लाभार्थ खोलने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

झांसी जिले की गरौठा तहसील के उक्त स्थानों में से टोड़ी-फतेहपुर में सरकारी एलोपैथिक औषधालय है तथा तहरौली में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय है। सिमरधा ग्राम से गरौंठा स्थित एलोपैथिक औषधालय केवल ५-६ मील दूर है। गरौठा तहसील में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए सरकार तहरौली, सिमरधा व ककरवई में एलोपैथिक औषधालय खोलने पर विचार नहीं कर रही है।

*७३-७४--श्री बृजबिहारी--

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत कार्य

*७५--श्री बृजबिहारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों तथा पुलों के प्रस्ताव हैं और इन सड़कों तथा पुलों पर कार्य कब से आरम्भ होने जा रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

आजमगढ़ जिले में जो सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं और जिनपर कार्य आरम्भ हो चुका है या इस वित्तीय वर्ष में होगा, संलग्न सूची में दिया है।

चतुर्थचरण में निम्नलिखित सड़कों के भी बनाये जाने का प्रस्ताव है :—

सड़क का नाम	लम्बाई
	मील
कोपागंज-कोड़ियापार रोड	५–४
मुबारकपुर-जहानागंज रोड	२
फूलपुर से सिकरौरा-मार्टिनगंज रोड	८
फूलपुर-सिकरौरा-मार्टिनगंज रोड	४–४
कोपागंज-कोड़ियापार रोड	५–४
बूढ़नपुर-अतरैठ बाजार रोड	३
मरदापुर-टडियागंज रोड	३
निजामाबाद-फूलपुर रोड	३

उपरोक्त सड़कों पर कार्य योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही आरम्भ किया जायगा। इस समय इस योजना के अन्तर्गत कोई पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४८ पर)

श्री बृजबिहारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ चरण में स्वीकृति के लिये जिन सड़कों के नाम भेजे हैं उनकी स्वीकृति कब तक आ जाने की आशा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह मामला प्लानिंग कमीशन के विचाराधीन है। उसकी स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही कार्यवाही हो सकती है।

श्री बृजबिहारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ चरण में जिन सड़कों के नाम स्वीकृति के लिये भेजे हैं अगर उनमें कोई नदी पड़ती है तो क्या उन नदियों पर पुल के निर्माण का भी सरकार विचार रखती है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उसकी तो कोई योजना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों की सूची स्वीकृति के लिये योजना आयोग के पास भेजी है वे कौन-कौन सी हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वही तो पढ़ कर सुनाया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सूची को पढ़ कर नहीं सुनाया गया है। केवल कहा गया कि सूची संलग्न है।

श्री बंशीधर पांडेय—

जो सूची संलग्न है उसे देख लिया जाय।

श्री बृजबिहारी—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है कि इन प्रश्नों के उत्तर की प्रति जो मुझे मिली है और जो सूची दी गयी है वह पढ़ी नहीं जा सकती। ऐसी सूचना तो नहीं देनी चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

इसको आपको दोबारा दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आप तो विकास मन्त्री हैं। आप की सूची तो साफ और स्पष्ट होनी चाहिये।

औद्योगिक विवाद तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

*७६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार १९५७ से १९६३ तक वर्षवार प्रदेश के ऐसे औद्योगिक विवादों, जिन्हें श्रमायुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश के reference के अनुपयुक्त करार देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश शासन ने फैसला किये जाने के लिए श्रम अदालतों को रिफर कर दिया, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बनारसीदास—

वांछित सूची† सदन की मेज पर रख दी गई है।

*७७—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (अनुपस्थित) तथा श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि उपयुक्त अधिकारियों (Appropriate Authorities) द्वारा लिये गये निर्णयों के विपरीत जाकर शासन ने उपरोक्त में से प्रत्येक (जिन्हें रिफर किया गया) को श्रम अदालतों को रिफर क्यों किया?

श्री बनारसीदास—

उपरोक्त मामलों को पुनः विचार करने के पश्चात् इन्हें निर्णय हेतु भेजे जाने योग्य पाया गया। अतएव यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा ४ ट द्वारा प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत उपरोक्त मामलों को अभिनिर्णय हेतु भेजा गया।

*७८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित) तथा श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९६३ तथा १९६२ से प्रदेश में कितने ऐसे पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठान थे जिनका एक बार भी कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं हुआ था?

श्री बनारसी दास—

सन् १९६२ में ६ पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण नहीं हुआ। सन् १९६३ में ६० जेल फैक्टरिओं को छोड़ कर समस्त पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण हुआ।

फूलपुर तहसील में खाद्य पदार्थों में मिलावट सम्बन्धी मुकदमें

*७९—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत अक्तूबर, सन् १९६२ में जो नमूने संख्या नं० १२३ से १२९ तक लिये गये, उनमें से कितने लोग निर्दोष होने के कारण मुकदमें से छूटे?

---

† छापी नहीं गई।

*८०—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उन निर्दोष लोगों का सार्टिफिकेट क्यों रोका गया और जिन लोगों ने रोका है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

*८१—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सहसों बाजार, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में जो खाद्य पदार्थ के लाइसेंस अक्तूबर व नवम्बर, सन् १९६२ में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के यहां भेजे गये थे, वे अभी तक क्यों नहीं वापिस दिये गये ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री बंशीलाल—

पार साल से सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है यह कहां तक उचित है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

साल भर में सूचना एकत्रित नहीं हो सकी, यह ठीक नहीं है। पारसाल की सूचना यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो वह दी जा सकती है, लेकिन इन सवालों के लिये नई सूचना मंगाई गई है।

*८२-८३—श्री गनेशीलाल चौधरी तथा श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १७४-१७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर जिले में जन-शक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*८४—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कराने की योजना है तथा इस योजना में कुल कितना रुपया खर्च करने का निश्चय किया गया है ?

श्री राममूर्ति—

इस योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में, फिलहाल किसी काम के कराने की कोई योजना नहीं है।

लार्ड कृष्णा शुगर मिल के कर्मचारियों की मांगें

*८५—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या २० फरवरी, १९६४ को लार्ड कृष्णा शुगर मिल, जिला सहारनपुर के वर्कर्स ने भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं और वह किस हद तक पूरी हुईं ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। मांगों का विवरण तथा जिस हद तक उनकी पूर्ति सेवायोजकों द्वारा की गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४९-४५० पर)

राजकीय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के विवाद

*८६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के विवादों के निबटारे के लिए सन् १९५८ से जो एक स्थायी संराधन मण्डल बनाया गया है, उसके सामने अब तक कितने विवाद भेजे गये और उनमें से कितनों का अब तक फैसला हुआ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस संराधन मण्डल पर सन् १९५८ से अब तक कितना रुपया व्यय हुआ है?

श्री बनारसीदास—

१९५८ से मार्च, १९६४ तक स्थायी संराधन समिति को राजकीय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के ३४८ विवाद प्राप्त हुए, जिनमें से अब तक ३१७ विवादों का समिति द्वारा निबटारा किया जा चुका है।

स्थायी संराधन समिति पर १९५८ से मार्च, १९६४ तक कुल लगभग १,०६,००० रु० व्यय हुआ है।

*८७—श्री शिवनार्थसिंह—

[१०वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*८८-८९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९०-९१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[वापस ले लिये गये।]

इंचार्ज, सिविल अस्पताल, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतें

*९२—श्री चन्द्रबलीसिंह, कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर) तथा कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, लखनऊ में कितने ऐसे डाक्टर तथा कम्पाउन्डर हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

सिविल अस्पताल, लखनऊ में ऐसा कोई डाक्टर नहीं है जो तीन वर्ष से अधिक समय से लगातार कार्य कर रहा हो।

उक्त अस्पताल में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे कम्पाउन्डरों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) श्री एम० एच० काजमी,
(२) श्री आर० सी० मिश्र,
(३) श्री लखवीरसिंह,
(४) श्री के० के० शुक्ल,
(५) श्री हनुमान प्रसाद,
(६) श्री सुलतान अहमद
(७) श्री सुशीलकुमार श्रीवास्तव।

*९३--श्री चन्द्रबलीसिंह, कुंवर रुद्रप्रतापसिंह तथा कुंवर तेजभानसिंह---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इंचार्ज, सिविल अस्पताल, लखनऊ के विरुद्ध दो-तीन वर्ष पहले कोई शिकायत हुई थी जिसके आधार पर इनका स्थानान्तरण किया गया था ? यदि हां, तो उनको पुनः यहां रखने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

जी नहीं, इंचार्ज, सिविल अस्पताल, लखनऊ का स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर नहीं किया गया था। सितम्बर, सन् १९६० में सिविल सर्जन के रूप में उनकी पदोन्नति होने पर उनको सिविल सर्जन, पिथौरागढ़ के पद पर नियुक्त किया गया था तथा सिविल सर्जन के पद से प्रत्यावर्तित होने पर उनको ४-८-१९६१ से पुनः इंचार्ज, सिविल डिस्पेन्सरी के स्थान पर पी० एम० एस० (१) अधिकारी की हैसियत से तैनात किया गया। तत्पश्चात् इंचार्ज का स्थान अधीक्षक के पद में परिवर्तित हो जाने पर वह अधीक्षक नियुक्त किये गये और तब से वह अधीक्षक, सिविल अस्पताल, लखनऊ के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

सिविल सर्जन साहब की शिकायत पर उनका तबादला नहीं किया गया, लेकिन क्या यह सच है कि शिकायतें उनके खिलाफ कुछ थीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

कुछ शिकायतें की गयीं कि बहुत से सर्टीफिकेट दिये गये हैं लेकिन वे गलत साबित हुईं। इसलिये उन शिकायतों का आना गलत सिद्ध हुआ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

जिनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें आती हैं और अगर वह सिविल सर्जन अथवा दरोगा हो तो वह और भी स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ गवाहियां जल्दी नहीं मिल पाती हैं, लेकिन वे शिकायतें सही होती हैं, तो ऐसी शिकायतें आने पर पुनः उसी जगह पर उनको ले आने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

सारी शिकायतें बिलकुल निराधार थीं, अच्छी तरह से उन्हें जान लिया गया तब यह कार्यवाही की गयी।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

४-८-६१ से वह पुनः लखनऊ में आ गये हैं। तीन साल की अवधि हो गयी शिकायतों को प्राप्त किये हुए। कम्पाउन्डर भी तीन साल से ज्यादा के हो गये हैं। तो ऐसे मौके पर क्या उनका ट्रान्सफर करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कि शिकायतें बिलकुल निराधार थीं और उनके आधार पर अगर ट्रान्सफर हो, तो यह गलत चीज है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

जिन डाक्टरों के खिलाफ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए वह गलत थे या सही थे लेकिन उन पर विचार करने के पहले ही उनकी पदोन्नति करके सिविल सर्जन बना दिया गया, यह कहां तक उचित है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह जनरल शिकायतों के सम्बन्ध में बात हुई। लेकिन उसके बाद उनका टर्न था जिससे उनको तरक्की देकर भेज दिया गया। उन शिकायतों का कोई सम्बन्ध उससे नहीं है। बाकी जांच की गयी कि जो इस तरह की अफवाह है वह कहां तक सच है, वह निराधार निकली।

छोटी सरजू पर महाराजगंज का पुल बनाने की प्रार्थना

*९४---श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)---

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के महाराजगंज नामक स्थान पर बहने वाली नदी (छोटी सरजू) पर पुल बनाने के लिये जनता तथा ग्राम सभा के प्रधानों की ओर से कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं तथा उक्त उद्देश्य के लिये जनता से चन्दे के रूप में कितना धन इकट्ठा किया गया है और वह पैसा कहां रखा गया है ?

श्री राममूर्ति---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*९५---श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)---

क्या मंत्री जो सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से उक्त नदी पर शीघ्र एक पुल बनवाने का आदेश देंगे ?

श्री राममूर्ति---

इसका प्रश्न इस समय नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

हथियाराम ग्राम के लिए चिकित्सालय व बहरियाबाद चिकित्सालय की इमारत

१---श्री राजनार्थासिंह (जिला गाजीपुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हथियाराम, जिला गाजीपुर में सरकार कब से फोर बेडेड आयुर्वेदिक औषधालय खोलने जा रही है, जिसकी छानबीन की सारी कार्यवाही समाप्त हो चुकी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

ग्राम हथियाराम, जिला गाजीपुर का नाम संहत प्रस्तावों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्थानों का चुनाव करते समय उक्त ग्राम का भी ध्यान रक्खा जायगा।

२---श्री राजनार्थासिंह---

क्या सरकार को मालूम है कि बहरियाबाद, जिला गाजीपुर के औषधालय में केवल कम्पाउन्डर की ही नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्यों ? उस औषधालय की इमारत बनवाने की क्या योजना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जी नहीं, बल्कि कम्पाउन्डर के अतिरिक्त एक चिकित्साधिकारी (हकीम) की भी नियुक्ति का प्राविधान है। प्रश्न नहीं उठता। उक्त औषधालय की इमारत बनवाने की अभी तक कोई योजना नहीं है।

प्रतापगढ़ जिले में गोशालायें

३---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ के ढ़िगवस व सांगीपुर स्थानों में सन् १९५२ से लेकर फरवरी, १९६४ तक क्या जिला नियोजन विभाग ने गोशालायें बनाई हैं ? यदि हां, तो किस नम्बर की भूमि में, तथा उनमें अब कितनी-कितनी गौवें अलग-अलग रहती हैं ?

श्री राममूर्ति---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, लखनऊ के कार्यालय में क्लर्कों के रिक्त स्थान

४---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में क्लर्कों के स्थायी स्थान जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं, कितने, कब से अब तक रिक्त पड़े हैं और क्यों ?

श्री बनारसीदास---

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में क्लर्कों के कुल ४८ स्थायी स्थान इस समय रिक्त हैं । एक जूनियर क्लर्क का स्थायी स्थान १९५६ से रिक्त है। शेष ४७ स्थान १९६२ से रिक्त हैं ।

एक जूनियर क्लर्क का स्थायी स्थान १९५६ से रिक्त होने का कारण यह है कि उस स्थान पर जिस कर्मचारी की स्थायी नियुक्ति थी, वह अन्य विभाग में चला गया । सन् १९६२ में उस विभाग से सूचना मिली कि वह कर्मचारी वहां सन् १९५६ से स्थायी हो गया है । शेष ४७ स्थान सन् १९६२ से रिक्त हैं । इन रिक्त स्थानों की पूर्ति जिन कर्मचारियों द्वारा होनी है उनके कार्य इत्यादि के बारे में आवश्यक विवरण एकत्रित किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त उनमें से कुछ व्यक्तियों के वरिष्ठता से सम्बन्धित प्रतिवेदन पत्र (Representation) भी विचाराधीन है ।

५---श्री शिवनाथसिंह---

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

विकास खण्ड, फूलपुर में ग्राम सेवक

६---श्री बलवानसिंह, श्री दौलतलाल तथा श्री मंगलदेव---

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, फूलपुर, आजमगढ़ के नौनियांडीह और पल्थी ग्राम सेवक सर्किल में दो-दो ग्राम सेवक कार्य कर रहे हैं और राजापुर तथा कनेरी ग्राम सेवक सर्किल वगैरह ग्राम सेवक की है ? अगर हां, तो रिक्त क्षेत्रों में कब तक ग्राम सेवक रखे जायेंगे ?

श्री राममूर्ति---

वस्तुतः अभी तक नौनियांडीह के दो ग्राम सेवक नौनियांडीह तथा कमेरी दोनों ही क्षेत्रों की देख भाल कर रहे थे । इसी प्रकार पहले के दो ग्राम सेवक परसों तथा राजापुर क्षेत्रों का ही कार्य देख रहे थे । ऐसी व्यवस्था पुराने कार्यों की पूर्ति के अभिप्राय से थी । दिनांक १२-४-६४ से, नियमित रूप से, चारों क्षेत्रों में एक-एक ग्राम सेवक कार्य कर रहा है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मैनपुरी

७—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६४ ई०) के पहले बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मैनपुरी, जो किराये की इमारत में चल रही है उसका और विद्यार्थियों के छात्रावास का इस समय कितने रुपये माहवार किराया देना पड़ रहा है ?

श्री बनारसीदास—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मैनपुरी की इमारत का वर्तमान किराया ७५० रु० प्रति माह है। विद्यार्थियों के छात्रावास के लिये दो इमारतें किराये पर ली गई हैं जिनका कुल किराया १४० रु० माहवार है।

वाराणसी जिले में बिना डाक्टरों के अस्पताल

८—श्री रघुनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर और जिले में कुछ ऐसे अस्पताल हैं, जहां कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो उन अस्पतालों का नाम क्या है और वहां रोगियों की चिकित्सा की क्या काम चलाऊ व्यवस्था है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वाराणसी जिले के निम्नलिखित चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं—

(१) धानापुर,
(२) बरगांव,
(३) बिरांव,
(४) रामपुर कलां,
(५) चाहनियां,
(६) चकिया (महिला),
(७) आराजी लाइन।

इन चिकित्सालयों का कार्य कम्पाउण्डरों द्वारा चलाया जा रहा हैं।

कोसी कलां के चिकित्सालय

९—श्री लखीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा की नगरपालिका कोसी कलां में अस्पताल है ? यदि हां, तो उसमें नगरपालिका तथा सरकार की तरफ से कितने रुपये की औषधि सन् १९६३ में तथा फरवरी, १९६४ तक दी गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। कोसी कलां में एक पुरुष और एक महिला चिकित्सालय हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

(१) पुरुष चिकित्सालय—

यह नगरपालिका कोसी कलां द्वारा संचालित है। इस चिकित्सालय के लिये सन् १९६३ में नगरपालिका के कोष से रुपये ३,६२८.३९ न० पै० तथा राज्य सरकार की ओर से रुपये ४५०.०० की औषधियां खरीदी गयीं। सन् १९६४ के फरवरी के महीने तक रुपये ५३०.३४ न० पै० की औषधियां नगरपालिका के कोष से खरीदी गयीं।

(२) महिला चिकित्सालय--

यह राज्य सरकार द्वारा संचालित है। सन् १९६३ में रुपये २,२७८.४८ न० पै० तथा सन् १९६४ के फरवरी में महीने तक रुपये १,१०८.२८ न० पै० की औषधियां इस चिकित्सालय के लिये राज्य सरकार के कोष से खरीदी गयीं।

१०--श्री लखीसिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय कोसी कलां में बिजली का प्रबन्ध है? यदि हां, तो मरीजों के कमरों में कितने पंखे और चारपाइयां हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस चिकित्सालय में बिजली का प्रबन्ध नहीं है, इसलिये बिजली के पंखों के लगने का प्रश्न नहीं उठता। इसमें रोगियों के लिये ६ चारपाइयों का प्रबन्ध है।

राजकीय अस्पताल, मधुबन

११--श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक अस्पताल, मधुबन, जिला आजमगढ़ में चालू वर्ष में कितने रोगियों को दवाइयां वितरित की गयीं और दवाइयों के लिये वर्ष में कितना रुपया दिया गया था?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

राजकीय अस्पताल मधुवन, जिला आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में ३४,२७३ वहिर्वासी (Out door) और ८९ अन्तःवासी (Indoor) रोगियों को चिकित्सा और दवा दी गयी और इस वर्ष दवाइयों पर २,५०० रु० आवर्तक (Recurring) और ५०० रु० अतिरिक्त धनराशि व्यय हुई।

नगरपालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, कल से बराबर यह अफवाह बड़ी तेजी के साथ उड़ रही है कि सरकार नगरपालिकाओं के चुनाव में और विलम्ब करने जा रही है। पहले ६ तारीख मुकर्रर हुई थी, फिर ११ हो गयी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव बिल्कुल पोस्टपोन करने का इरादा है? ऐसा भ्रम फैल गया है। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में वे कुछ स्पष्टीकरण दे दें, जिससे यह भ्रम दूर हो जाय। कल सदन उठने जा रहा है। तो आप एक वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मन्त्री जो कुछ कहेंगी?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

आपको स्मरण होगा कि तीन दिन पहले ऊदल जी ने यह सवाल उठाया था और उन्होंने सुझाव दिया था कि इसको देरी से कर दिया जाय। उसके बाद मेरे पास बहुत से लोग आये हैं कि उस वक्त गरमी के कारण दिक्कत होगी। तो अभी सोच-विचार किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

जब पहले यह संशोधन विधेयक आया था उस वक्त मैंने यह हाउस के अन्दर कहा था कि "३० जून, १९६४" जो शब्द रखे गये हैं उससे सरकार फिर गर्मी का बहाना लेगी और फिर पोस्टपोन करेगी। तब तो सरकार ने माना नहीं। फिर आज क्या वजह है कि एक आदमी के सुझाव पर फिर टालने का प्रयत्न किया जा रहा है जबकि सारी तैयारियां मुकर्रर हो चुकी हैं, सब जगह निर्वाचन की तिथियां निश्चित हो चुकी हैं। अब लास्ट मिनट पर निश्चय बदलना कहां तक उचित होगा। सिर्फ एक बात यह बाकी रह गयी है कि पहली तारीख को गजट होना था आज ६ तारीख हो गयी अभी तक वह नहीं किया गया, उसका क्या कारण है ?

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस आक्षेप का प्रश्न है कि हम उस तारीख को बढ़ाना चाहते हैं, यह बात सही नहीं है। उन्हीं डेट्स में मुहर्रम भी पड़ता है और उसके साथ-साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने शायद आपको स्वयं भी याद होगा, यह प्रश्न उठाया था। बहुत से साथी विरोधी पक्ष के, आज चाहे कुछ भी कहें, जब कल मुझ से बात चीत हुई थी तो उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया था कि अगर आप तिथि हटा दें तो ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि मौसम भी गरम है और मुहर्रम भी है। उसके बाद कोई आफ्टर थाट हुआ हो तो मैं जानता नहीं। गवर्नमेन्ट ने क्या तय किया यह तो मुख्य मंत्री जी बतायेंगी मगर क्या भूमिका थी वह मैंने अर्ज कर दी।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय नवलकिशोर जी ने कही है मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस सम्बन्ध में विरोधी दल की ओर से निश्चित रूप से हस्ताक्षर करा के मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया गया है कि जो निश्चित तिथि है उसको किसी तरह बढ़ाया न जाय। इसलिये यह कहना कि विरोधी दल के लोग भी हमको यह सलाह दे रहे हैं सही नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव टालने के प्रयत्न हो रहे हैं। हम लोगों ने निश्चित हस्ताक्षर करके मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है ताकि सरकार किसी तरह से विरोधी दल की बात कह कर चुनाव न टाले।

दूसरे मैं यह भी निवेदन कर दूं कि पिछले दिनों जब यह बात हुई थी कि ६ महीने की मियाद बढ़ाई जा रही है उस वक्त निश्चित रूप से हमने कहा था कि फरवरी में चुनाव करा दिये जायं, आप जून तक क्यों बढ़ाना चाहते हैं तो कहा गया था कि मैं आश्वासन देता हूं, आखिरी जून तक तो इसलिये बढ़ाना चाहते हैं कि तब तक किसी न किसी तरह चेयरमैन का एलेक्शन हो जायगा।

सरकार का किसी तरह से इरादा नहीं है कि इलेक्शन को टालें। हम लोगों ने निश्चित रूप से कहा था कि फरवरी में चुनाव कराये जायं। तब कहा गया था कि इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिये कि हम चुनाव टाल देंगे। इसलिये अब यह कह कर चुनाव टाला जाता है कि लोगों का ऐसा ख्याल है कि गर्मी के कारण चुनाव नहीं होने चाहिये। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग निश्चित रूप से कहते हैं कि चुनाव निश्चित तिथि पर होने चाहिये। अगर सरकार टालेगी तो अच्छी परम्परा नहीं होगी और इस का विरोध डट कर होगा।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी का यह कहना है कि सरकार सोच विचार कर रही है। आज तक सरकार ने नोटीफिकेशन नहीं किया है और वह असमंजस में बैठी हुई है कछुये की तरह से। यह स्थिति खतरनाक है। या तो वह चुनाव करा दें या कह दे कि नहीं करायेंगे। मुख्यमंत्री आप हैं, हम से क्या कहते हैं। अगर आपने किसी तिथि को करने को कहा है तो उस तिथि को चुनाव करा दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं को बुला लिया जाय। किसी सदस्य ने क्या कहा यह प्रश्न नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी भी इलेक्शन कराने के पक्ष में है। ऊदल जी ने भले ही कह दिया होगा। ६/७ साल पहले ही हमारा इलैक्शन हो जाना चाहिये था। १९६१ में सेंसेस हुई तो सरकार ने उस समय ले लिया, लेकिन अब इलेक्शन्स पोस्टपोन नहीं होने चाहिये। हम सब लोगों को आज या सुबह बुला लिया जाय और फैसला कर दिया जाय।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, गलतफहमी हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह एक पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन जनता की तकलीफ को देखकर और मुहर्रम को देखकर यह किया जा रहा है और इसमें बहुत से लोगों की राय है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, आपका तर्क देखिये कि गर्मी की वजह से चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं, लेकिन पारसाल फर्रुखाबाद और अमरोहा में गर्मी नहीं थी। आपका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है इसलिये उसके ऊपर लांछन नहीं आता है। आप इतने कमजोर और खोखले हो गये हैं.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय दीपनारायण जी, यह बहस का मौका नहीं है। आप ने जो बात कही वह सुन ली गई।

श्री दीपनारायणसिंह--

श्रीमन्, अगर यह हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तो जो गद्दी पर बैठे हुये हैं उनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया जाता है। यह नीयत अच्छी नहीं है। जनता के दिमाग में यह बात पैदा हो रही है कि इनके जीतने की उम्मीद नहीं रह गई है, इसलिये यह तर्क अपना रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

दीपनारायण सिंह जी सुन लीजिये। बात यह है कि यह बहस नहीं हो रही है। आप जो चाहते हैं कह दीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह--

माननीय ऊदल की राय कम्युनिस्ट पार्टी की राय नहीं है। विभिन्न पार्टियों के नेताओं को बुला कर माननीय मुख्य मंत्री जी बैठ जायं। अगर उनकी राय एकमत हो तो बढ़ाया जाय, लेकिन अगर एक भी विरोध करे तो चुनाव नहीं बढ़ना चाहिए। जनता चुनाव के लिए तैयार है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी यह बता दें कि आज ६ तारीख को नोटीफिकेशन होने वाला था वह हुआ है या नहीं, यदि नहीं हुआ तो कब होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

अभी उन्होंने कहा कि उस पर हम विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप क्या चाहते हैं? अगर इस सम्बन्ध में आप विचार करना चाहते हैं, जैसा कि माननीय नेकराम शर्मा और दीपनारायण सिंह जी ने कहा है तो आप बातचीत कर लीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र---

जब तक इस समस्या पर पूरी तरह से विचार न कर लें तब तक नोटिफिकेशन न करें।

श्री अध्यक्ष---

आप बिला वजह बहस कर रहे हैं। गवर्नमेन्ट एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा इस सदन में बयान दे चुकी है। अब वह जैसा उचित समझती हैं, वह नेता विरोधी दल से और अन्य दलों के नेताओं से बातचीत करके, या जैसा उचित समझें अपना कार्य-क्रम स्थित करें। इस वक्त आप कहेंगे कि एलेक्शन न करें तो पचास आदमी कहेंगे कि करें, दूसरे फिर और कुछ कहेंगे। इस तरह से कोई चीज तय नहीं होती। यह तरीका बताया गया है, माननीय मुख्य मंत्री अपने विवेक के अनुसार करेंगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

आपके समक्ष सदन के अन्दर बीसों बार खुले तौर पर निश्चित तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन होंगे। जो विश्वास दिलाया गया है आप उसे पूर्ण करवाने में सहायता करेंगे या नहीं करेंगे?

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। उसको मैंने अस्वीकार किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरा है। इस पर आप बयान दिलवा दें। यह तो ज्यादती है हमारे साथ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन---

हवाई अड्डे पर हमने प्रदर्शन किया।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये या सदन छोड़िए।

श्री उग्रसेन---

जब हाउस आफ कामन्स का अध्यक्ष गुस्से में आता है तो वह अध्यक्ष नहीं रह जाता है।

श्री अध्यक्ष---

बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन---

मैं बैठ रहा हूं। (श्री उग्रसेन ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

श्री अध्यक्ष--

मुझे बड़ा अफसोस है कि एक चीज जो नियम के अन्तर्गत मुझे अधिकार है, एक प्रस्ताव भेजा गया, मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि उस प्रस्ताव की भाषा अत्यन्त अशिष्ट थी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

देखिये श्रीमन्, यह कहने का आपको हक नहीं है कि भाषा अशिष्ट है।

(व्यवधान--श्री उग्रसेन के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

अगर माननीय उग्रसेन जी, आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें। (शोर) आप सदन छोड़ें (शोर) मैंने उसको रूल आउट किया है। मेरे लिये आवश्यक नहीं है कि मैं कोई कारण बताऊं। (शोर)।

श्री उग्रसेन--

कम से कम आप पढ़ देते।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा।

श्री उग्रसेन--

यही कह देते कि मैं नहीं पढ़ूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ आप से जानना चाहता हूं कि अशिष्ट भाषा किसे कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जब आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि सभ्य समाज में नहीं कहे जाते तो वह अशिष्ट भाषा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

वह तो आपने पढ़ा नहीं तो कैसे मालूम होगा .... (शोर)

श्री अध्यक्ष--

यह मैं तय करूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री उग्रसेन--

श्री जवाहरलाल नेहरू को लकवा मार गया है ..... (शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन आप सदन छोड़ें।

(श्री उग्रसेन ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस समय कामरोको प्रस्ताव लिया तो माननीय सदन के किसी माननीय सदस्य को नहीं पता था कि क्या कामरोको प्रस्ताव है। आपने कहा कि आप ने उसे खारिज कर दिया है। किसी माननीय सदस्य को नहीं पता था कि क्या उसको भाषा है। तो मैं आपको व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप का इस तरह बिना बताये खारिज करना किसी नियम के अन्तर्गत संगत है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप कृपा करके इस सदन के निर्णयों को देखें और जो इस सदन के सदस्य रह चके हैं वह जानते हैं कि बीसों निर्णय कार्य स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में हैं कि प्रस्ताव अस्वीकार करने के कारण बताने का आवश्यकता नहीं है यह सूचना पर्याप्त है कि मैंने उसे खारिज कर दिया। चूंकि उस पर माननीय उग्रसेन ने विवाद पैदा किया और बोलने लगे तब मैं उनसे कहने के लिये मजबूर हो गया कि वह भाषा जो आपने प्रस्ताव में प्रयोग की है माननीय प्रधान मंत्री के प्रति मैं समझता हूं कि वह अशिष्ट है। अगर आप नियमों को अध्ययन करें तो देखेंगे कि नियम ३०४ में इस तरह का अधिकार अध्यक्ष को है कि वह किसी भी भाषा को जो अशिष्ट है उसको अपने विवेक से तय करेगा और निकाल देगा।

श्री राधेश्याम शर्मा--

बिना विषय बताये ?

श्री अध्यक्ष--

कोई आवश्यकता नहीं है बताने की।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ... (शोर) वह भाषा कौन सी है .... (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं तो मैं बताऊं। जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है वह अस्वीकृत हो चुका है।

नहर माट ब्रांच के बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा मथुरा क्षेत्रों के सभी रजबहों, माइनर तथा कुलाबों को बन्द करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रामचन्द्र विकल की सूचना मैंने स्वीकार की है, वह पढ़ी जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, प्रदर्शन में इतने लोग पीटे गये, घसीटे गये ....(व्यवधान) .

श्री अध्यक्ष--

अगर आप चुप रहें तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैं स्वयं चाहता हूं लेकिन, आप तो उल्टी बात करते हैं। (व्यवधान) अधिकारों की रक्षा इस तरह नहीं होती कि आप गलत आरोप लगायें।

सचिव, विधान सभा—

"माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करने की सूचना देता हूं। आशा है आप स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

नहर मांट ब्रांच का क्षेत्र जो तहसील सिकन्दराबाद व खुर्जा जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत आता है तथा जिला अलीगढ़ व मथुरा में भी पड़ता है उसमें सरकार द्वारा सभी रजबहे, माइनर तथा कुलाबों को एक साथ बन्द कर दिया गया है। किसानों में फसल न बोय जाने तथा भविष्य की सिंचाई असुविधा के लिये भारी असंतोष है, जिसका, कुप्रभाव देश की खाद्य सामग्री पर भी गहरा पड़ने वाला है।

अतः निवेदन कि इस विषय पर माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाय।

भवदीय,

रामचन्द्र विकल,

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि इस पर माननीय सिंचाई मन्त्री कल बयान दे दें। इसके लिये वह शीघ्रातिशीघ्र सूचना मंगाने की कोशिश करें।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

कोशिश की जायगी।

प्रधान मंत्री के गोरखपुर आगमन पर हुई कथित घटना के सम्बन्ध में गृह मन्त्री के वक्तव्य की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रधान मन्त्री अब की बार जब गोरखपुर गये थे तो उनके वहां पर पहुंचने पर कुछ घटनाएं हुईं। अखबारों में भी उसके विषय में छपा ह। म चाहता हूं गृह मंत्री जी उसके ऊपर तथ्य मालूम करके कल बयान दे दें।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

यदि सम्भव हो सका तो।

श्री अध्यक्ष—

कोशिश कीजियेगा।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं कोशिश करूगा।

अन्य सूचनाओं पर होने वाले वक्तव्य की सूचना

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

उरई के बारे में स्टेटमेंट कल दे दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

८ और ११ तारीख के लिये जो वक्तव्य थे वह कल देने के लिये कह दिया गया है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

वक्तव्य देने के लिये जिस ढंग से उन्होंने कहा वह आपने देखा। वह कहते हैं कि यथा-सम्भव कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष--

वह कोशिश करेंगे। अब कोई ऐसी बात हो जाय जिसके ऊपर उनका कंट्रोल न हो तो दूसरी बात है।

विभिन्न समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए सदन की बैठक को एक दिन बढ़ाने की मांग

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, जो आप ने कार्य-क्रम बनाया है उसके अनुसार कल ७ तारीख को २७ समितियों का चुनाव होना है। चूंकि प्रपोर्शनल रिप्रिजेन्टेशन से वह होगा तो मैंने उसका हिसाब जोड़ा। १४, १४ सदस्यों की एक-एक में आवश्यकता है। करीब-करीब ४०० प्रिफरेन्शियल लगाने पड़ेंगे। किसी भी हालत में २८१ प्रिफरेन्स से कम एक को नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिये २, २ घंटे से कम किसी भी हालत में नहीं लगेंगे। कोई भी तरीका नहीं है कि २७ समितियों का चुनाव एक दिन के अन्दर समाप्त हो सके। अगर उनके लिये १०० बूथ भी बना दिये जायं तब भी वह एक दिन में नहीं होगा। मेरी दरख्वास्त है अगर ३ दिन न हो सके तो २ दिन का समय अवश्य इनके लिये दिया जाय ताकि ७ और ८ में यह चुनाव समाप्त हो सके। यह एक दिन में समाप्त होना सम्भव नहीं है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

जब कभी इन समितियों का चुनाव हुआ है एक दिन में ही खत्म हुआ है। यह बात जरूर है कि अगर ४ घंटे का समय इनके लिये रखा गया है तो उस समय को बढ़ा दिया ज़ाय, लेकिन हमेशा कमेटियों का चुनाव एक दिन में ही समाप्त हुआ है।

श्री नवलकिशोर--

मैं यह कहूंगा कि आज तक १२ साल में २७ कमेटियों का चुनाव एक दिन में कभी खत्म नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर दूं कि कल आपने यह तय किया है कि ७ को यह सदन उठ जायगा। मैं समझता हूं ८ तारीख को हम नान-आफिशियल डे मानकर नान-आफिशियल बिजनेस ले लें। इस तरह से ७, ८ को दो दिन एलेक्शन हो जाय। मैं इसलिये कह रहा हूं कि अभी पारसाल की बात है कि लोक सभा में एक प्रश्न आया था कि निलंबित व्यक्ति वोट दे सकता है या नहीं? तो स्पीकर, लोक सभा ने यह निर्णय दिया कि एलेक्शन भी प्रोसीडिंग्स आफ दि हाउस है और इसलिये निलंबित व्यक्ति को हम वोट नहीं देने देंगे। मैं यह सोच रहा था कि चूंकि ८ तारीख को वह चुनाव प्रोसीडिंग्स आफ दि हाउस होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस दिन नान-आफिशियल डे के रूप में हम बैठ जायें। इस तरह से हाउस भी चलता रहे और चुनाव का काम भी हो जाय।

श्री भगवान सहाय--

मुझे सिर्फ यह कहना है कि सजेशन बुरा नहीं है, लेकिन सरकार को जब सहूलियत होती है तो वह सदन स्थगित कर देती है और जब उसकी इच्छा होती है तो सदन बुला लेती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप को मेरी बात स्वीकार नहीं है तो कह दें, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मैं अपना विचार आप पर आरोपित नहीं करना चाहता।

श्री भगवान सहाय---

मैं समझता हूं कि एक दिन में ही चुनाव होना चाहिये।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, नवलकिशोर जी ने जो बात कही है वह मैं समझता हूं कि उचित है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

लोक सभा के अध्यक्ष की जो रूलिंग आपने मानी तो उसके तहत ....

श्री अध्यक्ष---

यह सवाल नहीं है, आप बैठें।

श्री शारदाभक्तसिंह---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि नवल किशोर जी की जो बात है वह सही है। २७ कमेटियों का चुनाव एक दिन में होना संभव नहीं है इसलिये आप का सुझाव उचित है और हम लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

यह मुझे भी स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---

तो यह निर्विरोध रूप से स्वीकार कर लिया गया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

मुझे एक मौलिक बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, अभी आप बैठें।

श्री भगवान सहाय---

मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से इस सुझाव का घोर विरोध करता हूं कि ८ तारीख को सदन बैठे। आप सुबह ४ बजे से १२ बजे तक एलेक्शन रखिये।

श्री अध्यक्ष---

सदन का जो माइन्ड है वह मैं समझ गया हूं। तो अब आप तय कर लें कि पहले दिन कौन सी समितियों के चुनाव होंगे और दूसरे दिन किनके होंगे।

सचिव, विधान सभा---

पहले दिन आप इन समितियों को ले सकते हैं---लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, हरिजन स्थायी समिति, शरणार्थी स्थायी समिति, सामान्य प्रशासन स्थायी समिति, सार्वजनिक निर्माण स्थायी समिति, सिंचाई स्थायी समिति, विद्युत् स्थायी समिति, शिक्षा स्थायी समिति और श्रम स्थायी समिति।

श्री शारदाभक्तसिंह--

मैं समझता हूं कि सारे चुनाव एक साथ चलते रहें तो ठीक रहेगा। जो जिस समय आये वह अपना वोट दे देगा। इसमें तो प्रेफरेंसेज का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

इनका कहना ठीक है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

७ तारीख को ४-५ कमेटियों का चुनाव करा लीजिये और बाकी तब तक जारी रह जब तक हम उनका चुनाव न कर लें।

श्री अध्यक्ष--

एक बात तय हो चुकी, अब उस को डिस्टर्ब न कीजिये। पोजीशन यह है कि कंटीन्यू सब को रखा जाय, चुनाव दो दिन तक होता रहे, यह सुझाव है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मैं समझता हूं कि माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल और नवल किशोर जी इत्यादि सब लोग मिलकर तय कर लें, अभी यहां कोई चीज तय न करें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव रखा गया था दो दिन वाला ७ और ८ का, यह क्या पहले से आपने तय कर रखा था या यहीं किया ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह--

लगता यह है कि यह आप का पहले से तय था। यह आज का अखबार है "स्टेट्समैन" जो दिल्ली से निकलता है। पहले ही पेज पर देख लीजिये, लिखा है यू० पी० असेम्बली ९ तारीख को बन्द होने जा रही है। यह इसमें कैसे निकल आया, यह आपसे जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय श्रीपालसिंह इस किस्म की बात करते हैं। जब मैं यहां आया तब मुझे पहले पहल यह मालूम हुआ कि इस प्रकार का प्रस्ताव आयेगा और तभी मैंने सचिव से कह दिया था कि इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि ८ तारीख नान-आफिशयल बिजनेस दिवस न स्वीकार हो। आपने एक दम से कह दिया कि तुम्हारा तय था किसी से। यह लोगों का अनुमान हो, लेकिन मेरे ऊपर आक्षेप है। यह बिलकुल गलत है कि मैंने किसी से बात-चीत की हो, यहां तक कि माननीय नवल किशोर जी को भी नहीं मालूम था।

श्री टन्डेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष के लोग चेयर पर अपने को इतना हावी समझते हैं कि उन्हें विश्वास है कि वह जो कुछ कह देंगे वह करवा देंगे, तो जरा मालूम कर लें कि उन्हीं में से तो किसी ने नहीं कह दिया ?

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

आप की नीयत पर शुबहा नहीं है, क्योंकि एक ही संस्था के दो आदमी हैं। देवता दोनों का एक ही है, देवता की प्रेरणा दोनों को मिलती है।

सामूदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

मेरी गुंजारिश यह है कि ८ को भी सेशन करते हैं तो माठ बांच वाले का जवाब कल न आ पाये तो मैं परसों पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आप का भी उस दिन हो जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह---

आपने तो मंत्री से कह दिया कि तय नहीं था, लेकिन हो सकता है कि सेक्रेटैरियट कुछ मिला हुआ हो ?

श्री अध्यक्ष

आप बैठिये।

विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)---

मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं---

"चूंकि दिनांक २५ मार्च, १९६४ को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सर्वश्री एन० यू० बेग तथा जी० डी० सहगल व ओ० बी० सालोमन) द्वारा सदन का अवमान किये जाने से सम्बन्धित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

दिनांक २८ मार्च, १९६४ को विधान सभा द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वित करने पर अन्तरिम आदेश द्वारा रोक लगाने के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों द्वारा इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की पृथक्-पृथक् सूचनाओं का निर्देश विशेषाधिकार समिति को किया गया था और दिनांक ३० मार्च, १९६४ को उक्त निर्देश संशोधित किया गया था ;

दिनांक ३० मार्च, १९६४ को सोशलिस्ट पार्टी गोरखपुर के अश्विनी कुमार शुक्ल, प्रद्युम्न शुक्ल, सुभाष चन्द्र तथा रमाकान्त पान्डे के विरुद्ध श्री राजनारायण मिश्र द्वारा अभिसूचित बिशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था।

और चूंकि उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था, किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्नों पर विचार समाप्त नहीं कर सकी,

अतः उक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय तीन महीने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यह सारे मामले, जिनके लिये समय मांगा गया है, राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती है। यह संविधान के बिलकुल प्रतिकूल होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाय, तब कोई प्रस्ताव यहां आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो बात रखी है वह अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन उस सूरत में भी समय तो बढ़ाना ही होगा। इसलिये मैं उस पर मत लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति, ने जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं आप का ध्यान प्रश्नों के सम्बन्ध में आज के एजेन्डे पर दिलाना चाहता हूं। मेरा एक प्रश्न ११ नम्बर पर अतारांकित रखा गया है। किसी सदस्य के जब ३ से अधिक प्रश्न हों तब चौथे को अतारांकित किया जाता है। मगर मेरे दो ही प्रश्न २९ और ३० नम्बर पर, तारांकित है, फिर भी यह तीसरा प्रश्न अतारांकित कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष जी द्वारा इस सम्बन्ध में जो संचालित नियम है वह बहुत कष्टप्रद हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं कई बार आप से भी मिला हूं। बिना सोचे समझे जिसको चाहते हैं तारांकित कर देते हैं, जिसको चाहते हैं, अतारांकित कर देते हैं, यह परिपाटी चली आ रही है, इस पर आप को ध्यान देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने जो कहा है, मेरी भी यही शिकायत है। मेरा आज एक ही प्रश्न तारांकित था, फिर भी दूसरे प्रश्न अतारांकित कर दिये गये।

श्री अध्यक्ष—

इसको हम देख लेंगे।

वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के विषय में संकल्प

श्री अध्यक्ष—सहकारिता मंत्री अब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव निम्न प्रकार है—

वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, ऐक्ट, १९६२ (ऐक्ट संख्या ५८, १९६२) के अधीन स्थापित सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन तथा स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन कृषि उपज, बीजों, खादों, उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा किसी अन्य विज्ञापित पदार्थ, के, जो ऐसा पदार्थ

हो जिसके सम्बन्ध में संसद् को संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के आधार पर विधि बनाने का अधिकार है, संग्रहण हेतु गोदाम चलाने के लिये अधिकृत हैं,

और यह वांछनीय है कि उक्त कारपोरेशनों को अपने गोदामों में उपर्युक्त केन्द्रीय ऐक्ट में उल्लिखित पदार्थों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का भी संग्रह करने में समर्थ बनाने के लिये विधान बनाया जाय।

और उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विधान का सम्बन्ध संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि २६ तथा २७ में उल्लिखित विषयों से है जिनके विषय में संसद् को संविधान के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, राज्यों के लिये विधि बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

और इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि ऐसा विधान संसद् द्वारा बनाया जाय,

अतएव अब, संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि वेयर हाउसिंग करपोरेशन ऐक्ट, १९६२ (ऐक्ट संख्या ५८, १९६२) के अधीन स्थापित कारपोरेशनों द्वारा चलाये जाने वाले गोदामों में, उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों से भिन्न पदार्थों का संग्रहण इस राज्य में संसद् द्वारा बनायी गयी विधि से विनियमित किया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा एक अमेंडमेंट है। जब यह इण्ट्रोड्यूस किया जा रहा है तो हमें अमेंडमेंट मूव करने का हक हो जाता है।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, इस संकल्प पर तो विवाद जारी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

विवाद कहां जारी है। माननीय मंत्री जी ने तो उस को वापस ले लिया था।

श्री कमलासिंह यादव---

विवाद जारी था तो उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता थी।

श्री अध्यक्ष---

उस दिन जो हुआ था, उस को मैं पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार था---

"श्री राममूर्ति---

माननीया, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, माननीय कमला सिंह ने कुछ ऐसा जिक्र किया कि हम कोई बहुत जल्दी में हैं और रश थ्रू करना चाहते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। अगर यही आप का ख्याल है तो आप इसको आज स्थगित कर दें। आप हम ४-६ आदमी और विभाग के लोग मिलकर बातचीत कर लें और इस पर अच्छी तरह से विचार कर लें और कनविंस हो जायं तब फिर इस पर आगे विचार यहां हो जाय। इसलिये मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता---

तो वह आज स्थगित किया जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव---

आप इसे पास करायेंगे या आज स्थगित कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

जी हां, आज स्थगित कर रहे हैं और इस पर परामर्श करने के बाद फिर यहां अगले दिन विचार हो जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव---

जी नहीं, आप इसको थोड़ी देर के बाद ले लें, इस तरह से स्थगित न करें ।

श्री राममूर्ति---

आज तो इसे स्थगित करने दीजिये हम आप बातचीत कर लें फिर यह आ जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव---

कौन सा विधान है स्थगित करने का इस तरह ।"

फिर बहुत सी बातें होने के बाद माननीय कमला सिंह जी ने बहुत जिद्द की है इसमें...

श्री उग्रसेन---

लड़ाई तो वापस लेने की है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

स्थगित करने की कोई बात नहीं हुई थी । मंत्री जी ने कहा था कि आपस में बातचीत करके परामर्श कर लेंगे । तो मेरे खयाल से आपस में कोई बातचीत हुई नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

यह चीज इसमें कही गयी है, अब मैं तो नहीं जानता कि आपस में बातचीत हुई या नहीं हुई । इसके आखिर में देखिये :—

"श्री अधिष्ठाता---

तो माननीय मैनेजरसिंह जी, इसे स्थगित कर दिया जाय ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

आज पूरे दिन के लिये स्थगित हो रहा है या २–४ मिनट के लिये ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी ने इसे स्पष्ट कर दिया है ।

श्री मैनेजरसिंह---

हम तो चाहते हैं कि जब आप अध्यक्ष पद पर पीठासीन हों, सब काम सर्वसम्मति से हो ।

श्री अधिष्ठाता---

तो आज के लिये यह प्रस्ताव स्थगित किया जा रहा है ।"

श्री मैनेजरसिंह---

माननीय मंत्री जी के आश्वासन देने के बाद यह स्थगित किया गया कि हम लोग आपस में विचार-विमर्श कर लेंगे ।

श्री राममूर्ति---

मैंने जो आपसे अर्ज किया, आज भी उस बात को मानता हूं और इसमें कोई शक नहीं कि इस बीच में माननीय कमलासिंह, या माननीय मैनेजरसिंह या किसी माननीय सदस्य के साथ कोई परामर्श हमारा नहीं हुआ, इसलिये मैं आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि इसको आप ४ बजे या साढ़े ३ बजे ले लें। इस बीच में हम लोग आपस में सलाह मशविरा कर लेंगे और हम अपने जुडीशियल आफिसर को बुला लेंगे।

श्री उग्रसेन---

इतनी जल्दी सलाह मशविरा नहीं हो सकता। आप कोई पक्का राय मशविरा कर लें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष---

एक बात मैं जानना चाहता हूं कि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश) संशोधन विधेयक, कल आ रहा है या नहीं।

श्री राममूर्ति---

जी नहीं।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। कल बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी। वे चीजें जो वहां तय हुईं वहां यह बात भी आयी। उसके बाद हम लोगों ने यह कहा कि समय कुछ बढ़ा दिया जाय। और बिजनेस कमेटी ने जो तय किया है उसे सदन के सामने रखा जाय। सदन ने उसको मेजारिटी से पास कर दिया है। उसके बाद आज मैं देख रहा हूं कि जितनी व्यवस्था सदन ने मंजूर कर ली थी आज उसके ठीक उल्टा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

इसको हम एक बजे तक ले लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज इसको शाम को लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

वह तो आपकी असुविधा को दूर करने के ख्याल से उन्होंने कहा। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज विधेयक कल नहीं आ रहा है जो कि आने वाला था.....

श्री अध्यक्ष---

वह तो गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र की बात है। अगर वह किसी विधेयक को मूव नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अगर आप लोग आपस में बातचीत करके कुछ तय कर लेंगे तो वह हो सकता है।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

श्रीमन्, माननीय कमला सिंह जी ने जो यह बात कही कि परामर्शदात्री समिति ने जो निर्णय लिया था उसको हम बदल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चूंकि माननीय मंत्री जी ने एक आश्वासन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

दिया था कि जो काम भी करना है उसे हम आज भी पूरा कर लेंगे बशर्ते कि इसके लिये माननीय कमला सिंह जी तैयार हों, लेकिन अगर कमला सिंह जी न तैयार हों तो आज के एजेंडे में जो आइटम्स दिये हुये हैं उनसे आप शुरू कर दें और एक घंटा में उसे खत्म कर दें। माननीय मैनेजर सिंह ने जो यह सवाल उठाया है कि माननीय मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था, तो माननीय मंत्री जी आज भी ईमानदारी के साथ अपने आश्वासन को पूरा करने के लिये तैयार हैं अगर आप सब उसके लिये तैयार हों। इस तरह का आक्षेप लगाना कि माननीय मंत्री जी अपने कमिटमेंट को बदलना चाहते हैं, यह बात गलत है।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है तो क्या आप प्रस्ताव दीजियेगा। प्रस्ताव पर आप बोलिये।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, आप किस पर बुलवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

देखिये माननीय सहकारिता मंत्री के संकल्प के सम्बन्ध में माननीय बलवान सिंह जी का एक संशोधन था।

श्री मैनेजरसिंह---

इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी परामर्श लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

माननीय बलवान सिंह बोलना चाहते हैं।

श्री मैनेजरसिंह---

बोलना कैसे चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने इस सदन में एक आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के पश्चात् ही.....

श्री अध्यक्ष---

मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या आप बहस करेंगे ?

श्री मैनेजरसिंह---

बहस नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष---

माननीय बलवान सिंह आपके दल के नेता हैं पहले उनसे पूछ लीजिये।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

कमला सिंह जी बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

तो ठीक है। आप अपना एमेंडमेंट मूव कीजिये।

श्री बलवानसिंह---

मेरा ऐमेंडमेंट यह है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मान लेंगे इस अमेंडमेंट को.....

श्री मैनेजरसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अध्यक्ष---

आपके दल के जो नेता हैं उनको मैंने....

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, यह लड़ाई कराने वाली बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप हमेशा ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि एक आश्वासन मिला है तो आप किस नियम के आधार पर ऐसा कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

जब सदन में अलग-अलग पार्टियां हैं पार्टी का जो नेता है उसके ऊपर उत्तरदायित्व होता है । प्रत्येक सदस्य, जो उस पार्टी का होता है, उसका कर्त्तव्य होता है कि वह अपने नेता को बात माने ।

श्री मैनेजरसिंह---

जहां तक हमारे दलगत मामलों का सम्बन्ध है नेता का आर्डर शिरोधार्य है पर यहां तो एक सदस्य के हक का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

आपके नेता तो हैं । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, एक निवेदन है और वह यह है कि आश्वासन तो पूरे सदन को मिलता है न सदस्य को और न नेता विशेष को मिलता है। एक विशेष दल के नेता की राय से क्या अभिप्राय है ?

श्री अध्यक्ष---

मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है । पर मैं यह समझता हूं कि सदन के लिए जो नेता किसी दल का नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है वह अपने सारे दल की तरफ से विचार रखता है । यह हम मानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको अधिकार है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

आप (मैनेजरसिंह) परामर्श कर लीजिये और यह ३ बजे ले लिया जाय ।

श्री मैनेजरसिंह---

हम लोग तो यहां हाउस में रहेंगे तो कब परामर्श करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे यह नहीं मालूम । अब आप बिक्री कर पर बोलियेगा ।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, आप हमें अपने हकों से महरूम न कीजिये ।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६४*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय ।

श्रीमान् जी, यह एक छोटा-सा संशोधन विधेयक है जिसका माननीय सदन के सामने शीघ्र लाया जाना आवश्यक था । इसी वास्ते बिना इस बात का इंतजार किये हुये कि जो और संशोधन इस कानून में आने को हैं वह भी तैयार हो जायं इस संशोधन विधेयक को सदन के सामने लाया गया है । यह बात सही है कि बिक्री-कर ऐक्ट में कुछ और संशोधनों की आवश्यकता है और उसमें क्या संशोधन हों और उस ऐक्ट के द्वारा व्यापारियों को क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, कैसे करापवंचन रोका जा सकता है इस सब पर विचार करने के लिये एक सेल्स टैक्स कमेटी सरकार द्वारा नियुक्त है । वह कई मास से विचार कर रही है और अब वह इस स्थिति पर पहुंच गई है कि वह बैठक व।दविवाद कर के रिपोर्ट तैयार करे, लेकिन उसको पूरा करने में अभी समय लगेगा । उस वक्त तक प्रतीक्षा करना उचित नहीं था और इसी लिये इस विधेयक को इस समय सदन के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है । सदन से इसमें यह प्रार्थना की जा रही है कि सदन इसे स्वीकार करे । बिक्री कर ऐक्ट की धारा ३ में बहुपदीय कर लगाने की व्यवस्था है । हर व्यापारी पर एक सीमा के अन्दर हम टैक्स लगा सकते हैं और धारा ३ (ए) में एकपदीय कर की व्यवस्था है और किन-किन चीजों पर एकपदीय कर लगेगा, वह कहां पर लगेगा और उसकी दर क्या होगी इस बात का निश्चय करने का अधिकार सरकार को है, सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐसा करती रहती है, लेकिन किसी बात के सेक्शन ३ तथा ३ (क) में होते हुये भी सेक्शन ३ (एए) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि कुछ मामलों के सम्बन्ध में विक्रय धन पर जिनका उल्लेख धारा ३ (एए) में है बिक्री-कर देय नहीं होगा सिवाय उस प्वाइन्ट पर जहां पर कि बिक्री व्यापारी द्वारा कन्ज्यूमर के साथ हो और यह कर दो प्रतिशत से अधिक न होगा ।

(इस समय १२ बजकर ५५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

माननीय सदन ने इसमें स्पष्ट रूप से इस बात की व्यवस्था नहीं की है कि वह टैक्स २ प्रतिशत से अधिक न होकर किस चीज पर कितना हो जिस का उल्लेख ३ (एए) में किया गया है । यह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यही रहा है और यह बात समझी जाती रही है कि ३ (ए ए) के अन्तर्गत जो चीजें उल्लिखित हैं उनमें से किस पर कितना कर लगे यह सरकार निश्चित करेगी और सरकार जब से यह धारा जोड़ी गई है तभी से इसी अभिप्राय से नोटिफिकेशन के द्वारा यह निश्चय करती रही है कि किस चीज पर कर की दर कितनी होगी, लेकिन अभी बस्ती के कुछ व्यापारी हाईकोर्ट में एक रिट के मामले में गये, उन्होंने आपत्ति की कि धारा ३ (एए) के अन्तर्गत यह सरकार को अधिकार नहीं है कि वह निश्चित कर सके कि इस धारा के अन्तर्गत उल्लिखित वस्तुओं पर कितना-कितना कर लगेगा । इसलिये नोटिफिकेशन अवैधानिक है । यद्यपि वह रिट मंजूर नहीं हुई और वह इस आधार पर खारिज हो गई कि व्यापारियों के लिये आलटरनेटिव सुविधा प्राप्त की और उन्होंने बगैर उसका प्रयोग किये हाई कोर्ट में रिट कर दिया लेकिन डिवीजन बेंच ने यह मत जरूर प्रकट किया कि उस धारा ३ (ए ए) में यह बात स्पष्ट

---

*४ मई, १९६४ की कार्यवाही में छापा है ।

नहीं है कि टैक्स की दर, उन सीमाओं के अन्दर जो उसमें दी हुई है, सरकार निश्चित करेगी। उन्होंने राय जाहिर की कि लेजिस्लेचर ने यह जरूर व्यवस्था की है कि उन आर्टिकिल्स पर, जिन का उल्लेख उस धारा में है, टैक्स की दर दो नया पैसा प्रति रुपये से अधिक नहीं होगी, लेकिन कितनी होगी इसका निर्णय कौन करेगा यह स्पष्ट रूप से उस धारा में उल्लिखित नहीं है। इस लिये डिवीजन बैंच के मत के अनुसार सरकार द्वारा निश्चय करना अवैधानिक है। डिवीजन बैंच के विचार प्रकट करने के बाद आवश्यक हो गया कि या तो सरकार उस विचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाय या डिवीजन बैंच के मत का आदर करते हुए अपने ऐक्ट में तरमीम करे। ऐडवोकेट जनरल ने सलाह दी कि अपील में जाने में काफी समय लगेगा अतः हाई कोर्ट की राय के अनुसार सरकार ऐक्ट में तरमीम कर ले। इसलिये इस संशोधन विधेयक द्वारा, जो कमी थी, जो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया था कि टैक्स की दर सरकार निश्चित करेगी, उसे पूरा किया जा रहा है अर्थात् यह अधिकार सरकार को दिया जा रहा है कि उन आर्टिकिल्स में से जिनका उल्लेख धारा ३ (ए ए) में है, किस आर्टिकिल पर कितना टैक्स लगे यह सरकार निश्चित करेगी। इसके द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है और उस अभिप्राय से कि यह अधिकार उस धारा के अन्दर निहित है सरकार ने अब तक जो कार्यवाही की है, जो आर्डर्स दिये हैं वह वेलिड कर दिये जायं और इसके द्वारा वह वेलिड किये जा रहे हैं और हमेशा यह संशोधन किया गया समझा जायगा। इसी कारण सदन के सामने आना पड़ा। अगर प्रतीक्षा करते तो खतरा था कि हाईकोर्ट के उस विचार के बाद हमारे कुछ मामलों में दिक्कत पैदा हो जाय और जो असेसमेंट हुए हैं उनमें कठिनाइयां पैदा हो जायं और इस तरह से बहुत सा रुपया खतरे में पड़ जाय। इसलिये बगैर इंतजार किये हुये जल्द से जल्द इस बात की व्यवस्था की गई कि सदन से प्रार्थना करके सरकार को अधिकार दे दिये जायं जिससे टैक्स की दर वह निश्चित कर सके और इस तरह का संशोधन हमेशा से किया हुआ माना जाय और जो कार्यवाही हुई है वह सही मानी जाय। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा कि इसी विचार से इस संशोधन विधेयक पर विचार सदन करे और अपनी स्वीकृति दे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ क्लेरीफिकेशन कराना चाहता हूं अपना संशोधन रखने के पहले। मंत्री जी बतायें कि कितने ऐसे केसेज हैं जिनके लिये आपने अमेंडमेंट पेश किया और कितने रुपये का मामला है और इस मुकदमे के संबंध में सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

वित्त मंत्री जी अपने भाषण में इसको बता देंगे।

श्री जयराम वर्मा—

यह सूचना नहीं है कि कितना रुपया खर्च हुआ है। एक रिट हुई थी दो मामलों में, लेकिन यही नहीं और भी मामले ऐसे हो सकते हैं या हो गये हों, या विचारणीय किसी अदालत के सामने हों जिसकी सूचना सरकार के सामने न हो और वहां से कोई फैसला हो जाय। अगर हम यह संशोधन न करें तब वह टैक्स खतरे में पड़ जा सकता है इसी वास्ते खंड ४ जोड़ा गया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि इस तरह की कोई कार्यवाही हुई है और वह मालूम पड़े तो इस ऐक्ट के बन जाने के बाद किसी पार्टी या विक्रय कर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह फिर अदालत के सामने प्रार्थना लेकर जाय और इस ऐक्ट का संशोधन करने के बाद उस कोर्ट को अधिकार होगा फिर से विचार करने का और विचार करके निर्णय देने का।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री महोदय ने कहा कि बहुत से रुपये का मामला है। पता नहीं गोलमाल हो जाय। तो मेहरबानी करके बतला दें कि कितने रुपये का मामला है?

श्री जयराम वर्मा—

रिट खारिज हो गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो कठिनाई पैदा हो गयी है उसे दूर करने के लिये यह किया जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—

कितने रुपये का मामला है ? जजमेंट में ओबिटर डिक्टा दिया है। उसके सम्बन्ध में आप अमेंडमेंट लाना चाहते है। तो कितने रुपये का मामला है जिसक सम्बन्ध में रिट दायर हुई थी ?

श्री अधिष्ठाता—

उनको जानकारी नहीं है कि कितने रुपये का मामला है। आप संशोधन रखें और अपने यह प्वाइंट्स भी रख दीजियेगा।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत किया है और यह मांग की है कि सरकार को अधिकार दे दिया गया। जो कुछ सरकार ने किया है उसे हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया और सरकार अब इसके जरिये चाहती है कि उसकी अवैध कार्यवाही को वैध करार दे दिया जाय। जो मामले एसेसमेंट के हैं उनको जायज करार दिया जाय और जो टैक्स लगाया गया उसे जायज करार दिया जाय लेकिन सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं तो सरकार को अधिकार कैसे दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

यह चीज आप विवाद में कहियेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को जनमत जानने हेतु ६ मास तक जनता में परिचालित किया जाय।

मैं अब तक यह देख रहा हूं कि इस सरकार के जितने विभाग हैं वे सब फाइनेन्स डिपार्टमेंट के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं। कोई भी बात ऐसी हो जाय तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही एक ऐसी चीज है जिसके पास नकेल है उसको ठीक करने के लिये। लेकिन मुझे अफसोस है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी यह पता नहीं है कि कितने रुपये का यह मामला है। लेकिन चूंकि बहुमत का बल है आपके पास इसलिये आप चाहें तो एक मिनट के अन्दर यहां पास करा सकते है। लेकिन अगर ऐसा बिल पेश करना चाहते हैं तो अपोजीशन को मौका दीजिये कि वह भी सोच समझ कर अपने संशोधन रख सकें। लेकिन सरकार तो एक घंटे में यह बिल पास कराने वाली है।

श्री जयराम वर्मा—

जजमेंट की कापी तो शायद कल ही आपको मिल गयी थी।

श्री कमलासिंह यादव—

वह भी मैं आपको बता दूं। जब कल ११ बजे यह मामला पेश था तो मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि वह पेपर्स जिनके आधार पर यह विधेयक बेस्ड है मुझे मिलने चाहिये। शाम को ५ बजे तक वह मुझे नहीं दिये गये और न उसके बाद ही सरकार ने मेरी कोई मदद की और सदन की मेज पर भी रखने की कोशिश नहीं की। साढ़े ५ बजे मैं अध्यक्ष जी के पास फिर गया। उन्होंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि मंगा कर इन्हें दे दो। जो अनरिपोर्टेड

केसेज होते हैं उनके बारे में नियम यह है कि सरकार की ड्यूटी है कि उसकी सर्टिफाइड कापी मेम्बर्स की टेबिल पर प्रोवाइड करे। ८ बजे रात को मुझे यह मिला, वह भी अध्यक्ष महोदय की मेहरबानी से, सरकार की मेहरबानी से नहीं। एक फ्रांस के चीफ मिनिस्टर थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, वे कभी किताब पढ़ते नहीं थे। सदन के अन्दर जो मन में आता कह देते थे। बाद में जब उनसे पूछा जाता था कि इसकी बेसिस क्या है तो कह देते थे कि अपोजीशन को सौ वर्ष लग जायेंजे पता लगाने में कि मैंने सही कहा या गलत। ठीक वही स्थान में इन लोगों को दे रहा हूं। कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो इन्हें महसूस करनी चाहिये कि कोई विधेयक अगर ये पास कराना चाहते हैं तो अपोजीशन को संबंधित कागजात तो दे दिये जायं ताकि वह भी समझें।

श्रीमन्, में आपको बताऊं कि सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा ३ पहले बनी। जब उसके अन्दर गलती महसूस हुई और देखा गया कि कुछ अधिकार ही नहीं है। तो ३ (ए) अमेंड की गयी और उसमें बड़ी बारीकी है। ३ (२) बड़ी महत्वपूर्ण है इसलिये में बताना चाहता हूं। ३ में हैं लायबिल टु टैक्स अन्डर दि ऐक्ट। लेकिन जो अमेंडमेंट किया ३ (१) का वह यू० पी० ऐक्ट २५, १९४८ में किया। उसमें यह किया गया कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स होना चाहिये। उसके लिये जब बिल लाया गया तो उसमें यह था

"Notwithstanding anything contained in section 3 the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, declare that the turnover in respect of any goods or class of goods shall not be liable to tax except at such single point in the shape of sales by successive dealers as the State Government may prescribe."

दूसरा है:—

"If the State Government makes a declaration under sub-section (1) it may further declare that the turnover in respect of such goods shall be liable to tax at such rate not exceeding 10 nP. per rupee as may be specified".

तो माननीय मंत्री जी बहुत खुश थे उस वक्त कि दस नये पैसे तक टैक्स लगा सकते हैं। साथ ही जब विधेयक पास हुआ तो दो चीजों का अधिकार सरकार को मिला। पहला तो यह कि सरकार डिक्लेरेशन करे कि कौन-कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिन पर टैक्स लगेगा। और उसके बाद वह टैक्स निर्धारित करेगी। १० नये पैसे का नाम सुनकर माननीय मंत्री जी बहुत खुश हो गये कि हमें बहुत बड़ी पावर मिल गई। इसके बाद पहली अगस्त, १९५८ को नोटीफिकेशन इश्यू किया। उसका नम्बर २९३४/१०/९०२ (७/५६) था। अब उन्होंने ३ ए-ए पास किया और नोटीफिकेशन इश्यू किया जिसको डीलर्स ने चैलेंज किया कि यह नोटीफिकेशन नहीं है। असल में नोटीफिकेशन जो होता है वह गवर्नर की तरफ से होता है। लेकिन इसमें न कोई दस्तखत थे और न अथारिटी थी। जब फायनेंस विभाग को यह गलती मालूम हुई तो उसने दूसरा नोटीफिकेशन नम्बर ४९२१/१०३५ (४२/६०) १५-११-६१ को इश्यू किया। दोनों के वर्डिंग में कोई फर्क नहीं था। जिस तरह से ओथ के मामले में हुआ था उसी तरह से इसमें हुआ। यहां शब्द एक ही थे लेकिन गवर्नर के दस्तखत नहीं थे। और जो नये शब्द अमेंड होने थे वे भूल गये थे। यह जिम्मेदारी फाइनेंस विभाग की है जिसकी वजह से ऐसी गलती दुहरानी पड़ रही है।

अब इस विधेयक के संबंध में जहां ३ ए का सवाल है इसमें दो तरह की पावर्स हैं। पहली तो यह कि डिक्लेअर करे और फिर १० नये पैसे का जो टैक्स लगाने का अधिकार है उसके लिये भी सरकार की ओर से नोटीफिकेशन जारी होगा। अब सवाल यह होता है कि ऐसे केस में जब ३ ए-ए लागू हो जाय तो पोजीशन क्या होगी? इसमें दिया हुआ है कि—

"Notwithstanding anything contained in Section 3 or 3-A, turnover in scspect of the following goods shall not be liable to tax except at the point

[श्री कमलासिंह यादव]

of sale by a dealer to the consumer, and the rate of tax shall not exceed (two Naye Paise per rupee.)"

अब श्रीमन्, इसमें काटन यार्न आता है और काटन यार्न आलरेडी डिक्लेयर्ड है। सरकार सोच रही थी कि हमें पावर है डिकलेयर करने की, वेरी करने की तो उसने कानून बनाया और उसमें इसको मेंशन कर दिया ३ ए-ए में। डिवीजनल बेंच ने यह इंटरप्रिटिशन लिया कि काटन यार्न २ ए आलरेडी डिकलेअर्ड है और इसको जब स्टेट लेजिस्लेचर ने डिकलेयर कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है कि वह फिर से नोटीफिकेशन इश्यू करे, डिकलेयर करे, वेरी करे या फिक्स करे। इसका नतीजा क्या होगा ? यह देखना है यह मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था। उसमें जो दरखवास्त अप्लीकेंट ने दिया उसमें उसने कहा कि असेसमेंट का जो आर्डर है, उसको रेक्टीफाई कर दिया जाय। तो डिवीजन बेंच ने होल्ड किया कि चूंकि ३ ए-ए के अन्दर लेजिस्लेचर डिक्लेयर कर चुका है, काटन यार्न पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जा सकता इसलिये अगर सरकार यह कहे ....

श्री जयराम वर्मा—

यह नहीं है कि टैक्स नहीं लगाया जा सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है कि गवर्नमेंट इसके बारे में नोटिफिकेशन करे कि कितना टैक्स लगाया जाय। यह ३ ए-ए (१) में साफ दिया हुआ है। अब यहां कह दिया रिट खारिज हो गया। रिट खारिज होने का मामला दूसरा था। अपील करने की पावर है, असेसमेंट आधिकारी के खिलाफ। रेक्टिफिकेशन के बारे में जो आदेश हुआ, उसको चाहिये था कि अपील करता लेकिन उस आपारचुनिटी को अवेल नहीं किया इसलिये डिवीजन बेंच ने उस रिट को डिस्मस कर दिया। इसीलिये माननीय मंत्री जी दूसरे रूप से ला रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि गलती पर गलती आप कर रहे हैं। मन चाहे ढंग से नोटिफिकेशन करवा दें और ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हों, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट्स की छोटी-छोटी गलतियों को आप चेक करते हैं, तो आपको ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये बनिस्बत और डिपार्टमेंट के।

दूसरी चीज यह है कि जो विधेयक लाया गया है उसके अन्दर एक बात यह है कि इसको आप रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिला रहे हैं। इस विधेयक के जरिये जो आप करने जायेंगे वह यह होगा—

"उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ क-क की उपधारा (१) में शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न होगी" के स्थान पर शब्द "जो नये पैसे प्रति रुपया से अनधिक वह दर होगी जो राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित की जाय" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे। इसलिये आप यह चाहते हैं जैसा डिवीजन बेंच ने कह दिया आप को कोई भी डिक्लेरेशन का हक नहीं है इसलिये इसके जरिये आप चाहते हैं कि सरकार को हम पावर दे दें कि सरकार इसके बारे में जो टैक्स वगैरह हो, वह डिक्लेअर कर दे कि इतना टैक्स लगेगा और किस तरह से वसूल होगा। असल में यही मकसद है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप यह पावर सरकार को देने जा रहे हैं दो नये पैसे प्रति रुपया से अनधिक वह दर होगी तो राज्य सरकार द्वारा बजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित की जाय। तो अब तो यह विधेयक जब पास हो जायगा तो पास होने के बाद सरकार नोटिफिकेशन करेगी। तो जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा उसी दिन से उसे माना जाना चाहिये क्योंकि टैक्सेशन का यह मामला है। टैक्सेशन को अगर रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देंगे तो बहुत दिन पहले का या जब से ऐक्ट शुरू हुआ तभी से वसूल कर सकते हैं।

श्री जयराम वर्मा—

वह तो वसूल हुआ है ।

श्री कमलासिंह यादव—

वसूल हुआ है लेकिन गलत वसूल हुआ । मैं तो यह कह रहा हूं कि आज अगर यह विधेयक पास हो जाय और उसके एक महीने बाद या दो महीने बाद सरकार नोटिफिकेशन करेगी इसके बारे में कि इतना टैक्स लगेगा तो उस रोज से जिस रोज वह गजट होगा उसकी वसूली मानी जानी चाहिये । लेकिन इस विधेयक के जरिये जब आप रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट देंगे तो नतीजा यह होगा कि शुरू से ही जबसे यह ऐक्ट बना तभी से वसूली जारी हो जायगी । (व्यवधान) अब वसूली हो रही है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है । हम तो यह बता रहे हैं कि कानून क्या है और आप करने क्या जा रहे हैं ? हम तो यह कहते हैं कि आप सरकार हैं, किसी के घर का सारा सामान मंगाकर रख लें और कह दें कि वसूली हो गई तो यह तो दूसरी बात है । लेकिन मैं तो न्याय की बात कह रहा हूं और आपकी पोल खोल रहा हूं कि क्या-क्या आप कर रहे हैं समाजवाद के नाम पर और सरकार क्या कर रही है, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं ? और इसीलिये मैं चाहता हूं कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय । इसमें यह होगा कि जब यह गजट हो जायगा उसके बाद उस दिन से उनकी वसूली की जायगी जब से यह विधेयक चालू किया गया । अब चीज हमें यह देखनी है कि एक तरह की यह पेनाल्टी है । पेनाल्टी भी सजा होती है । सजायें दो तरह की होती हैं । एक तो जेल के जरिये और दूसरी पेनाल्टी के रूप में। तो यह भी सजा है । पेनाल्टी के लिए कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल २० बना हुआ है । कांस्टीट्यूशन में यह है कि अगर आज जो सजा रखी गई है, या माने लीजिये १०० रुपया जुर्माना किसी को किया गया और आज आपने अमेंडमेंट के जरिये २०० रुपया कर दिया और रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट उसे आपने दिया तो वह २०० रुपया सबसे शुरू से वसूल किया जायगा । यह किसी के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून आप नहीं बना सकते । इसलिये अगर आप वाकई चाहते हैं कि जो टैक्स लगा है वह वसूल हो और उस वसूली के लिये यह रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट दिया है तो अभी अभी तो कोई टैक्स था नहीं और अब इस कानून के जरिये आप टैक्सेशन करेंगे क्योंकि आपको तो कोई पावर ही आज तक नहीं थी, धारा ३(ए) के अन्दर कोई पावर नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी तरह का टैक्स लगा सके या डिक्लेरेशन दे सकें या वसूली कर सकें । यह डिवीजन बेंच के फैसले में साफ दिया है । तो अब उस पावर को दूसरे तरीके पर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट दे दें और शुरू से अब तक का सारा रुपया आप वसूल करें । मैं नहीं समझता कि यह न्याय की कोई बात है । दूसरी चीज यह है कि इस विधेयक के अन्दर और भी बहुत सी खामियां हैं । अभी मंत्री जी ने बतलाया कि अगर किसी अदालत में भी ऐसा मुकदमा चल रहा है तो सब पर इसका असर होगा । आप जानते हैं कि सबको नलिफाई कर दें अगर कहीं भी कोई खामी आपको किसी तरीके की भी है और इस तरह का करने जा रहे हैं कि ९० दिन के अन्दर कोई भी आदमी दरख्वास्त इसके बारे में दे सके तो यह तो न्याय की बात नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम फाइनेंस डिपार्टमेन्ट जो इतना जिम्मेदार डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर सरकार की नींव है अगर वह भी ऐसी गलती करे कि उसकी गलती के लिये बार-बार दो-तीन साल के अन्दर इतने अमेंडमेंट लाने पड़ें तो यह तो अपने प्रदेश का दुर्भाग्य होगा । दूसरी चीज यह है कि एक और संशोधन आने वाला है इसी सिलसिले में । वह यह होगा कि आपने जो यह २ नये पैसा रखा है उसके स्थान पर केवल पैसा रह जायगा और 'नया' शब्द निकाल दिया जायगा । मैं समझता हूं आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वह संशोधन जल्दी ही आने वाला है । अगर माननीय मंत्री जी को संशोधन करना था तो जो यह दाशमिक प्रणाली की बात थी उसके आने के बाद ही संशोधन लाते ताकि उनको दूसरा संशोधन न लाना पड़ता । मैं देख रहा हूं कि यह विधेयक पास होगा और १-२ महीने के बाद जो इसमें नये पैसे की बात रखी गई है उसके लिये 'नया' शब्द को निकालने के लिये संशोधन आयेगा ।

[श्री कमलासिंह यादव]

मगर यहां पर तो जो अधिकारी गलती करते हैं उनको ठीक करने के लिये संशोधन लाया जाता है। कुछ दिन के बाद अगर इस संशोधन को लाया जाता तो ज्यादा सुन्दर होता। समय का समय भी बच जाता और पैसा भी सरकार का कम खर्च होता। एक बार इस संशोधन पर बहस कर रहे हैं और दूसरी बार जब संशोधन आयेगा तो तब बहस की जायगी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने को भेजने के लिए मंत्री जी तैयार होंगे और स्वीकार करेंगे ताकि जनता भी यह जाने कि सरकार किस तरह से पैसा वसूल करने के लिये तैयार है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन ३ माह में दे दे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का रखा गया उसका कारण बहुत स्पष्ट है। यह जो संशोधन इस समय इस ऐक्ट में किया जा रहा है यह ऐक्ट सन् १९४८ में बना। उसके बाद अगर आप देखें तो मालूम होगा कि १६ साल के अन्दर इसमें २१ संशोधन हो चुके हैं और वे सब संशोधन इसी तरह के हैं कि ५ पैसे से ७ पैसे और ७ से १० पैसे। ये सब टैक्स लगाने के लिये संशोधन किये गये हैं। पहले सेक्शन केवल एक बना। उसके बाद ३ए बना और उसके बाद ३,एए बना और उसके बाद ३ ए-ए-ए बना और इस तरह से परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। अगर देखा जाय तो यह कानून ऐसे ही बना दिया गया है जैसे फटे कपड़े पर नाना प्रकार के टुकड़े गांठ दिये जायं। जिस प्रकार से सरकार सुविधा समझती है उसी प्रकार से इसके अन्दर संशोधन किये जाते हैं जो ठीक नहीं है। वैसे जनसंघ का यह मत है कि बिक्री-कर सब प्वाइंट पर न लगकर उत्पादन कर के रूप में लगना चाहिये और इसी तरह से वसूल होना चाहिये। अगर इस संशोधन को उसी तरह से कर दिया जाय कि एक प्वाइंट पर या उत्पादन कर के रूप में वसूल करने का प्राविजन हो जाय तो बिक्री-कर कानून को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाय। क्योंकि अभी ६४ में हम एक अमेंडमेंट कर चुके हैं। शायद अधिनियम संख्या २, १९६४ का बिक्री कर का ही अधिनियम था। अब संभव ह कि दो-तीन बार हमको अभी और इसमें संशोधन लाना पड़े इसलिये ही मैं इसे प्रवर समिति में भेजने की बात कहता हूं। एक बात का और उल्लेख कर दूं। कल भाषा के बारे में यहां प्रश्न उठा था और हमारे अध्यक्ष महोदय ने उस पर व्यवस्था दी थी कि जितने पुराने कानून अंग्रेजी में हैं उनका अमेंडमेंट अंग्रेजी में ही आयेगा। यह कानून ओरिजिनली अंग्रेजी में ही बना था और उसका पहला अमेंडमेंट अंग्रेजी में ही आया था, लेकिन उसके बाद के अमेंडमेंट हिन्दी में हैं। तो कायद से इसका अमेंडमेंट भी अंग्रेजी में ही आना चाहिये। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार देखे।

यह ठीक है कि अमेंडमेंट बहुत थोड़ा-सा है। कानून में कुछबात लिखने से रह गयी थी और उसे बढ़ाने के लिये ही यह अमेंडमेंट लाया गया है, लेकिन इसकी गंभीरता उस समय बढ़ जाती ह कि जब आप इसकी भावना को देखते हैं। सरकार की मेंटेलिटी बन गयी है कि कितने कानून हाईकोर्ट द्वारा रद्द किये जायेंगे सरकार उन सबको सुधार देगी और वह संशोधन रिट्रा-स्पेक्टिव एफेक्ट से हुआ माना जाय यह व्यवस्था उनमें कर देगी। यही एक कारण है कि आज जुडीशियरी और लेजिस्लेचर में इतना बड़ा संघर्ष सा चल रहा है जिसका विस्फोट अभी हाल ही में हुआ। हमने हर साल इस अधिनियम में संशोधन किये हैं तो लेजिस्लेचर के सदस्यों को यह स्पष्ट होना चाहिये कि हाईकोर्ट हमारी गलतियों को जांचने के लिये है नहीं, हाईकोर्ट

तो ऐसी बाडी है कि जो प्रदेश में सरकार द्वारा जितने गैरकानूनी काम हुए हैं उनको देखती है और उनसे नागरिकों को राहत दिलाने का उसका काम है । लेकिन इस राहत दिलाने में अगर कोई कानून बीच में आ जाता है तो सरकार उसको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से अमेंड कर देती है और इस तरह से हाईकोर्ट के अधिकार का हनन होता है । साथ ही जनता को, जिसे जनतंत्र और हाईकोर्ट में विश्वास है, निराशा होती है और उसकी आस्था उन पर से समाप्त हो जाती है । इसलिये विधेयक में किसी संशोधन को रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देना उचित नहीं है । अगर हम अपनी गलती सुधार लें तो वह ठीक है लेकिन जिन व्यक्तियों को हाईकोर्ट के निर्णय से रिलीफ मिली है उस निर्णय को रद्द करने के लिये अमेंडमेंट लाया जाय तो वह उचित न होगा । यह एक बार की बात नहीं है । आपने जिला परिषद् के चेयरमैन का जो प्रश्न था, उसमें अधिकार न होने के बावजूद भी नियुक्तियां कर दीं हाईकोर्ट ने। उनको रद्द किया, लेकिन सरकार ने उसे टेक अप कर के अधिनियम में संशोधन कर दिया तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं अगर यह प्रवर समिति में जायगा तो सरकार को बार-बार इसमें अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा और इन तमाम बातों की उचित व्यवस्था भी हो सकेगी । इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं और माननीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज कर वहां इस पर विचार कराने की कृपा करें ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सरकार की गलतियों पर जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी होती है तभी सरकार की आंखें खुलती हैं, लेकिन वह किस प्रकार से लोगों पर बोझा डालती है उस ओर कभी ध्यान नहीं देती । १५–१६ साल के अन्दर तमाम नयी-नयी चीजों पर सेल्स टैक्स लगाने शुरू कर दिये हैं । उसके उदाहरण में आपके सामने रखता हूं । ६ महीने पहले तक पंपिंग सेट्स को एग्रीकल्चरल गुड्स माना जाता था और उस पर सेल्स टैक्स नहीं पड़ता था । अभी हाल ही में उस पर भी सेल्स टैक्ट लगाना शुरू कर दिया है । मोटर अगर अलग कर दिया जाय तो उस पर ७ नये पैसे प्रति रुपये का सेल्स टैक्स है और बाकी पंपिंग सेट्स पर ३ नये पैसे और अगर दोनों को मिलाकर लिया जाय तो पूरे सेट्स पर ३ नये पैसे ही हैं । अलहदा मोटर को बिजली का सामान माना जाता है और उस पर ७ नये पैसे के हिसाब से सेल्स टैक्स लिया जाता है । इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी के पास भी गया, उन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा वही कुछ कर सकते हैं । जब वही लोग कर सकते हैं तो आप की फिर क्या जरूरत है ? इसके अलावा श्रीमन्, कुट्टी आदि काटने की जो मशीनें हैं जो एग्रीकल्चरल गुड्स के अन्दर आती हैं उन पर सेल्स टैक्स नहीं पड़ता । मगर उनके पुर्जे पर सेल्स टैक्स पड़ जाता है । यह बड़ा गलत है । मेरी समझ में नहीं आता कि उसके पुर्जे पर क्यों सेल्स टैक्स लिया जाता है । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई कानून नाजायज करार दे दिया जाता है तब तो यह सरकार तुरन्त संशोधन अपने मतलब के लिये ले आती है, और जब यहां कोई सुझाव दिया जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देती, यह पालिसी सरकार की ठीक नहीं है । सैकड़ों संशोधन इस कारण सरकार को यहां लाने पड़ते हैं । क्यों नहीं सरकार उसके लिये एक कमीशन या कमेटी मुकर्रर कर देती जो हर चीज पर विचार कर सके और देख सके कि वह ठीक है या नहीं ।

मैं सेल्स टैक्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जहां पड़े उस पर पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज पड़ता है गरीबों पर जिसे वह दे नहीं सकते । जहां उत्पादन होता है, जहां से माल चलता है वहां से जिस मात्रा में चाहें ले लें । उसका जो नतीजा होगा उसको गरीब आदमी महसूस नहीं करेगा लेकिन एक दूकानदार से माल दूसरे के यहां जाता है, वहां टैक्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

लगता है। फिर दूसरे से तीसरे के यहां, तीसरे से चौथे के यहां। इस तरह से ५ दफा टैक्स पड़ जाता है और कमाने वाले ने एक भी पैसा नहीं कमाया। तो सारा व्यापार ठप होता जा रहा है। मेरठ डिवीजन से सारा व्यापार कपड़े और मशीनरी का खिंच कर देहली चला गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स वहां देना पड़ता है। दो परसेंट दिया और १०-५ हजार का बिना पर्चे का और हजार, दो हजार पर्चे का ले आये। तो बेईमानी करना तो खुद आप सिखाते हैं लोगों को। आप स्वयं चाहते हैं कि सेल्स टैक्स की चोरी की जाय। क्यों नहीं इस बात की कोशिश करते कि इन लूप होल्स को रोकें। जितनी कमजोरियां हैं कानून के अन्दर वास्तविकता को देखते हुए सारे कानून को देखभाल करके उनको एक दफा फिर से सदन के सामने लाइये ताकि अच्छी तरह से डिस्कशन हो सके, लेकिन आप टाकियां लगाते चले जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आप इसको फिर सितम्बर, अक्तूबर में ला सकते हैं, उसमें सारी चीजें आ सकती हैं। उससे सरकार का तो फायदा होगा ही, जनता को भी काफी राहत मिलेगी और जो आपत्तियां आती हैं पहले सेल्स टैक्स दफ्तर में, फिर अपील में और फिर सेकेंड अपील में वह उससे बच सकते हैं, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं रह जायगी। इसलिये इसको अभी तो प्रवर समिति में भेज दीजिये और आने वाले सेशन तक सारे ऐक्ट में परिवर्तन कर दीजिये।

*श्री मैनेजरसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमलासिंह ने जनमत संग्रह का जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी से नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि उसको स्वीकार करें। यह इसी उतावलेपन का दुष्परिणाम है कि इस आदरणीय सदन से जल्दबाजी में स्वीकृत कराये गये अधिनियम उच्च न्यायालय से अवैध घोषित किये जा रहे हैं। जिस धारा का संकेत किया गया संशोधन के लिये उसमें भी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बहुत बड़ा लंकुना है फिर भी यह विधेयक लाया गया। उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया था या जब यह विधेयक पहले पेश हुआ तो पर्याप्त समय और अवसर आदरणीय सदन के सदस्यों को नहीं मिला होगा जिससे इस प्रकार की कमी कानून में रह गयी। इसलिये जल्दबाजी न करें।

आपने जो सेक्शन ३ (ए) में वर्गीकरण किया बहुत सी वस्तुओं को उसमें स्वीकार किया। उसके टैक्स की दर भी आपने तय कराई। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि कर-निर्धारण कौन करेगा और उसकी वसूलयाबी कैसे होगी। नतीजा यह हुआ कि आपका वह कानून हाई कोर्ट से अस्वीकृत हो गया। जो आपने गलत काम किया, आज आप चाहते हैं कि उसे भी बहुमत के आधार पर सही करदें। इस तरह आप अवश्य ही जनतंत्र की जड़ पर कुठाराघात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर पानी फिरवा दें और जिन्हें वहां से न्याय मिला उनका आप गला घोंटना चाहते हैं। क्या आपको आपसी झगड़ों से अवसर नहीं मिल रहा है कि आप इन बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर सकें? माननीय उपमंत्री जी, जो इस विधेयक का संचालन कर रहे हैं, देहात से आते हैं, गरीबों के बीच से आते हैं। अभी ऐसा अवसर आया था कि यह कुर्सी आपसे वंचित हो गई और यह फिर हो सकता है। आप रहेंगे जनता में ही। आप व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं हैं। फिर आप क्यों इस अन्यायपूर्ण और गलत विधेयक के झगड़े में पड़े हुये हैं? रामरतन गुप्ता और जे० के० पर तो यह सरकार टैक्स लगा नहीं सकती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्रीजी इस जनमत के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार का हर कानून जो संशोधत होकर जाता है हाई कोर्ट में फेल हो जाता है, तो सरकार हाई कोर्ट को एक दम चुनौती देने के लये दोबारा येनकेन प्रकारेण वही काम जल्दबाजी में गलत कर देती है। लोकतंत्र में सरकार जनमत का फैसला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर ५ साल में केवल एक बार आती है और उस समय में अनेक गलत काम करती है। यह ऐसा लोक-महत्व का विधेयक है कि इस पर जनमत लेना चाहिये। इस कर को तो हम बुनियादी तरीके से गलत समझते हैं। जहां चीज पैदा होती है वहां उस पर प्रगतिशील तरीके से कर लगाकर उसका मूल्यांकन किया जाय तब तो बात सही है। पर एक चीज ५-७ बार बिकी और उस पर बिक्री-कर बराबर लगता रहे, तो यह गलत बात है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस लोकमहत्व के प्रश्न को जनमत जानने के लिये घुमाये और मैं इस प्रस्ताव का अपनी और अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, रोजाना अजीब बिल हमारे सामने आते हैं। कल ही एक विधेयक पर चर्चा हो रही थी कि वह बिलकुल गैर कानूनी था और कोई भी सरकार ऐसा विधेयक नहीं ला सकती थी। आज एक और ऐसा ही बिल आ गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहां से ले आते हैं मंत्री जी। हाई कोर्ट ने भी नहीं माना। फिर, यह सरकार हर बात में कुछ हठ पर अड़ी हुई है। लेकिन मंत्रीजी, चाहे किसी भी विभाग के हों, वह पहले तो एम० एल० ए० बनकर आते हैं उस जनता में से जिस पर इस विधेयक का भार पड़ेगा। हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं मंत्री जी महोदय। अब रुईवाला मामला है। आपको मालूम है कि रुई से ही तो हम सब बने हैं। चर्खे को मशक्कत हमको दी जाती थी। सन् ४० में बापूजी ने ऐसा कानून बनाया कि जो रुई को पूनी हाथ में नहीं ले सकता है, सूत नहीं कात सकता है, उसे सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी जायगी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की। आज हमारी यह सभ्य सरकार उस रुई पर भी कर लगाने चली है। अब बताइये कि दूसरी और विदेशी सरकारें हंसेंगी या नहीं। प्रस्तावक महोदय जी ने बहुत सोचसमझ कर जनमत संग्रह के लिये कहा है। नहर के कुलाबे के लिये भी इंजीनियर साहेब कहते हैं कि जहां बहुमत से किसान कह देंगे वहां कुलाबा लगेगा। तो कुलाबे में भी जनतंत्र चलता है। इसलिये प्रस्तावक जी ने बहुत अच्छा कहा है कि इस विधेयक को जनता में भेज दिया जाय और जैसा जनता कहे वैसा किया जाय। अगर जनता कहे कि रुई पर भी टैक्स लगे, चरखे, तकुवे और पूनी पर भी बिक्री-कर लगे तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और इसको जनमत जानने के लिये जनता के सामने भेज दिया जाय और फिर मंत्रीजी सन् ६७ को याद करें। अगर जनता बहुमत से कह दे कि इस टैक्स को लगना चाहिये तो हमें कोई आपत्ति न होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कमलासिंह जी के जनमत संग्रह वाले प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमलासिंह जी ने जो जनमत संग्रह हेतु इस धन विधेयक को जनता में घुमाने के लिये प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सरकार के पास इसका लेखा जोखा नहीं है कि हाईकोर्ट में उसके पास किये हुए कितने विधेयक गये और उनमें से कितनों के खिलाफ हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया। फिर इस सरकार के सामने और कोई चारा नहीं रहता कि सरकार उसके लिये दूसरा संशोधन विधेयक लाये। मुझे खयाल है कि यह सरकार रेंट कन्ट्रोल के सिलसिले में एक संशोधन विधेयक लायी थी। जब वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पहुंचा तो उन्होंने लिखा कि यह हेस्टी लेजिस्लेशन है। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे बहुत से फैसले माननीय न्यायाधीश देसाई और मुल्ला के हुए हैं। इस प्रकार यह सरकार जनतंत्र और न्याय की हत्या करती है। एक कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट है और दूसरा यह बिक्रीकर है, इनमें १०, १२ या १५ संशोधन आ चुके हैं। मैं तो अब उनको पढ़ता भी नहीं हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

अब जरा देखा जाय । जब बिक्रीकर कानून पहले बना तो उसके प्रीएम्बिल में क्या लिखा गया ? किस लिये वह लागू किया जायगा ? उसमें यह लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मद्य निषेध योजना चालू कर रही है। शराब से बड़ी आमदनी हुआ करती है, उस आमदनी को छोड़ा जा रहा है उस आमदनी की पूर्ति के लिये बिक्रीकर कानून उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है । लेकिन शराब अब चमोली तक ही नहीं बद्रीनाथ तक पिलाई जा रही है । वैद्यनाथ पुरी के सामने शराब की दुकान है । राधेश्याम जी के यहां मथुरा में पिलाई जा रही है, कानपुर में छक कर पिलाई जा रही है । जब आप इतनी पिला रहे हैं तो आपको तो यह चाहिये था कि आप इस बिक्रीकर कानून को वापस ले लेने का संशोधन लाते । जिस उद्देश्य से आपने बिक्री-कर लगाया वह यह था कि इससे लाखों, करोड़ों रुपये की आमदनी होगी । मैं तो महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करता हूं कि वहां के नेता श्री नायक ने तमाम दबाव पड़ने के बावजूद भी शराबबन्दी को खतम नहीं किया । मैं बम्बई में ६ वर्ष तक रहा हूं और वहां की परिस्थिति को अच्छी तरह से जानता हूं । अब कोई प्राइवेट तौर से शराब बना कर पीले, या कोई स्पिरिट ही पीकर अस्पताल में चला जाय और मर जाय जिसकी लाश को लावारिश समझ कर सरकार फेंकवा देती है, तो यह तो दूसरी बात है । लेकिन यहां वादा करने के बाद भी आपने टैक्स लगाया है और आज लोगों को खूब छक कर शराब पिला रहे हैं । डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने २–३ लाख रुपये का पिलाया, माननीय चन्द्रभानु जी ने ५–६ लाख रुपये का पिलाया और माननीया सुचेता जी गांधी आश्रम अकबरपुर और रनिपुरवा से आकर ११–१२ लाख की शराब पिला रही हैं और अगर आप बड़े मंत्री हो जांय तब तो शायद २० लाख की पिलायेंगे । आप जो संशोधन लाये हैं इसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा ? हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन ३ (क) के अन्तर्गत जो आप अधिकार ले रहे हैं इसका आपको कोई अधिकार नहीं है । आप इस तरह का कोई लेख नहीं तैयार कर सकते । लेकिन आप न्यायपालिका का आदर नहीं करते हैं, आप अगर उसका आदर करते तो जजों को बांध कर सदन के सामने लाने की बात न करते और जल्दी में इसको पास करने की जिद्द न करते । १५ अगस्त, ४७ को और २६ जनवरी, १९२९ को रावी के तट पर जो प्रतिज्ञा की गयी थी उसे हम भूले नहीं हैं । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि पैसे के लालच में जनतंत्र की बिलकुल हत्या न कीजिये । आज जनता की राय लेने के लिये इसे माननीय मंत्री के जिला फैजाबाद और माननीय कमला पति के जिला वाराणसी में ही भेज दीजिये । वहां की जनता जो भी फैसला करेगी उसे हम मान लेंगे । मैं भी पंचक्रोसी में १२ वर्ष तक पढ़ा हूं और काशी की अपनी एक विशेष महत्ता है—"काश्यान् मरणां मुक्ति", और कबीर ने तो यहां तक कहा है कि —"जो कबीरा काशी मरे, तो रामहि कौन निहोर" । अयोध्या के लिये मैंने इसलिये कहा कि वहां राम की जन्मभूमि है, तथा महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने शिष्यों को वाराणसी में ही उपदेश दिया था । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मैनेजरसिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस बिक्री-कर कानून में सन् ४८ से अब तक २१ बार संशोधन आ चुके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। जब हाईकोर्ट से चपत लगती है तो आप ऐसा संशोधन ले आते हैं। जहां हाईकोर्ट का निर्णय हुआ कि आप को यह अधिकार नहीं है, गत वर्ष भी मोदा का केस रिफर करके आप संशोधन लाये थे और उसमें भी वही बात थी, आपने संशोधन में रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट चाहा था जिसको हाईकोर्ट ने कहा था कि इसका लगाना अवैधानिक है क्योंकि आपने उसमें दस साल का रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट माना था। दो बार वसूल करने वाला जो कर आप ने लगाया था उसको भी आपने उसी तरह से फिर किया जिसको कि हाईकोर्ट ने अवैधानिक कह दिया था और कहा था कि वह वापस किया जाय। आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि जहां आप गलती करते हैं उस को मानकर जिस दिन से संशोधन लागू हो उस दिन से ही लगाइये यह कहना कि रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से कर दें, जो गलती मालूम हो गई और गलती न मानते हुये फिर कह दें कि वह वसूल हो जाय। खेद है कि आप फिर वही संशोधन कर रहे हैं। आपसे पूछा गया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या आंकड़े हैं तो आप वह नहीं बता सके। इस हाईकोर्ट के मामले में कितना रुपया इन्वाल्व्ड था यह भी आप नहीं बता सके। मेरा कहना है कि आप तो केवल पाइलट बिल को कर देते हैं, दो पन्ने अफसरों के द्वारा आपके हाथ में रख दिये जाते हैं, आप पेश कर देते हैं, आप तथ्य भी नहीं समझते, वायर पुलर बाहर बैठे रहते हैं, आप उनकी हर बात मान लेते हैं। यह भी नहीं मालूम कि कितना रुपया वसूल कर लिया गया है, कितने रुपये का मामला है ? यह सब आंकड़े आपके पास होने चाहियें कि कितना नुकसान होने जा रहा है। यह सब आधार आपको मालूम होना चाहिये था। जिस दिन से लागू हो उस दिन से वसूली हो। पिछली बार भी छाप लगा दी गई कि यह वैधानिक है और कमला सिंह जी ने कहा था कि आप गलती कर रहे हैं लेकिन फिर हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप ने गलत किया है। आप यह भी नहीं सोचते कि रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट देने की आप कोशिश करेंगे और फिर रिट में जायेंगे वह तो फिर आपके खिलाफ डिक्लेरेशन होगा। यह आप सोच लें। माननीय लखी सिंह जी ने फैजाबाद की तारीफ की है और अपना नगर होने के नाते मैं भी अपने नगर की प्रतिष्ठा रखना चाहता हूं इसलिये आप इसको वापस ले लें वर्ना आपको फिर रिपेन्ट एट लेजर करना होगा। यह जनमत संग्रह या प्रवर समिति को भेज दिया जाय ताकि इसकी खामियां पूरी हो जायं।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री कमलासिंह यादव से) आप अपने अमेंडमेंट का रिप्लाई देना चाहते हैं तो दे दें।

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनका आभारी हूं। मंत्री जी एक गलती पर दूसरी गलती कर रहे हैं, इनका विभाग कर रहा है, उस पर सरकार छत्र-छाया करने जा रही है, या यों कहूं कि लीपा-पोती करती जा रही है। तो जहां तक जनमत संग्रह का सवाल है मैं चाहता हूं जैसे हम लोग पब्लिक में जा कर वोट मांगने जाते हैं तो पब्लिक हमारे कामों को देखती है और उसके बाद अपने विचार प्रकट करती है। तो मैं चाहता था मंत्री जी या सरकार जो कुछ कर रही है उसको भी भेजिये जनमत संग्रह के लिये ताकि जनता जाने सरकार क्या कर रही है और किस तरीके पर जनता का गला घोंटा जा रहा है।

इसमें एक चीज यह है कि रेट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट देने की बात है। जहां तक धारा ३, ३ (ए) और ३ (एए), का सवाल है मैं मानता हूं वहां रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देना बहुत जरूरी था क्योंकि तीनों धारायें इंडिपेंडेंट हैं। जब धारा ३ (ए) बनी थी तो लिखा गया कि नाटविदस्टेंडिंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

ऐनी थिंग कंटेन्ड इन सेक्शन ३, और उसके बाद जब ३ (एए) बनायी गयी तो उसमें भी यही शब्द दोहराये गये कि नौटविदस्टेंडिंग ऐनी थिंग कंटेन्ड इन सेक्शन ३ (ए) और यह शब्द इसलिये रखे गये कि धारा ३, ३ (ए) और ३ (एए) इंडिपेंडेंट सेक्शन्स हैं.....

एक सदस्य—

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं कह रहा था तीनों धारायें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और जब ३ (ए) बनायी गयी तो उसको भी रेट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट दिया गया और ३ (एए) को भी रेट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट दिया गया। लेकिन यहां जो विधेयक है उसके अन्दर जिस चीज को रेट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट देने जा रहे हैं वह स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटीफिकेशन उस चीज को रेट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस रोज से स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करेगी कि दो नये पैसे के हिसाब से टैक्स लगाया जाय और वसूल किया जाय तो मतलब यह है कि रेट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट देकर इसकी शुरू से ही वसूली होगी। अगर सेक्शन की चीजें होतीं जैसे ३, ३ (ए) और ३ (एए) का सवाल है तो वहां कोई बात नहीं थी। मैं इस बात को चैलेंज नहीं करता कि सदन को अख्तियार नहीं है। लेकिन हर चीज की सीमा होती है कि किस चीज को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट दिया जाय और किस को न दिया जाय। यह कानून के खिलाफ है और उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी जन मत संग्रह की बात मान लेंगे और सदन भी इसको स्वीकार करेगा।

श्री जयराम वर्मा—

अविष्ठाता महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि जो प्रश्न विचाराधीन था उससे बहुत दूर जाकर बातें की गयीं और इस बात को अच्छी तरह से समझाने की मेरी कोशिश में शायद कमी रह गयी हो। इस संबंध में बहुत सी बातें कही गयीं। यह गलतफहमी रही कि यह सेक्शन ३ (ए) इसलिये बना कि सैक्शन ३ बनाने में गल्ती रही। ऐसी बात नहीं है। सेक्शन ३ (ए) जिस समय बनाया गया उस वक्त सोचा गया था कि सब बहुपदीय टैक्स होगा लेकिन कुछ दिनों के बाद यह सोचा गया कि शायद यह मुनासिब नहीं है। कुछ आर्टिकिल्स पर बहुपदीय टैक्स न हो इसलिये ३ (ए) सेक्शन जोड़ा गया और एक पदीय टैक्स लगाने की व्यवस्था की गयी। उसके द्वारा सरकार को अधिकार दिया गया कि सरकार विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा करेगी कि वह वे कौन से आर्टिकिल्स हैं जिन पर एकपदीय टैक्स लगाया जायगा। और वह किस प्वाइन्ट पर टैक्स लगेगा और टैक्स का रेट क्या होगा ? पहले वह ७ परसेन्ट तक था और पिछले वर्ष वह १० परसेन्ट कर दिया गया है तो अब यह १० परसेन्ट तक किस आर्टिकिल पर कितना टैक्स लगे, यह सरकार को निश्चित करना था। इसलिये एक तरह की व्यवस्था हो गयी कि कुछ आर्टिकिल्स पर बहुपदीय टैक्स लगे और कुछ पर एक पदीय टैक्स लगे लेकिन एक संतुलित ढंग से टैक्स हो। सेन्ट्रल टैक्स की धारा १४ के अन्तर्गत कुछ आर्टिकिल्स को उन्होंने जरूरी आर्टिकिल्स, एसेंशियल आर्टिकिल्स डिक्लेयर कर दिया। और उनके ऊपर २ परसेन्ट से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। हमारे लिये भी जरूरी हो गया कि हम भी उसके अनुरूप अपने टैक्स के तरीके में संशोधन लायें और १४ और १५ के अनुरूप यह संशोधन करके धारा ३ (एए) जोड़नी पड़ी है जिसमें यह व्यवस्था है कि जिन आर्टिकिल्स का उल्लेख ३ (एए) में है उन पर टैक्स २ परसेन्ट से ज्यादा नहीं होगा। और लेजिस्लेचर ने तय किया कि एकपदीय टैक्स किस प्वाइन्ट पर लगेगा। धारा ३ (ए) में गवर्नमेन्ट को निश्चय करने

का अधिकार है लेकिन धारा ३ एए में भी एक पब्लीयटैक्स लैजिस्लेचर ने तय किया कि जहां पर बिक्री एक डीलर द्वारा कन्ज्यूमर को होगी। वह एक प्वाइन्ट है जहां पर टैक्स लगेगा। सिर्फ इतना अन्तर किया गया कि धारा ३ एए में आर्टिकिल्स का उल्लेख कर दिया गया। और निश्चय भी कर दिया गया कि २ परसेन्ट से ज्यादा टैक्स नहीं होगा और किस दर पर होगा। जब इस लेजिस्लेचर ने जोड़ा था यह व्यवस्था करते हुये कि टैक्स की दर दो परसेंट से ज्यादा नहीं होगी तो दिमाग में यह बात रही कि कहीं डेढ़ परसेंट या एक परसेंट लगाना होगा तो तय कौन करेगा? शायद यह सोच कर ही ३ एए के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया कि किस आर्टिकल पर कितना टैक्स लगेगा। अब यह दिक्कत हुई और हाई कोर्ट ने यह कहा कि निश्चित शब्दों में इसकी व्यवस्था ३ एए में होनी चाहिये थी। क्योंकि स्पष्ट रूप से व्यवस्था नहीं है और सरकार अगर कोई नोटिस निकालती है तो स्पष्ट रूप से लेजिस्लेचर का आदेश नहीं है। उसी को स्पष्ट करने के लिये यह संशोधन लाया गया है और कोई नया टैक्स सरकार लगाने नहीं जा रही है। फिर उसे कोई हाई कोर्ट में चैलेन्ज नहीं कर सकेगा। वैसे हाई कोर्ट के फैसले से हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन अगर यह संशोधन न किया जाय तो आगे नुकसान होने का खतरा हो सकता है। तो जो नुकसान होने की आशंका है उसे रोकने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

कोरम नहीं है। अगर सरकारी बैंचेज इस बिक्रीकर के संशोधन को नहीं चाहतीं तो इसे वे वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

गिनती की जा रही है। (गिनने के पश्चात्) २ आदमी ज्यादा हैं। कोरम पूरा है।

श्री जयराम वर्मा—

१८ करोड़ की आमदनी इस टैक्स से इस साल हुई थी। आगे आने वाले सालों में आशा है कि इसकी आमदनी रेवेन्यू से भी ज्यादा हो जायगी। बहुत से काम डेवलपमेंट के हैं। अगर यह आमदनी खत्म हो जाती है तो उस आमदनी के लिये दूसरे जरिये सोचने पड़ेंगे। इसके खत्म करने के लिये जो लोग किसानों के नाम पर दुहाई देते हैं वह मजबूर करके किसानों पर ही बोझा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये किसानों के हित में है कि और आमदनी जो हो रही है वह खत्म न होने पाये।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय लखीसिंह ने जो बात कही थी वह काटन के बारे में कही थी और तकुए की बात जो कही थी तो मंत्री जी भी सूत कातते हैं। इसलिये उन्होंने श्रद्धापूर्वक काटन के लिये कहा था। ट्रेडर्स को आप जो चाहे करिये लेकिन उनका मतलब यह था कि काटन पर आप टैक्स न लगायें ताकि हमें कातने के लिये रूई मिले।

श्री जयराम वर्मा—

यहां पर यह बात नहीं है कि विक्रय कर काटन पर लगे या काटन यार्न पर लगे लेकिन जिस केस के सम्बन्ध में है उसमें काटन नहीं थी, काटन यार्न था। यहां पर प्रश्न यह है कि हाउस की जो यह भावना मालूम पड़ती थी कि २ परसेंट से अधिक टैक्स न होने पाये किसी आर्टिकिल पर तो हाउस खुद यह तय करता कि किस आर्टिकिल पर कितना टैक्स लगे लेकिन हाउस ने यह सोचा कि जो शब्द हम लिख रहे हैं उस धारा के अन्तर्गत उसका यह मंशा है कि गवर्नमेन्ट यह निर्णय करेगी लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने यह मान लिया है कि उससे यह मंशा नहीं निकलती, स्पष्ट शब्द होने चाहिये। तो वह स्पष्ट शब्द इसमें लिखा है कि रेट दो परसेंट से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन किस आर्टिकल पर कितना हो यह गवर्नमेन्ट निर्णय करेगी।

[श्री जयराम वर्मा]

बहुत कहा गया कि इसमें कितना नुकसान हुआ उसको देख कर हम फैसला करें। मैंने बताया कि किसी भी मामले में, जहां तक जानकारी है, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जिससे कि कोई टैक्स छोड़ दिया गया हो। जो रिट पेटीशन हाई कोर्ट के सामने थी उसमें यह इस बात को मान कर कि उनके लिये आल्टरनेटिव रेमेडीज हैं जिनका उन्हें प्रयोग करना चाहिये था उसके बाद यहां आने की जरूरत थी, रिट को खारिज कर दिया था, लेकिन यह राय जाहिर कर दी कि जो धारा है उसके शब्द अस्पष्ट हैं, इसलिये उनको स्पष्ट किया जा रहा है। जो आर्टिकिल्स इसके अन्दर आती हैं उनसे काफी आमदनी होती है। शुरू से आज तक कितनी आमदनी हुई यह तो मेरे लिये फौरन बताना मुश्किल है लेकिन १९६०–६१ का मैं बता सकता हूं, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं।

काटन पर यू० पी० सेल्स टैक्स से १,६७,६५९ रुपये की आमदनी हुई और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स से २,६९८ रुपये की आमदनी हुई।

काटन यार्न पर यू० पी० सेल्स टैक्स से २२,२४,७२९ रुपये और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स से १,५३,०९४ रुपये की आमदनी हुई।

हाइड्स ऐंड स्किन, इन्क्लूडिंग टैन्ड लेदर, पर यू० पी० सेल्स टैक्स से ६,१८,३४२ रुपये और सेंट्रल सेल्स टैक्स से १,६३,१७६ रुपये की आमदनी हुई।

आयरन ऐंड स्टील पर यू० पी० सेल्स टैक्स से ४८,८९,३६८ रुपये और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स से ७,३२,८४२ रुपये की आमदनी हुई।

जूट में यू० पी० टैक्स से ९,४१,८२० और सेंट्रल से १,७०,१९८ रुपये आमदनी हुई। इसी तरह से आइल सीड्स पर यू० पी० सेल्स टैक्स के अन्तर्गत २५,१८,७३७ रुपये और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के अन्तर्गत १,७४,१५० रुपये की आमदनी हुई है। इस तरह से काफी आमदनी होती है। इस हाउस की जो मंशा थी उसी के अनुसार सरकार दर निश्चित करके आज तक असेस करती रही हैं और किसी को किसी तरह का ऐतराज नहीं था। इसी तरह से होता रहा है और आगे भी इसी तरह से कार्य होता रहेगा। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा जो विचार प्रकट किये गये हैं उनका सम्मान करना जरूरी है जब तक हम अपील वगैरह में न जायं। इसलिये जरूरी हो गया कि जल्दी से जल्दी इसके सम्बन्ध में संशोधन सदन में लाया जाय।

श्रीमन्, जहां तक इसको लोकमत संग्रह के लिये घुमाने की बात है उसके लिये यह है कि इसकी बहुत जल्दी है क्योंकि इस बीच में कोई दिक्कत पैदा न हो जाय असेसमेंट के बारे में। लिहाजा इसको रोकने के लिये जल्दी की गई है। अभी मैंने बताया कि इस ऐक्ट में हमें बहुत से अर्थात् काम्प्रीहेंसिव संशोधन करने हैं। इसके लिये एक कमेटी बैठी हुई है। उसने सूबे का दौरा करके बहुत सा काम भी किया है। लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं है। जब उसकी रिपोर्ट आ जायगी तो सरकार उस पर विचार करके अपने निर्णय लेगी और फिर वे सदन के सामने आयेंगे। लेकिन उस समय तक के लिये हम इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिये यह बिल लाया गया है और माननीय सदन से प्रार्थना है कि वह इसको स्वीकार करेगा। ऐक्ट इस माननीय सदन का ही बनाया हुआ है, राय स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं दी गई, इसके लिये लोगों से पूछा जाय तो वे क्या राय देंगे या इसको प्रवर समिति में भेजा जाय तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इस समय इसके न तो प्रवर समिति में जाने की जरूरत है और न लोकमत संग्रह के लिये जाने की जरूरत है बल्कि जो अधिकार सरकार को दिया गया था वह अस्पष्ट शब्दों में था, उसको स्पष्ट कर दिया जाय। केवल यही करना है।

श्री मैनेजर्सिंह—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह टैक्स केवल व्यापारियों पर ही लगेगा। लेकिन आपने अभी कहा कि ३-ए में यह एक पर्दीय टैक्स होगा और डीलर जो कंज्यूमर को सेल करेगा उस पर लगेगा तो श्रीमन्, कंज्यूमर तो किसान ही होगा। यह कैसे उस पर नहीं लगेगा ?

श्री जयराम वर्मा—

किसान का मतलब पैदा करने वाले से था। वह गल्ला पैदा करता है, बेचता जरूर है लेकिन विक्रय कर से बरी कर रखा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, किसी भी तरह हो चोट किसान पर ही पड़ती है, व्यापारी कहां से लाता है, तेल तो तिलहन में से ही निकलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लखीसिंह जी, आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री जयराम वर्मा—

जहां तक गल्ले का सवाल है वहां तक वह बरी है कोई व्यापारी अगर उससे गल्ला बेचने के सिलसिले में टैक्स वसूल करता है तो ठीक नहीं करता है। बल्कि पहले इस सम्बन्ध में दन्ड देने की व्यवस्था नहीं थी। हम यह सोच रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई व्यापारी गल्ला बेचने के सिलसिले में किसान से टैक्स लेता है तो वह जुर्म हो। इसमें जो शब्द हैं वह यह हैं—

"Notwithstanding anything contained in section 3 or 3-A the turnover in respect of the following goods shall not be liable to tax except at the point of sale by a dealer to the consumer, and the rate of tax shall not exceed two naye paise per rupee :

सेक्शन ३ और ३–ए ए में किसी बात के होते हुए भी उन आर्टिकल्स के बारे में जिनका उल्लेख इस धारा के अन्तर्गत है टर्न ओवर टैक्सेबिल नहीं होगा सिवा उस प्वाइंट पर जहां विक्रय डीलर द्वारा कंज्यूमर को होता हो और इस टैक्स की दर दो नये पैसे प्रति रुपया से ज्यादा नहीं होगी। सिर्फ इतना लिखा है कि दो नये पैसे से ज्यादा टैक्स की दर नहीं होगी। चूंकि धारायें ३ तथा ३ ए पहले से मौजूद थीं, उनके अन्दर गवर्नमेन्ट को अधिकार था कि वह निर्णय करे, इस सदन ने यही सोचा था कि इन धाराओं के रहते हुए इस दफा के अन्दर उन शब्दों के रखने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने इसे सही नहीं माना। इसलिये उसको स्पष्ट किया जा रहा है कि दो परसेंट से ज्यादा टैक्स की दर न होगी। किस आर्टिकिल पर कितना हो, गवर्नमेन्ट यह निर्णय करे और हमेशा से ऐसा संशोधन किया हुआ समझा जाय। इस अभिप्राय से इस धारा के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट को ऐसा अधिकार है जो सरकार ने दर निश्चित करके किया है, असेसमेंट किया है, आदेश जारी किये हैं वह शुरू से ही सही समझे जायं। यह इस संशोधन की मंशा है। अब शायद मैंने कुछ सफाई कर दी हो, माननीय सदन इसकी जरूर स्वीकृति देगा।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने बार-बार इस बात पर बल दिया कि यह सदन की मंशा थी कि सरकार वसूल करेगी। तो क्या माननीय मंत्री जी ने कार्यवाही देखी है उस वक्त की जब विधेयक प्रस्तुत था या कहीं ऐसा तो नहीं है ६ मिनट में १२ विधेयक सरकार ने स्वीकार करवा लिये वैसे ही यह भी स्वीकार हो गया हो और आदरणीय सदन को भावना व्यक्त करने का मौका भी न मिला हो।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, यहां जो कुछ काम होता है उसके सम्बन्ध में सदन निश्चित मत रख कर अधिकार देता है। कभी-कभी मत देने में गलती हो जाती है। वह गलती हो गयी यहां पर।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को जनमत जानने हेतु ६ मास तक जनता में परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन ३ माह में दे दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

इस समय २ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २—४

यू० पी० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई० की धारा ३—कक का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है ।) की धारा ३—क क की उपधारा (१) में शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न होगी" के स्थान पर शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपया से अनधिक वह दर होगी जो राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित की जाय" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

कुछ विज्ञप्तियों तथा उनके अनुसरण में किये गये कार्य का वैधीकरण

३—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी की गयी कोई विज्ञप्ति जिसमें कर की दर घोषित की गयी हो और जो मूल अधिनियम की धारा ३—कक के अधीन अभिप्रेत हो, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा के अधीन जारी की गयी समझी जायगी, और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आज्ञा के होते हुए भी—

(क) कोई ऐसी विज्ञप्ति सदा से ही वैध समझी जायगी, और

(ख) की गयी कोई बात या क्रिया जिसमें दी गयी कोई आज्ञा, की गयी कोई कार्यवाही, जारी किया गया कोई निर्देश, प्रयुक्त कोई क्षेत्राधिकार, किया गया कोई कर—निर्धारित और लगाया गया या वसूल किया गया कोई कर भी शामिल है, जो ऐसी विज्ञप्ति के अनुसरण में की गयी अभिप्रेत हो, वैध रूप से एवं विधिवत् की गयी समझी जायगी ।

कुछ मामलों में कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन

४—यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी ने किसी कार्यवाही में किसी कर के निर्धारण, लगाने अथवा वसूल करने को केवल इस आधार पर रद्द अथवा परिवर्तित कर दिया हो कि धारा ३ में निर्दिष्ट कोई विज्ञप्ति अवैध थी तो कार्यवाही का कोई पक्ष अथवा बिक्री-कर कमिश्नर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से नब्बे दिन के भीतर उस न्यायालय या प्राधिकारी को कार्यवाही के पुनर्विलोकन के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त वह न्यायालय या प्राधिकारी कार्यवाही का पुनर्विलोकन करके पहले दी गयी आज्ञा को परिवर्तित या पुनरीक्षित करते हुए ऐसी आज्ञा दे सकता है जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ।

श्री कमलसिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की तृतीय पंक्ति में शब्द दो नये पैसे प्रति रु० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"एक नये पैसे प्रति रुपया" ।

श्रीमन्, १९४८ में जब यह विधेयक पास किया गया तो इसके एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में दिया गया था कि—

"State Government have started an extensive programme for the economic and cultural development of the State. At the same time owing to prohibition income from Excise is likely to shrink gradually. For the abov

two reasons and also due to the expanding activities of Government in other directions which have considerably increased the expenditure, it has become necessary to augment the revenues of the State by Additional taxation. A tax on the sale of goods which has already been exploited by other States and which, experience has shown, imposes a negligible burden on the consumer, is a fruitful source of additional revenue. This Government also proposed to impose taxes on the sales of goods in the State."

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, आप दोनों संशोधनों को रख दीजिये। दोनों पर एक साथ विचार हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की पांचवीं पंक्ति से "और सदैव रखे गये समझे जायेंगे" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, मैं यह पढ़ रहा था कि १९४८ में जब यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया तो उसके एम्स ऐंड आबजेक्ट्स में यह सब बातें रखी गई थीं जो कि मैंने पढ़ी हैं। तो इस तरीके पर, श्रीमन्, जो बहाना बनाया गया वह यह था कि चूंकि प्राहीबीशन हम कर रहे हैं इसलिए उससे जो घाटा होगा इनकम में उसकी पूर्ति इससे करेंगे। श्रीमन्, इस घाटे की पूर्ति के सम्बन्ध में भी यह देखा जा रहा है कि दो तरह पर सेल्स टैक्स लगाया गया सिंगिल प्वाइंट और डबुल प्वाइंट। तो डबुल प्वाइंट के बारे में तो मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि सिंगिल प्वाइंट ही हमें डील करना है। तो सिंगिल प्वाइंट के सिलसिले में सेल्स टैक्स से हमें देखना है कि जितना रोजगार है प्रदेश के अन्दर, उसको देखते हुये जो सामान हमारे प्रदेश के अन्दर आवे उस पर हम इतना टैक्स लगावें कि दूसरे प्रान्त में उस चीज को जब हम ले जायं तो हमारे प्रान्त में वह चीज सस्ती पड़े बनिस्बत और प्रान्तों के। यही एक चीज देखने की है। अब तक का जो देखा गया है ज्यादातर मल्टीपुल जो टैक्स थे उसकी वजह से जितने व्यापारी हैं जो सामान वह और प्रान्तों से ले जाते रहे वह उत्तर प्रदेश में जब आता रहा तो बहुत महंगा पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्टर स्टेट जैसे पंजाब से कोई सामान लेकर चलता था और यू० पी० होते हुए बिहार में जब जाता था तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था। नतीजा यह होता था कि व्यापारी कोशिश करते थे कि उत्तर प्रदेश में न जाकर दूसरे प्रदेशों से ले जायं। और बहुत सी चीजें हैं कि जिनको दूसरे प्रान्तों से हम ले आते थे तो और प्रान्तों का जो उन पर टैक्स लगता था वह कम था हमारे प्रान्त से। इसमें जो सामान बाहर से आता था उस पर हमें आसानी होती थी और हम अपना माल बाहर भेजते थे तो इतना ज्यादा हमारा टैक्सेशन था कि हमारा माल बहुत महंगा पड़ जाता था। यह विक्कत भी हमारे सामने। इसीलिये सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने २८६ आर्टिकल में यह पावर सेंट्रल पार्लियामेंट को पहले दी थी कि—

"No law of a State shall impose, or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place—

(*a*) outside the State; or

(*b*) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India.

इसके बाद सेक्शन ३ में दिया है—

"Any law of a State shall, in so far as it imposes, or authorises the imposition of a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament

[श्री कमलासिंह यादव]

by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, be subject to much restrictions and conditions in regard to the system of levey, rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify."

उसमें यह है कि इन्टर स्टेट ट्रेड की जो बातें थीं उनके लिये यह धारा बनाई गई। जो २८६ का क्लाज था, उसमें यह दिया गया कि पार्लियामेंट जो कानून बनाये उसी से यह गाइड होगा। पार्लियामेंट ने एक सेन्ट्रल टैक्स ऐक्ट बनाया। उसके १४ और १५ में यह दिया गया कि किस तरीके पर वह टैक्स लगेगा। उसके १४ में यह दिया है कि कौन-सा सामान होगा जो ट्रेड या कामर्स की चीज होगी। उसमें काटन भी शामिल की गई है लेकिन १५ में यह दिया गया है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड या कामर्स की चीज होगी उसमें सिंगिल प्वाइंट पर टैक्स लगेगा और वह २ नये पैसे प्रति रुपया से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह ऐक्ट पास किया। इस स्टेट को दिक्कत महसूस हुई जिससे सेक्शन ३ बनाया जिसमें २ नये पैसे की बात रखी। फिर ३–ए बनाया गया जिसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेन्ट यह डिक्लेयर करेगी कि इंटर स्टेट ट्रेड की कौन सी चीजें होंगी और डिक्लेयर करने के साथ ही यह भी बतायेगी कि टैक्सेशन की क्या दर होगी? इसमें यह भी दिया गया कि सरकार १० नये पैसे तक डिक्लेयर कर सकती है। इससे दिक्कत महसूस हुई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेन्ट के ऐक्ट के सेक्शन २ में २ नये पैसे था। जब इसमें दिक्कत हुई तो ३–ए ए का निर्माण किया गया। उस ३–ए ए में यह सारी चीजें दी गई हैं। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेन्ट के ऐक्ट में यह था कि २ नये पैसे लगाये जायं सिंगिल प्वाइन्ट पर इसलिये यह इस विधेयक के अन्दर ३–ए ए के जरिये से यह दिया कि ऐसी चीजों पर जो इंटर स्टेट ट्रेड से सम्बन्धित हैं उन पर २ नये पैसे टैक्स लगाये जायं। इसलिये इसे ३–ए ए की इस धारा के अन्दर रखा गया। इसी तरह से ३–ए ए ए का भी निर्माण किया गया। तीनों स्टेज पर इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने की बात कही है। आपको यह मालूम होगा कि ये तीनों धारायें इंडिपेंडेंट हैं। इसलिये रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया। इसमें रिट्रास्पेक्टिव नहीं कर सकते हैं कि २ नये पैसे होगा। उसके लिये स्टेट गवर्नमेन्ट अपने नोटीफिकेशन के जरिये विज्ञप्ति जारी करेगी। मान लीजिये १० साल पहले या ४८ में जब यह ऐक्ट बना तो क्या तब से इसको लागू किया जायगा? यह तो डिस्क्रिशनरी चीज है। हम स्टेट गवर्नमेन्ट को इंपावर करते हैं कि वह डिक्लेयर करे और वह रेट वैरी करेंगे। असेसमेंट के बारे में भी उसका अधिकार दिया गया कि वह अधिक से अधिक दो नये पैसे कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेन्ट विज्ञप्ति के जरिये वह पावर नहीं ले सकती या उसको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं दे सकती। ऐसा कर के स्टेट गवर्नमेन्ट आड़ में शिकार खेलने जा रही है कि जब वह नोटिफिकेशन कर दे तो उसे रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट समझा जायगा। मैं नहीं समझता कि यह कानून के मुताबिक है। वैसे सदन को पावर तो है कि किसी अमेंडमेंट को भी रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दे सकता है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज में यह अधिकार दिया जाय और किस में नहीं। ३,३–ए और ३–ए ए को जो रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दिया गया वह जरूरी था। वह तीनों तीन चीजों से गाइडेड हैं और तीन स्टेजेज हैं, लेकिन जहां तक इसका सवाल है, इसे रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं देना चाहिये।

दूसरा संशोधन मैंने एक नया पैसा कर देने का दिया है। सेल्स टैक्स से सरकार को बड़ी आमदनी हो गयी है। मद्य निषेध से जो कमी हुई थी उसे सरकार ने पूरा कर लिया है। बापू ने कहा था कि मद्य निषेध उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में होना चाहिये, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार बिलकुल उल्टी जा रही है। अब सरकार सिखा रही है कि पीना शुरू करो। और इसीलिये सरकारी अफसरों के जो कंडक्ट रूल्स हैं उनमें दिया गया है कि सरकारी अफसर मजे से पी सकते हैं। तो यह महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर कुठाराघात है।

श्री राधेश्याम शर्मा––

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलासिंह यादव—

अभी तक तो मैं सुन रहा था कि कोई भी बिल सरकार की ओर से आये तो उसे पास कराने के लिये सरकार की ड्यूटी है कि कोरम पूरा रखे, लेकिन . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम के लिये उनका कर्त्तव्य है, लेकिन विरोधीदल का भी कर्त्तव्य है ।

श्री कमलासिंह यादव—

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि आज उल्टी गंगा बह रही है । अभी तक जो संकल्प हम प्रस्तुत करते थे सदन के सामने तो हम कोरम पूरा करने की कोशिश करते थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि उसमें भी गवर्नमेंट और विरोधी पक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, सदन का काम बटा हुआ नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह—

लेकिन अल्प संख्या में होने से ये भाग जायेंगे, हम लोग यहां रहें या न रहें ।

श्री कमलासिंह यादव—

सरकार का पेट तो भर गया । पहले मद्य-निषेध योजना की वजह से काफी रुपये की कमी थी और सेल्स टैक्स के रुपये से उसकी पूर्ति की गयी और अब फिर से जब मद्य निषेध योजना को सरकार लागू कर रही है तो कम से कम ऐसा तो करते कि कुछ सामान ऐसा है, इंडस्ट्री और ट्रेड की चीजें हैं उन पर कम से कम सेल्स टैक्स दो नये पैसे से कम कर के एक नया पैसा कर देते ताकि जो प्रदेश में चीजें आवें और खास कर वह जो कामन यूटिलिटी की चीजें हैं वह सस्ती हों । सही व्यापार की नीति यही है कि कम से कम मुनाफा हो और ज्यादा से ज्यादा सामान बिके । इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये संशोधन स्वीकार किये जायंगे ।

श्री जयराम वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दोनों संशोधन स्वीकार नहीं है । यह संशोधन ३(ए ए) में किया गया है और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, धारा ३ (ए ए) यू० पी० सेल्स ऐक्ट में इस वास्ते जोड़ी गयी क्योंकि सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट में धाराएं १४ और १५ हैं और हमारा ऐक्ट उससे विपरीत नहीं हो सकता है । तो अपने ऐक्ट को उसके अनुरूप बनाने के लिए ही यह जोड़ी गयी है ।

जैसा कि माननीय कमला सिंह जी ने पढ़ कर सुनाया, धारा १४ में यह है कि कुछ एसेंश्यल गुड्स डिक्लेयर्ड हैं उनका उल्लेख धारा ३(ए ए) में है और धारा १५ जो सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट की है उसमें यह व्यवस्था है कि २ परसेंट से ज्यादा टैक्स का रेट नहीं होगा और एक पदीय होगा। धारा ३ (ए ए) में यही किया गया है । तो यह धारा उसी के अनुरूप जोड़ी गई है, उससे विपरीत नहीं है । जितने प्रदेश हैं सब प्रदेशों के ऐक्टों में इसी तरह की व्यवस्था है कि जो सेंट्रल टैक्स ऐक्ट में व्यवस्था है । इसलिये यह कहना कि इसकी वजह से हमारे यहां के व्यापारियों पर असर पड़ेगा, यह बात ठीक नहीं है । आज हमने एक कमेटी भी बना रखी है जो इस बात पर विचार करेगी और सुझाव देगी कि कहां-कहां टैक्सों की दरों आदि में तरमीम करने की जरूरत है ताकि अपने यहां उद्योग धंधे पनप सकें । उसकी जो सिफारिशें होंगी उन पर सरकार विचारेगी । जहां तरमीम की जरूरत होगी तरमीम करेगी । माननीय कमलासिंह जी

[श्री जयराम वर्मा]

इसको जरा देखने की कोशिश करें कि इसको क्यों रखा गया । सेंट्रल ऐक्ट के अनुसार ही हमने यह संशोधन रखा है। अगर यह संशोधन शुरू से किया हुआ नहीं समझा जायेगा तो इसमें दिक्कत होगी यह कि जिस वक्त यह संशोधन नहीं हुआ था उस वक्त जो एसेंसमेंट हुआ था उसके बारे में एतराज हो जायेगा और उसमें गड़बड़ी पैदा हो जायगी। हम कोई नया नोटिफिकेशन जारी करने नहीं जा रहे हैं। चूंकि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि वह स्पष्ट नहीं है, इसलिये यह संशोधन लाने की जरूरत पड़ी है। उसको स्पष्ट करने के लिये ही यह किया गया है। इससे यह होगा कि जो नोटिफिकेशन हमने पहले जारी किया था वह सही समझा जायेगा और वह इस संशोधन के अन्तर्गत आ जायेगा। उसको किसी प्रकार चैलेन्ज नहीं किया जा सकेगा। इस हाउस की जो मंशा थी उसी की पूर्ति के लिये यह संशोधन किया गया है। इसलिये जो संशोधन माननीय कमलासिंह जी ने प्रस्तुत किये हैं मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता। अगर माननीय कमलासिंह जी सेन्ट्रल ऐक्ट को देखेंगे तो उन्हें खुद ही मालूम हो जायेगा कि उनका संशोधन कहां तक मुनासिब है और कहां तक नहीं है। वे यह मान जायेंगे कि उनका संशोधन गैर मुनासिब है। आशा है वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

(श्री कमलासिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है, बहुत से और लोग बोलना चाहते हैं . . . .

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, यहां कोई निर्णय होता ही नहीं है, कभी कहते हैं इतने समय तक सदन चलेगा, कभी कुछ हो जाता है, तो बोलने दीजिये जो बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा दो मिनट, कमला सिंह जी, आप ले लें।

श्री कमलासिंह यादव—

जैसा कि श्रीमन्, मैं शुरू में ही कह चुका हूं, डिवीजन बेंच का यह रिमार्क है—

"It was lacuna in section 3-AA inasmuchas no rate of tax was fixed and no authority was empowered to fix it but this lacuna would not make the rate mentioned in section 3-A applicable. There are no words in section 3-AA suggesting that if no rate was fixed for the turnover in respect of the declared goods the general rate fixed in section 3 would apply. Cotton yarn and other declared goods are excepted out of section 3 by section 3-AA and other goods in respect of which a notification might have been issued by the State Government under Section 3A(1) are excepted out of it by section 3-A."

तो कोई प्राविधान ऐसा नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को वसूल करे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन लोगों ने दो परसेंट रखा है, लेकिन वह इसलिये कि जब मद्य निषेध योजना को लागू किया तो उससे घाटा हुआ, उस घाटे की पूर्ति के लिये सेल्स टैक्स लगाने का यह अधिकार लिया। मेरा सुझाव यह है कि अगर ऐसी चीजों पर जो बहुत जरूरी हैं उन पर अगर आप एक परसेंट कर दें तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसको रूल्स में भी करने के लिये कह देते तो हमें कोई एतराज नहीं होता। आप रूल्स में यह कर दें कि जो बहुत जरूरी चीजें होंगी जैसे काटन वगैरह, उनको हम रूल्स में छोड़ देंगे, हम वापस ले लेंगे। आप भी पब्लिक की भलाई चाहते हैं, काफी उदार हैं, तो रूल्स में क्यों नहीं यह कर देते। छोटे उद्योगों के द्वारा बनी हुई चीजों पर अगर सेल्स टैक्स कम होगा तो

उनकी बिक्री अधिक से अधिक हो सकेगी। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि माननीय मंत्री जी गांधीवादी होते हुये भी इसको कैसे भूल गये। मेरी भी मजबूरी है, मैंने अपनी बातों को व्यक्त कर दिया है, बहुमत के बल पर अगर आप पास कराना चाहें तो करा ही सकते हैं।

श्री जयराम वर्मा—

मुझे कोई और बात नहीं कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ की तृतीय पंक्ति के शब्द "दो नया पैसा प्रति रुपया" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"एक नया पैसा प्रति रुपया।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ की पांचवीं पंक्ति में "और सदैव रक्खे गए समझे जायेंगे" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४

कतिपय प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने का — यू० पी० ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई०

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के विषय में संकल्प (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

अब क्रम संख्या ९ पर विवाद होगा। (श्री कमला सिंह यादव के खड़े होने पर) आप तो बोल चुके हैं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैंने एक संशोधन दिया है। पहले भी एक संशोधन दिया था उस पर मैं बोला था। फिर मंत्री जी ने इसको वापस ले लिया और कहा कि परामर्श करने के बाद इसको फिर लाया जायगा। अब यह नये सिरे से इन्ट्रोड्यूस हुआ है। इसलिये उसमें संशोधन पेश कर सकता हूं और बोल भी सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं हो सकता। यह कायदे के खिलाफ बात होगी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अच्छा तो मैं संशोधन रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन नहीं रख सकते। आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

†श्री मैनेजरसिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले दिन यह संकल्प माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया था, उस दिन भी इस संकल्प के पक्ष में माननीय मंत्री जी ने कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है कि वह इस प्रकार का संकल्प पारित करा कर केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करें कि वह इस संबंध में एक विधेयक लायें। अगर यह संशोधन विधेयक पारित हो जायगा तो हमें ऐसा लगता है कि किसानों को जो सुविधायें इस ऐक्ट के द्वारा दी गयीं हैं वे सब समाप्त हो जायंगी और इसके द्वारा व्यवसायियों को हम सुविधा देने जा रहे हैं। इसलिये इस संकल्प को मैं प्रदेश के किसानों के हित के विरुद्ध समझता हूं और आग्रह करता हूं कि सरकार इसको पारित कराने का प्रयत्न न करे। इस प्रदेश की विधान सभा को इस प्रकार के संकल्प को पारित नहीं करना चाहिये, चाहे अन्य प्रदेश की विधान सभायें भले ही उसको पास कर दें। और प्रदेशों में भी तो आपके दल ही की सरकारें हैं। एक प्रदेश में एक दल की सरकार बनी, केरल में, लेकिन आपने उसको चलने नहीं दिया। अगर कोई विधान सभा इस प्रकार का संकल्प पारित करती है तो उसको करने दें, लेकिन इस चीज में आप अगुआ न बनें। मैं यह भी समझता हूं कि यह संकल्प उचित नहीं है और हमें इस संकल्प को यहां पास नहीं होने देना चाहिये। मैंने देखा है कि इसमें तम्बाकू और लाख इत्यादि की चर्चा की गयी है और सरकारी पक्ष से यह तर्क दिया जाता है कि इससे किसानों को फायदा होगा। आज हमारे यहां लाख की जो उपज है वह बहुत ही नगण्य मात्रा में है, इसलिये हमको उसके बहाने भी इस संकल्प को नहीं स्वीकार करना चाहिये। यदि आप इस संकल्प को स्वीकार करते हैं तो जो बड़े-बड़े व्यवसायी इस प्रदेश में हैं, चाहे वे कहीं के भी हों, अपना सारा माल इन सरकारी गोदामों में लाकर रखेंगे और हमारे प्रदेश के किसानों को अपनी पैदावार रखने की कोई समुचित

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुविधा नहीं प्राप्त हो सकेगी। जो सुविधायें आज उन्हें प्राप्त हैं उन सुविधाओं में भी कटौती हो जायगी, इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संकल्प को वापस ले लेंगे। केन्द्र में भी आज आपके दल की ही सरकार कायम है और आज जिनके हाथ में सरकार के संचालन का सूत्र है वे उत्तर प्रदेश की सरकार को अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं और वे लोग रात दिन इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द बदनाम हो जाय और इसलिये बदनाम हो जाय कि यह सरकार अपने पूरे समय यानी ६७ तक कायम न रह सके। इसलिये केन्द्र के जो भी चालाक राजनीतिज्ञ हैं वे आपको जाने अनजाने ऐसी प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसे कदम उठावें जिससे कि आप बदनाम हो जायं।

आपने इस आदरणीय सदन में लगान बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा जिससे सारे देश में हाहाकार मचा और सारे प्रदेश के किसानों ने आपको कोसा व आपको बददुआ दी और मैं जानता हूं कि बददुआ आपको मिली। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश के उन कांग्रेसी नेताओं व राजनीतिज्ञों के मुताल्लिक जिनके हाथों में सरकार के संचालन का सूत्र था, उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया और दिल्ली में बैठ कर प्लानिंग कमीशन ने दिल्ली सरकार के इशारे पर एक प्रस्ताव किया, सुझाव दिया और कहा कि इस देश में जमीन के लगान में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये क्योंकि भूमि का कर, लगान या मालगुजारी में बढ़ोत्तरी की काफी गुंजायश है। केन्द्रीय सरकार के इशारे पर प्लानिंग कमीशन ने इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने मांग की और प्रदेश की सरकारों को इस प्रकार का आदेश दिया कि वे इस प्रकार का कानून बनावें। आपने केन्द्रीय सरकार के इशारे पर सवाया लगान का कानून बनाया लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक साल से अधिक आप जनमत के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और मजबूर होकर आपने सवाये लगान वाले कानून को वापस ले लिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र के निर्देश को उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को सशंकित निगाह से देखना चाहिये। यदि आपने आंखें बन्द करके उसका अनुसरण किया और उसका पालन किया तो मुमकिन है कि आप किसी न किसी खतरे में पड़ जायं और उसमें फंस जायं, जैसा कि आप एक बार फंस चुके हैं। इसलिये मैं एक सच्चे मित्र के नाते उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से जो निर्देश आपको मिला है संकल्प पारित करने का यह जनहित विरोधी है और किसानों के हित का विरोधी है। इसलिये इसको आप पारित न करें और केन्द्रीय सरकार की जो नीति संचालित करने वाले हैं उनके बहुत से चापलूस अन्य प्रदेशों में हैं, उन्हीं के गुट के लोग उसको चला रहे हैं, वह पहले पहल अपने यहां पारित करें, ६–८ प्रदेशों में पारित किया जायगा तो केन्द्रीय सरकार उसकी बिना पर वहां कानून बनवा लेगी। अतः मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वह इस संकल्प को पारित न करें क्योंकि यह किसानों के और जनहित के विरुद्ध है, वह इसको वापस ले लें।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प है मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इसमें बड़ा घपला है, यह साफ नहीं है और मैनेजरसिंह जी ने भी जो शक पैदा किया है उससे ज्यादा शक मुझे हो गया। मैं तो इस संकल्प को पढ़ कर बड़े चक्कर में पड़ गया। एक तो इसमें अंग्रेजी घुसेड़ दी, साफ हिन्दी नहीं है। आप तो श्रीमन्, विद्वान हैं, वकालत पढ़े हैं, मैं नहीं जानता इसमें अंग्रेजी का कारपोरेशन ऐक्ट आ गया, यह क्या चिड़िया होती है, यह लिख दिया।

श्री मैनेजरसिंह—

कृपा करके मंत्री जी बता दें कि कौन-कौन सी वस्तु वह इसमें बढ़ाना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

इसमें जो हम प्रयाराइज करेंगे और रूल बनायेंगे उसमें हम बूल, लक और टुबैको, क्योंकि यह व्यापार की चीजें हैं। यही ३ चीजें हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

एक स्पष्टीकरण मंत्री जी कर दें कि क्या कोई प्राविधान ऐसा है कि एग्रो कल्चरल कमोडिटीज जो हैं अनाज वगैरा उनको प्रिफरेंस देने के बाद अगर कोई जगह मंडियों में हो तो यह चीजें रखी जायं।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो मैं एक साथ ही सब चीजों का उत्तर दे दूंगा, वैसे मैं बता हूं कि सारी चीजों की व्यवस्था करने की बात यह सरकार सोचती है। सेन्ट्रल और स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में विचार के बाद ही यह चीज आई है। उनकी कृषि प्रोड्यूस रह जायगी और सारी चीजें आ जायंगी, यह बात नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं चाहता था कि किसानों का जो गल्ला है उसकी कास्ट पर जो रोजगार की चीजें हैं वह रखी जाय, वह गलत होगा लेकिन कृषि की चीजों को फर्स्ट प्रिफरेन्स देते हुये इनको भी रखें तो गलत न होगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप ने सही कहा कि उनकी प्रायरटी होगी लेकिन जगह होगी तो यह चीजें भी जोड़ ली जायंगी। सेन्ट्रल गवर्नमेंट आदेश देगी कि यह चीजों हों लेकिन फिर भी लाइसेंस जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी तब तक उन के आदेश के बावजूद काम शुरू नहीं होगा। हम ही लाइसेंसिंग अथारिटी रहेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

तो प्रोफरेंन्स तो देंगे न? जब लाइसेंसिंग अथारिटी आप होंगे तो प्रीफ्रेंन्स किसान की चीजों को देंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो है ही।

श्री लखीसिंह—

मैं कह रहा था कि तम्बाकू ही को ले लो, वह केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। मैं अपने यहां को बताऊं कि तम्बाकू की खेती से किसान अपने सारे कर्ज चुका देता है और अनाज को बचा लेता है। केन्द्रीय सरकार ने तम्बाकू पर इतना प्रतिबन्ध लगा दिया है कि उससे सरकार का नुकसान है, केन्द्रीय सरकार बदनाम है और जो इंस्पेक्टर है वह मालदार हो गये। न तो सरकार का फायदा है और न किसान का। अतः तम्बाकू की खेती बन्द हो गई जिससे किसान की आर्थिक हालत गिर गयी। जहां कोई सिंचाई का साधन नहीं था वहां किसान कुएं से तम्बाकू की खेती करता था। तो जो खाकी जमीन होती थी वहीं किसान तम्बाकू बोकर अपना गल्ला बचा लेता था। अब सरकार ने गोदाम का ढोंग रच दिया। गोदाम में तम्बाकू रखा जाय, किसान पैदा करेगा और रखेगा कौन? पूंजीपति। क्योंकि किसान के पास तो इतनी शक्ति नहीं है कि वह रख सके। इसलिये किसान का इसमें शोषण होगा। फायदा पूंजीपति का होगा। इसलिये सरकार इस संकल्प को ला करके भी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। सहकारिता का बहाना है। सोशलिस्ट पार्टी सहकारिता की सिद्धान्त:

विरोधी नहीं है, लेकिन केन्द्रीय सरकार का बड़ा जबरदस्त अंकुश रहेगा। किसान पर तो वह सवारी तान देगी और वह सवारी यह संकल्प करा देगा। अभी पहले विधेयक के सम्बन्ध में वित्त मंत्री जो कह रहे थे कि किसान पर टैक्स नहीं लगेगा। मैं पूछता हूं कि किस पर लगेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

वेयर हाउसेज के प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री लखीसिंह—

सारी दांय किसान पर ही चल रही है, हर बहाने से वही बेचारा पीसा जा रहा है। अब गोदाम का संकल्प ले आये। पहले विधेयक से जान नहीं छूटी थी अब ९वें नम्बर पर फिर ये संकल्प ले आये और संकल्प इस तरीके से ले आये हैं कि इसमें संविधान की बात कही है। बड़ी चतुर सरकार है पर हम भी उसी अखाड़े से आये जिससे उधर के बैठने वाले आये हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम संविधान के चक्कर में आ जायें क्योंकि हम उसके पुजारी हैं। इसकी २–३ लाइनें मैं सदन के समक्ष रखे देता हूं।

"और उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विधान का सम्बन्ध संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि २६ तथा २७ में उल्लिखित विषयों से है जिनके विषय में संसद् को संविधान के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, राज्यों के लिए विधि बनाने का कोई अधिकार नहीं है"

हम खतरनाक आदमी तो हैं नहीं। अंग्रेजों के लिए तो हम खतरनाक थे और अंग्रेजों के लिए अब भी खतरनाक हैं लेकिन ऐसे गोलमोल संकल्प से धोखा हो जाता है। केन्द्रीय सरकार भी ऐसे ही लाती है। आप ऐसे कानून बनाते हैं कि जिस पर हर विद्वान को हंसी आती है। अगर सरकार में थोड़ी भी बुद्धि होती तो किसानों का शक्कर और गुड़ अच्छा बिक जाता अर्थात् उसको अच्छे दाम मिल जाते, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती। यदि पाबंदी ही लगानी थी तो पाकिस्तान के बार्डर पर पाबन्दी लगायी होती न कि सारे देश में जाने पर लेकिन उन्होंने पाबन्दी लगा दी कि यू० पी० का माल राजस्थान में न जाये, पंजाब में न जाये। यह चाल अंग्रेजों ने की, अंग्रेजी दिमाग ने की, अंग्रेजी संकल्प ने की। यह अंग्रेजी संकल्प हमारी छाती पर रखा, माननीय पांडेय जी हमारे मंत्री हैं, इस संकल्प के लाने वाले हैं। मैं उनसे निहायत नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को हटा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

मैंने इस सम्बन्ध में पूछा था कि उसका क्या मकसद था तो अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कह लूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इस सम्बन्ध में क्या कोई प्रश्न पूछा था ?

श्री फूलसिंह—

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके प्रश्न के बारे में मुझे मालूम नहीं था। खैर अगर आप बोलना चाहें तो बोलिए ।

श्री फूलसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, देखने में तो यह एक साधारण-सा संकल्प है पर जानने योग्य बात यह है कि इसका क्या उद्देश्य है कि यह क्यों लाया जा रहा है। उस रोज मैंने जब प्रश्न किया था जो माननीय मंत्री जी उस रोज इस बिल का संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा था कि कुछ बात नहीं । केन्द्र को ख्वाहिश है वे चाहते है । यह संकल्प अगर पास हो जाय तो देखने में बड़ी बात नजर में नहीं आती लेकिन स्कीम को देखने से पता चलता है कि कदम-कदम पर यह स्कीम मिटती जा रही है। ५१–५२ में जब रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने रिपोर्ट दी तो उसमें कहा गया कि देश की आय आधी खेती से है और आधी अन्य धन्धों से लेकिन खेती के पास पैसा नहीं है। खेती की पैदावार तैयार होती है तो भाव गिर जाता है और जब किसान बेच लेता है तो भाव बढ़ जाता है। इसलिये उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी कि वेयरहाउसिंग स्कीम बनाई जाय और योजना यह थी कि इसमें किसान अपना अनाज रखे और १५ पैसे माहवार किराया दे और जब उचित समय हो तो बेच दे और उस माल को वहां रख कर उस माल की बेसिस पर ७० प्रतिशत रुपया उसे नकद मिल सके। बहुत अच्छी योजना थी। उस योजना के मातहत सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन बना और स्टेट वेयर हाउसिंग बोर्ड बना और मार्केटिंग सोसाइटीज बनीं। उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस चीज को वक्तन-फवक्तन सर्वे करना चाहिये । तो चार बार सर्वे हो चुका है। नतीजा यह है कि वेयरहाउसेज में किसानों का माल १ फीसदी से ज्यादा नहीं है। सब दूकानदार आढ़त की बिना पर माल जमा कर लेते हैं और रुपया दे देते हैं और जो रुपया किसानों को मिलने वाला था वह आढ़तियों को मिलने लगा। जिन मित्रों ने रिपोर्ट्स का अध्ययन किया होगा उनको यह मालूम होगा कि कुछ सूबे ऐसे हैं कि माल रखा ही नहीं गया, किराया दे दिया और कर्जा भी ले लिया। हमने एक कदम उठाया कि वेयरहासेज में माल रखने की जरूरत नहीं है बल्कि आढ़तिये के गोदाम को लाइसेन्स दे देंगे। किराया देने से वह बच गया, रुपया भी ले लेगा। इससे भी संतोष नहीं हुआ। अब कर रहे हैं कि माल रखने की जरूरत नहीं है। ऊन रख दो। उत्तर प्रदेश में ऊन बाहर से आता है। पहले यहां लाख पैदा होती थी मिर्जापुर में लेकिन अब वह भी खत्म हो गयी है। उत्तर प्रदेश में तम्बाकू होता है। वह दो तरह का है। एक तो सिगरेट वाला और उसके लिये सिगरेट फैक्टरीज के गोडाउन्स हैं। वहां वह सीधा जाता है। फैक्ट्री तमाम कीमत देती हैं और एक्साइज भी देती हैं। दूसरा तम्बाकू घटिया किस्म का होता है। पिछले दिनों मैंने निवेदन किया था कि शेडयूल्ड बैंक्स हैं। ५, ७ साल पहले १९० करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज में लगता था अब ९२० करोड़ लगता है। २०० करोड़ कामर्स पर लगता था, वह अब ४०० करोड़ लगता है और एग्रिकल्चर पर लगता था ४ करोड़ अब वह लगता ४.१ करोड़। तो यह कैफियत है। हां, इसके अलावा आप निरे बैंक्स खोल रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन और अब एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक १०० करोड़ रुपये से खोला जा रहा है। मतलब यह है कि जितना रुपया देश में है वह सारा इंडस्ट्री की तरफ झुकाया जा रहा है और जो रुपया नाममात्र के लिये खेती के लिये था भी, उसे भी निकाला जा रहा है। तो खेती बिल्कुल खत्म हो जायगी और जो पैसा किसान के लिये था वह रुपया भी बनिये के पास चला जायगा। यह रास्ता मेरे खयाल से ठीक नहीं है। मुझे कुछ सब्र भी होता अगर हम किसी चीज के एक्सपोर्टर होते। उत्तर प्रदेश न तम्बाकू एक्सपोर्ट करता है, न लाख एक्सपोर्ट करता है और न ऊन एक्सपोर्ट करता है। तो प्रस्ताव किस बात के लिये है। कोई प्रस्ताव पेश करने के लिये उसकी दलील देनी चाहिये, यह बताना चाहिये कि इस स्टेट को इस प्रस्ताव को पास करने से क्या लाभ होगा। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई दलील अभीतक पेश नहीं हुई है। इसकी कोई अर्जेन्सी भी नहीं है कि यह

प्रस्ताव आज ही पास हो वर्ना बड़ा गड़बड़ होने वाला है। इसको पेश करने से पहले इसके सब पहलुओं को सोचो। मैं यह कबूल करता हूं कि मैं ही कोई किसानों का ठेकेदार नहीं हूं और मेरे बाकी दोस्त जिन्होंने न जाने कितनी कैदें काटी हैं वे किसानों के हमदर्द नहीं है। पर मेरा निवेदन यह है कि इस बात को सोचो और देखो कि यह कदम सही तरफ जा रहा है या नहीं। अगर इसकी आवश्यकता किसी और प्रदेश को हो भी तो वह इसको पास कर लेगा। उत्तर प्रदेश को क्या जरूरत पड़ी इसको पास करने की। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव को पास करने में उजलत नहीं करनी चाहिये।

वेयरहाउसिंग, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, यह पता भी नहीं कि उनसे आमदनी है या घाटा है। आवश्यकता इस बात की है कि आज सब चीजों को देखो, दोबारा जांच करो कि कौन चीजें ठीक चलती हैं, कौन ठीक नहीं चलती हैं जिससे किसान के हित की रक्षा हो सके और देश की गाड़ी ठीक से चल सके। सरकार अगर इसको पसन्द करे तो मेरा निवेदन है कि इसको आज पास न करें, इसको मुल्तवी करें और फिर सोच कर इसको पास करने की कोशिश करें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह जो मामला दरपेश है यह एक पार्ट है कोआपरेटिव स्कीम का और यह देखा जा रहा है कि दम-ब-दम देश और प्रदेश के अन्दर कोआपरेटिव स्कीम रोज-ब-रोज बढ़ती जा रही है। जहां तक मेरा और मेरी पार्टी का ताल्लुक है, इस स्कीम से हम पूरे तरीके से इत्तफाक करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि मंत्रीजी कम से कम जब कोआपरेटिव स्कीम का विस्तार करें तो एक बात को जरूर देख लें कि इस कोआपरेटिव स्कीम के किसी भी जुज से जो ८३ परसेंट आबादी किसान और मजदूर की है उसे फायदा भी होता है या उसे फायदा न होकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैपिटलिस्ट को फायदा हो।

जहां तक वैयरहाउसेज की बात है, हुआ यह कि किसान के पास रिटेनिंग पावर नहीं होती थी इसलिये उसे जब पैसे की जरूरत किसी काम के लिये होती थी तो वह अपना गल्ला वेयरहाउस के अन्दर रख देता था और उसे पैसा मिल जाता था और उसका नामिनल चार्ज दे देता था जितने टाइम वह वहां रखता। यह सिर्फ इसलिये था कि वह किसी महाजन के यहां न फंस जाय। यह मकसद बिल्कुल सही था। लेकिन आज यह देखना पड़ेगा कि हमारे किसान में रिटेनिंग पावर कितनी है और अगर उसके पास रखने के लिये चीज है तभी तो वह वेयरहाउस में रखेगा। जब जेब में पैसा हो तभी तो बैंक में रखने से फायदा होगा और जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो बैंक में कोई क्या रखेगा? वही हालत यहां के किसान की होगी। उसकी गरीबी चाहे नेशनल केलेमिटी की वजह से हो, चाहे आपने जो कानून बनाये हैं उनकी वजह से हो, उसकी हालत इतनी गिरती चली जा रही है कि हम नहीं कह सकते हैं कि उसकी पैदावार में इतनी बचत होती है कि उसको वह गोदामों में रखकर असली मकसद से फायदा उठा सकेगा। जब देखा गया कि किसान इन गोदामों में ज्यादा सामान नहीं रखता है तो इंडस्ट्रियल चीजों को उनमें रखने की बात सोची गई। इससे किसानों का फायदा तो न हो सका बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स का फायदा हो गया। इस स्कीम में यह हो गया कि इंडस्ट्रियल चीजें भी इनमें रखी जा सकती हैं। इसका नतीजा यह होगा कि कैपीटेलिस्ट्स जिनके पास लाख दो लाख रुपया है वह अपना सामान इनमें रखकर उसके बेसिस पर गवर्नमेंट से ५, ६ लाख रुपये का लोन ले लेंगे। इससे जिसका एक कारखाना है उसके ३, ४ हो जायेंगे। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यह कोआपरेटिव स्कीम किसानों के फायदे के लिये थी उसको कैपीटेलिस्ट्स के फायदे के लिये क्यों कर दिया गया जब कि उनको गवर्नमेंट से वैसे ही मदद मिलती है, बैंक से भी मदद मिलती है। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है? अगर इंडस्ट्रियल चीजें इनमें रखी जायंगी तो किसानों को कौन पूछेगा? कैपीटेलिस्ट्स लोग नामीनल खर्च करके बैंक से भी कम सूद पर गवर्नमेंट से कर्ज ले लेंगे और इस तरह से वे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे। इसका नतीजा क्या

[श्री रियासत हुसेन]

होगा ? इसका नतीजा एक ही होगा कि पूंजी सेंट्रेलाइज होगी और गरीब मजदूर तथा किसानों के यहां से पैसा हटेगा। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। इससे पूंजीपतियों को ही लाभ होगा। इसी प्वाइंट पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो संकल्प सदन के सम्मुख रखा गया है उस पर एक दिन पहले भी विचार हुआ था और माननीय कमलासिंह जी ने इसका सख्त विरोध किया था कि संविधान में जो प्रावीजन है, उसके संबंध में वे समझते थे कि इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय लखीसिंह जी चले गये।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, इस सदन में कोई भी वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नहीं हैं। कौन इस बिल को पायलट कर रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी को सदन में रहना चाहिये। वह शायद अभी आते होंगे। कोई न कोई होना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि लखीसिंह जी भारतीय संविधान में काफी अभिरुचि रखते हैं और उन्होंने बड़ा सुन्दर भाषण दिया। उसे सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा था भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है, उसको लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है बल्कि भारतीय संविधान को यदि देखेंगे तो इस प्रकार का प्राविजन है कि बहुत-सी चीजों के ऊपर राज्य को एकाधिकार दे दिया गया है। लेकिन यदि राज्य उचित समझें तो वे इस प्रकार का प्रस्ताव कर सकते हैं कि पार्लियामेंट उनको लेजिस्लेट कर दे। आर्टिकिल २४९–२५०, दो ऐसी आर्टिकिल्स हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आज बारह बार कोरम की घंटी बजी है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि संविधान के आर्टिकिल २४९ और २५० में इस प्रकार की व्यवस्था है कि विशेष परिस्थितियों में पार्लियामेंट ऐसी चीजों के बारे में भी कानून बना सकती है जोकि स्टेट लिस्ट में हों। लेकिन वह विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकती है जब कि पार्लियामेंट इस बात को डिक्लेयर करे वह राज्य के हित के लिये है, या इमर्जेंसी है, तब कर सकती है। जब तक विशेष परिस्थिति नहीं आती तब तक उन आर्टिकिल्स के माध्यम से पार्लियामेंट स्टेट के अन्दर जो विषय हैं उन पर कोई कानून नहीं बना सकती। लेकिन आर्टिफिल २५२ को देखें तो उसमें सरल व्यवस्था यह की गयी है कि यदि राज्य के लेजिस्लेचर स्वयं इस बात का अनुभव करें कि स्टेट लिस्ट में जो विषय हैं उन पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट करे तो स्टेट लेजिस्लेचर्स प्रस्ताव द्वारा पार्लियामेंट से प्रस्ताव कर सकते हैं कि उस विषय पर

पार्लियामेंट लेजिस्लेट करे। वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है उसके मातहत फूड प्रोडक्ट्स, ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बहुत-सी कमोडिटीज उस वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अन्तर्गत जो गोदाम चलाये जाते हैं, उनके स्टोरेज और डिस्ट्रिब्यूशन आदि की व्यवस्था उसके अनुसार की जाती है। जो लोग भी किसानों के हमदर्द हैं और किसानों की व्यावहारिक कठिनाइयों का उनको पता है वे इस बात से परिचित हैं कि किसानों की सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि उनके पास पैसे का अभाव होता है और रिटेनिंग कैपेसिटी उनके अन्दर नहीं होती इससे अपनी उत्पादित चीजों को उसी समय वह बाजार के व्यापसाइयों के हाथ निकाल देने के लिये मजबूर होते हैं जिससे कि उन्हें पैसा प्राप्त हो जाय और उससे वह मालगुजारी वगैरह दे सकें या और जरूरी काम कर सकें। इसका कुफल यह होता है कि किसान बहुत ही सस्ते दाम पर अपनी उत्पादित चीजों को व्यवसाइयों के हाथ में बेच देता है और व्यवसायी दो महीने, चार महीने, छः महीने, सीजन के बाद तक उसे अपने यहां डाल रखते हैं। बाद में बढ़े हुए भाव पर उसको बेचते हैं।

ऐसी परिस्थिति में जितने भी अर्थशास्त्री हैं वे इस निष्कर्ष पर और देशों में भी पहुंचे हैं कि यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि किसान जिन चीजों को उत्पादित करता है उनको वह सीजन के कुछ बाद तक रिटेन भी कर सके, सरकारी गोदामों में या कोआपरेटिव द्वारा चलाये हुए गोदामों में जिससे कि बाद में महंगी आने पर वह उसका पूरा पैसा प्राप्त कर सके, तो उनकी आर्थिक दशा में सुधार होता है। तो श्रीमन्, कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदरणीय सदस्य जिसको जरा भी व्यावहारिक ज्ञान है किसानों की अर्थ-व्यवस्था के बारे में वह इस बात से सहमत होगा कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के माध्यम से जो कि फूड प्रोडक्ट्स आदि और ऐग्रीकल्चरल विकास की ओर जितनी चीजें हैं उनके स्टोरेज की व्यवस्था की गई है, वह किसानों की भलाई के लिये है, इससे वह इन्कार नहीं कर सकता। आप देखें भारतीय संविधान के शिड्यूल ७ की लिस्ट ३ जो कि कान्करेंट लिस्ट कहलाती है, जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अधिकार दिया गया है कि इनके बारे में ये दोनों ऐक्ट बना सकते हैं उस शिड्यूल ७ की लिस्ट ३ की उपधारा ३३ में जो कमोडिटीज दी हुई है, उसमें फूड प्रोडक्ट्स आदि हैं, और बहुत से मेटीरियल्स दिये हुए हैं, तो वह तो कान्करेंट लिस्ट में आते हैं और उसके अन्तर्गत वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया जिसके अनुसार गोदामों की व्यवस्था की गई है जिनमें उक्त उपधारा ३३ में दी हुई कमोडिटीज के स्टोरेज की व्यवस्था पार्लियामेंट ने कर दी है और हर राज्य में स्टोरेज की व्यवस्था उसके अन्तर्गत है। श्रीमन्, और भी वस्तुएं है जो उस लिस्ट ३ में न आकर स्टेट लिस्ट में आती हैं जैसे ऊन है, तम्बाकू है, लाख है। यह तम्बाकू आदि जो है वह भी किसान उत्पादित करता है, ऊन भी गड़रिये इकट्ठा करते हैं। लेकिन उनके पास रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं है और वह उसको बेच देते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट या तो यह व्यवस्था करे कि उनके लिये एक और प्रकार का स्टोरेज सिस्टम मेन्टेन करे तो वह तो एक अजीब-सी व्यवस्था हो जायगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट के अन्तर्गत फूड प्रोडक्ट्स के लिये व्यवस्था करे और स्टेट गवर्नमेंट ऊन आदि के लिये अलग प्रकार के गोदामों की व्यवस्था करे। यह तो एक व्यर्थ का खर्च होगा। इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्टोरेज की व्यवस्था है उसी में यदि इसकी भी व्यवस्था कर दी जाय कि ऊन और तम्बाकू आदि की व्यवस्था भी उसमें हो सकेगी तो जो किसानों को लाभ होना है वह मकसद भी पूरा हो जायगा और व्यर्थ का व्यय भी नहीं होगा। लेकिन कांस्टीट्यूशन की धारा के अन्तर्गत यूनियन पार्लियामेंट ऊन, तम्बाकू या और फूड स्टफ्स से बाहर की चीजों के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती और उनके स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर सकती। लेकिन आर्टिकिल २५२ के अन्तर्गत यदि स्टेट लेजिस्लेचर इस बात को अनुभव करे कि यह हमारे प्रदेश की जनता के हित में है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाये गोदामों में इन चीजों को रखने की व्यवस्था की जाय तो वह इस संकल्प के द्वारा ही कर सकते हैं। पार्लियामेंट को अथाराइज कर दें कि उन नियमों के अन्दर जिनके अन्दर

[श्री कृष्णानन्द राय]

सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन फूड स्टफ को रखता है, ऊन, तम्बाकू और लाख को भी रख सके। केवल इतनी-सी चीज है। इसमें कोई संवैधानिक कठिनाई का प्रश्न नहीं है और न किसानों के हित का ही प्रश्न है। इस संकल्प को हमें स्वीकार करना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि २५२ के अन्दर यह है कि टू आर मोर स्टेट्स पास करके पार्लियामेंट के पास भेजें तब यह कर सकती है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि टू आर मोर स्टेट्स को उसमें बात कही गई है कि जब तक वे इसको पास करके पार्लियामेंट के पास न भेजे तो पार्लियामेंट अथाराइज्ड न होगी। लेकिन यह धारा हमको नहीं रोकती है कि अगर जब तक और स्टेट पास न करें तो हम भी अपने यहां पास न करें। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर और स्टेट पास न करें तो हम भी पास न करें और अपने यहां से संकल्प पास करके न भेजे। यह जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश या बिहार पास करें तभी हम अपने यहां से संकल्प पास करके पार्लियामेंट के पास भेजें। पार्लियामेंट को तो तभी अधिकार मिलेगा जब हम भी अपने यहां से संकल्प को पास करके भेजें। इसी वजह से यह स्टेप हम उठा रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, दरअस्ल में माननीय सदस्यों ने इस संकल्प पर अपने जो विचार व्यक्त किये उनसे मुझे ऐसा लगा कि लोगों को ऐसा डर है कि लेजिस्लेचर का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार हम छीन कर गवर्नमेंट आफ इंडिया को या पार्लियामेंट को दे रहे हैं। हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि यह कोआपरेशन की बेसिस का ऐक्ट है। यह कोआपरेटिव बेसिस का ऐक्ट नहीं है। पहला जो ५६ का ऐक्ट था उसके बाद उसको रिपील करके दूसरा ऐक्ट आया। उसके बाद वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ आया जिसके अधीन सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन तथा स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन काम कर रहे थे। भारत के और प्रान्तों की तरफ से पार्लियामेंट के सामने बराबर यह बात रखी गई कि ऊन, तम्बाकू और लाख जो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुयें हैं, उनको भी गोदामों में रखने को सुविधा हो। गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने यह बात बराबर आई। राजस्थान गवर्नमेंट ने पहली बार कहा कि ऊन, तम्बाकू और लाख को भी वेयर हाउसेज में रखने की फैसिलिटी दी जाय तो यह अच्छी बात होगी और हमारे देश के लिये लाभ होगा, इससे विदेशी मुद्रा में बचत होगी। यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि ऊन, तम्बाकू और लाख को गोदामों में रखने की बात तय हो जायगी तो किसानों की जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, उनको वहां पर स्थान नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं यह बात बिलकुल गलत है। अगर सेंटर की तरफ से इसके लिये कुछ हो भी जाय तो भी उनके लिये स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। और फिर अगर आप इस बात को भी स्वीकार कर के चलें कि तम्बाकू की खेती बढ़ जायगी और सारे वेयर हाउसेज उससे ही भर जायेंगे तो उसके बाद हम सेंटर गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि ज्यादा वेयर हाउसेज बनने चाहिये और उसके लिये उनसे मदद मिलेगी। अभी एक साथी ने कहा कि कामर्स के नाम पर यह किसान का अहित करने की बात है, लेकिन आपको तो इस देश में एग्रीकल्चर को एग्रो-इंडस्ट्रियल बेसिस पर ही लाना पड़ेगा। उनको हम इंडस्ट्री की चीजों में ट्रांसफार्म करने की कोशिश करें। यह तो मार्केटिंग सोसाइटीज होंगी जो वेयर हाउसेज में स्टोर करेंगे इन चीजों को। तो जैसा लखीसिंह जी ने बताया, अगर मथुरा में तम्बाकू ज्यादा होती है या मिर्जापुर और बनारस में लाख ज्यादा होती है तो उससे किसानों को इन चीजों की पैदावार बढ़ाने में मदद ही मिलेगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिये सह-

लियतें कम कर के इनको सहूलियत देने को बात इस में नहीं है। लेकिन कांकरेंट लिस्ट में यह चीजे चूंकि स्टेट लिस्ट में आती हैं इसलिये विधान मंडल को ऐसा अधिकार देना आवश्यक है। इसके लिये हमारे केन्द्रीय मंत्री ने भी लिखा और इसीलिये यह संकल्प लाया गया है। इसमें किसानों को प्रोड्यूस को सहूलियत न देने का कोई विचार नहीं है। अगर इन चीजों के प्रोड्यूस में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिये गोडाउन्स भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इन के लिये अलग से व्यवस्था करने की बात करें तो उसमें हमें काफी खर्च करना पड़ेगा। आज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अन्तर्गत हमारा कारपोरेशन है और वह हमारे प्रदेश में सहूलियतें प्रदान करता है। उसमें कहीं भी हमारे अधिकारों का हनन नहीं होता और इसमें कोआपरेशन की बात भी नहीं उठती। यह कांकरेंट लिस्ट में जो कमोडिटीज नहीं हैं २६ और २७ नम्बर पर हैं उन्हीं के लिये यह है। इन चीजों में किसानों और मजदूरों का लाना कहां तक उचित है। वैसे तो इस बात से कोई इन्कार नहीं करता कि प्रदेश के ८४ प्रतिशत लोग किसान और मजदूर ही हैं, और अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं तो वे उससे प्रभावित ही होंगे, लेकिन उनको सहूलियत के लिये ही यह व्यवस्था की जा रही है। माननीय लखीसिंह जी से यह कहना है कि नदरों को फैसिलिटी होगी तो हर प्रकार की सुविधा बढ़ेगी। हम तो चाहते हैं कि किसान आगे बढ़ें, तरक्की करें और बड़े-बड़े सेठों की नाक काटें। इंडस्ट्री में बढ़ें.....

श्री कमलासिंह यादव—

यह जुर्म न कराइये, नाक काटना बड़ा आफेंस है !

श्री बंशीधर पांडेय—

कमलासिंह जी ने गाजीपुर की वकालत की कि बैकवर्ड एरिया है। गाजीपुर में तो अफीम की खेती होती है, वहां टुबैको की खेती कराइये। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप सभी जानते हैं कि यह छोटा-सा संशोधन है कि वूल, टुबैको और लैक्ष जो स्टेट लिस्ट के सबजेक्ट हैं उन पर पार्लियामेंट तभी कानून बना सकती है जबकि स्टेट लेजिस्लेचर उसका प्रस्ताव करें। तो हम उनको अथराइज करने जा रहे हैं कि वेयर हाउसेज को रेगुलेशन का जो उनका कानून बनेगा उससे हमारे वेयर हाउसेज भी संचालित होंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी यह तो बता दें कि वेयर हाउसिंग क्या है और इससे क्या फायदा होगा किसानों को ?

श्री बंशीधर पाँडेय—

वह तो सब बता दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 'वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, ऐक्ट, १९६२ (ऐक्ट. संख्या ५९, १९६२) के अधीन स्थापित सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन तथा स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन कृषि उपज, बीजों, खादों, उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा किसी अन्य विज्ञापित पदार्थ के, जो ऐसा पदार्थ हो जिसके सम्बन्ध में संसद को संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के आधार पर विधि बनाने का अधिकार है, संग्रहण हेतु गोदाम चलाने के लिये अधिकृत है ;

और यह वांछनीय है कि उक्त कारपोरेशनों को अपने गोदामों में उपर्युक्त केन्द्रीय ऐक्ट में उल्लिखित पदार्थों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का भी संग्रह करने में समर्थ बनाने के लिये विधान बनाया जाय;

[श्री उपाध्यक्ष]

और उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विधान का सम्बन्ध संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि २६ तथा २७ में उल्लिखित विषयों से है जिनके विषय में संसद को संविधान के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, राज्यों के लिये विधि बनाने का कोई अधिकार नहीं है ;

और इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि ऐसा विधान संसद द्वारा बनाया जाय ;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २५२ के खण्ड (१) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ (ऐक्ट संख्या ५८, १९६२) के अधीन स्थापित कारपोरेशनों द्वारा चलाये जाने वाले गोदामों में, उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों से भिन्न पदार्थों का संग्रहण इस राज्य में संसद द्वारा बनायी गयी विधि से विनियमित किया जायगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

अब कल क्या प्रोग्राम रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

कल उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार होगा और वह पारित किया जायगा । उसके बाद और जो कुछ होगा वह लिया जायगा ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर १४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
६ मई, १९६४ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६९ पर।)

गोंडा जिले में विकास समितियों/विकास क्षेत्रों की गाड़ियों का विवरण

	रु० न० पै०
१—मेसर्स प्राइमर कम्पनी, लखनऊ	४,९६१.३३
२—आजाद इलेक्ट्रिक, गोंडा	९०.५३
३—मुन्नूमिस्त्री, गोंडा	४३.५०
४—सरदार कम्पनी, फैजाबाद	५१७.६४
५—नरायन आटोमोबाइल, लखनऊ	२०३.७७
६—बलरामपुर इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, बलरामपुर	५१७.०३
७—गोंडा ट्रान्सपोर्ट एन्ड फारवर्डिंग कं०, गोंडा	३,२९९.६६
८—बैजनाथ शर्मा ऐन्ड सन्स, गोंडा	८,५५०.१७
९—कैलाश मोटर स्टोर, लखनऊ	२८,७९९.७८
योग ..	४६,९८३.४१

जिला नियोजन अधिकारी की जीप गाड़ी का अद्यतन विवरण

१—मेसर्स बैजनाथ शर्मा ऐन्ड सन्स, गोंडा . ..	१,५९६.८८
२—कैलाश मोटर स्टोर, लखनऊ	४,३९०.५०
योग ..	५,९९४.३८
कुल योग ..	५२,९७७.७९

नत्थी 'ख'

(देखिये तांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८९ पर)

सूची "क"

(द्वितीय चरण)

ब्लाक	सड़क का नाम तथा लम्बाई	लगभग लागत	विवरण
१	२	३	४
		(लाख रु०)	
१--अजमतगढ़ ..	अजमतगढ़-इमलिया रोड (२.४ मील)	२.००	काम कुछ हो गया
२--बिलरियागंज ..	बिलरियागंज-रौनापार रोड (३.४ .. मील)	१.६०	,,
३--परदहा ..	कुइया-गोड़वान-बाजार रोड .. (३.० मील)	२.००	,,
४--तहबरपुर ..	कप्तानगंज-तहबरपुर रोड (४ मील)	२.५०	,,
	तृतीत चरण		
५--हरैया ..	बिलरियागंज-रौनापार रोड .. (४.४ मील)	३.८२	,,
६--दोहरीघाट ..	सूरजपुर-दोहरीघाट रोड (६ मील)	३.९५	,,
७--बदरांय ..	अजमतगढ़-अमिलाबाद रोड (६ मील)	४.४०	,,
८--महराजगंज ..	कप्तानगंज-महराजगंज रोड .. (२.४ मील)	३.६७	,,
	कप्तानगंड-तहबरपुर रोड (३.४मील)	२.४०	,,
	द्वितीय चरण का अतिरिक्त कार्यक्रम		
१--अजमतगढ़ ..	जौनपुर-अजमतगढ़ रोड (३.२ मील)	१.९५	चालू वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू होगा
२--परदहा ..	इटौरा-कासिमाबाद लिंक रोड (१ मील)	०.६०	
	फूलपुर-बरदाबा रोड (२ मील) ..	१.४०	,,
	सुल्तानपुर-रामीपुर मऊ रोड .. (४ मील)	२.४०	,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९१ पर)

श्रमिकों की मांगों का विवरण

श्रमिकों की मांगों का विवरण	श्रमिकों की मांगों की पूर्ति किस हद तक हुई
१—श्री रूल्हा कैन कैरियर कुली जो २८-१२-६३ से निलम्बित था, को काम पर लिया जाये ? ..	१—श्री रूल्हा को सेवायोजकों ने उसके द्वारा अपना दोष स्वीकार कर लेने पर पुनः काम पर ले लिया तथा बेकारी ५० प्रतिशत वेतन दिया गया ।
२—शुगनचन्द को परमानेंट कर्मचारी का पद अपने स्वर्गीय भाई हरीराम के स्थान पर दिया जाना ?	२—सेवायोजकों ने श्री शुगनचन्द को अस्थायीरूप से काम पर लेना स्वीकार किया तथा वर्ष १९६४-६५ में सीजनल पद देने का आश्वासन दिया ।
३—फेयर प्राइज शाप खोला जाना ।	३—सेवायोजकों ने फेयर प्राइज शाप खोलने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।
४—मजदूरों के नहाने-धोने तथा आराम की व्यवस्था ? ..	४—सेवायोजकों ने उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया ।
५— श्रमिकों के इलाज की उचित व्यवस्था ।	५—सेवायोजकों ने कार्ड सिस्टम द्वारा उचित व्यवस्था करने के लिये कहा ।
६—महंगाई, बढ़े हुए आंकड़ों के अनुकूल और बेतनबोर्ड के अनुसार दिया जाना ।	६—सेवायोजकों ने उचित कार्यवाही करने को कहा ।
७—चीनी के बढ़े रेट से प्राप्त धनराशि का भाग श्रमिकों को दिया जाना ।	७—प्रबन्धकों का कथन है कि चूंकि बोनस कमेटी ने जो आंकड़ मांगे थे उनमें चीनी के बढ़े हुये रेट्स भी सम्मिलित थे अतः चीनी के बढ़े हुये रेट्स से प्राप्त धनराशि का भाग श्रमिकों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि बोनस कमेटी ने बढ़े हुए रेट्स पर ही बोनस का निर्णय दिया है ।
८—ठेके के कर्मचारियों को सभी सुविधायें प्रदान किया जाना चाहिये ।	८—जहां तक ठेकेदार के कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न है, प्रबन्धकों ने यह मामला यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री शिब्बू राम के ऊपर छोड़ दिया है कि वे यह बात सिद्ध कर दें कि ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को पिछले वर्षों में बोनस दिया गया है तो वे अब भी बोनस देने के लिये तैयार हैं ।
९—कैन्टीन का ठीक प्रबन्ध किया जाना ।	९—सेवायोजकों ने कैन्टीन की उचित व्यवस्था के लिए कमेटी नियुक्त करने का आश्वासन दिया ।

श्रमिकों की मांगों का विवरण	श्रमिकों की मांगों की पूर्ति किस हद तक हुई
१०—स्थायी आदेशों फैक्टरी ऐक्ट तथा बेजबोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय ।	१०—(१) श्रम निरीक्षक ने यूनियन द्वारा बताये गये मामलों पर जांच की तथा स्थायी आदेशों का उल्लंघन पाने पर प्रबन्धकों का कथित आदेशों के अन्तर्गत निरीक्षण कर लिया है, जिसमें आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । (२) जहां तक फैक्टरी ऐक्ट का उल्लंघन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जांच द्वारा ज्ञात हुआ है कि फैक्टरी इन्सपेक्टर, मेरठ ने कथित प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर लिया है, अतः इस मामले में फैक्टरी इन्सपेक्टर ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे । (३) जहां तक प्रबन्धकों द्वारा बेजबोर्ड (शुगर) की सिफारिशों का पालन न करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यूनियन का पक्ष कमजोर है क्योंकि यूनियन ने जो उदाहरण दिये हैं वे फिटमेन्ट से सम्बन्धित है और चूंकि यूनियन के पहले फिटमेंन्ट केस संराधन समिति के समक्ष भेजे थे, अतः यूनियन को चाहिये था कि वे इन केसों को भी उसी समय संराधन के समक्ष लगा देते । अब यूनियन को इन केसों को संराधन समिति के समक्ष लाने का परामर्श इसलिये नहीं दिया जा सकता है कि उनके केस ६ माह से अधिक समय के हो गये हैं । यूनियन को इस बात का भली प्रकार से ज्ञान है । प्रबन्धक भी इस बात से परिचित है, इसीलिए यूनियन चाहती थी कि उनके केस इस प्रकार से हल हो जायं । श्रम निरीक्षक ने इस बारे में प्रतिष्ठान के प्रबन्धक तथा मैनेजिंग डाइरेक्टर से वार्ता की थी पर वे कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—४९ एल० ए०—१९६४—८६० ।